Proceedings of C.D.P.O'S Meetings

Year 2007

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

2. नये आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सर्वे/मैपिंग की समीक्षा :

सर्वप्रथम नये आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सर्वे एवं मैपिंग की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित स्थिति पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत आं.केन्द्रों की संख्या	मैपिंग किये गये केन्द्रों की संख्या
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	112	50
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	191	0
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	0
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	0
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	0
06.	पटना ग्रामीण	20 18	20
07.	पुनपुन-सम्पतचक	96 96	53
08.	धनरूआ	48	48
09.	मसौढ़ी	85	85
10.	फतुहा-दनियावां	65	60
11.	खुशरूपुर	34	30
12.	बख्तियारपुर-बेलछी	59	50
13.	बाढ़-अथमलगोला	77	77
14.	पण्डारक	-	-
15.	मोकामा-घोसवरी	24	24
16.	फुलवारीशरीफ	60	32
17.	नौबतपुर	12	12

18.	दानापुर	78	78
19.	मनेर	70	40
20.	बिहटा	33	33
21.	बिक्रम	21	21
22.	दुलहिन बाजार	19	19
23.	पालीगंज	36	20

मनरे में 30 केन्द्रों पर/पालीगंज में 15 केन्द्रां पर एवं बिक्रम में 21 केन्द्रों पर चयन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है। नजरी नक्शा बनाकर सर्वे/मैपिंग का कार्य एवं चयन में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन की एक-एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय में भी जमा करने का निर्णय लिया गया।

नयी परियोजना जो पुरानी परियोजना से कटकर पृथक हुई है, उस परियोजना पर नियंत्रण पुरानी परियोजना के पदाधिकारी का मार्च 07 तक रहेगा। पहली अप्रैल 07 से नयी परियोजना का संचालन एवं नियंत्रण स्वतंत्र रूप से हो जायेगा।

सभी परियोजना में नव स्वीकृत आंगनबाड़ी का सर्वे/मैपिंग का कार्य हर हाल में जल्द से जल्द पूरा करने का निदेश दिया गया।

एक दिन में निदेशानुसार एक ही आम सभा करना है ऐसी स्थिति में चयन प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लगने की बात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोकामा द्वारा कही गयी। चयन कार्य जल्द-से-जल्द पूरा किया जा सके, इसके लिए एक दिन में एक से अधिक आमसभा का आयोजन करना आवश्यक होगा। विभाग द्वारा निर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित पत्र 2783 दिनांक 3.10.06 की कण्डिका 6(v) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए सभी महिला पर्यवेक्षिका को संबंधित प्रखण्ड में आम सभा आयोजित करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थान पर बैठक में भाग लेगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधीन होने वाली आम सभा के पर्यवेक्षण हेतु प्रेक्षक मनोनित किया गया। आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन हेतु आयोजित आम सभा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी आरखी उपाधीक्षक को पत्र लिखने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड प्रमुख द्वारा चयन में अनावश्यक रूप से व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा द्वारा बताया गया कि अमहरा के मुखिया द्वारा चयन में सहयोग नहीं दिया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ एवं बिहटा को अनुमण्डल पदाधिकारी क्रमशः मसौढ़ी एवं दानापुर से भेंट कर सहयोग प्राप्त करने को कहा गया।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा।

4. **अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण**

समीक्षा के क्रम में अक्तूबर 06 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता वर्मा	12	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	25
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	20
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	22
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	45
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	15	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	27
				2. श्रीमती प्रीति बाला	22
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	23
				4. श्रीमती मंजू झा	21
				5. श्रीमती लालती कुमारी	7
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	35	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	31
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	12	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	20
				2. श्रीमतो इन्दु कुमारी	18
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	27	1. श्रीमती विद्या भूषण	28
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	22	1. श्रीमती वीणा कुमारी	32
				2. श्रीमती निर्मला सहाय	25
7	फतुहा	श्री प्रभात कु. सिंह	27	1. श्रीमती पूनम कुमारी	30
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	22

				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	18
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	29
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	16	1. श्रीमती उषा कुमारी	16
				2. श्रीमती भारती साहा	14
9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	14	1. श्रीमती गायत्री रानी	22
				2. श्रीमती नीलम रानी	23
				3. श्रीमती मधु कुमारी मेहता	25
10	ए डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	15	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	32
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	15	1. श्रीमती राम प्यारी	30
				2. श्रीमती सुधा कुमारी सिन्हा	25
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	24	1. श्रीमती मीना कुमारी	38
				2. श्रीमती सुषमा रानी	33
[illegible]	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	22	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	38
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	18	1. श्रीमती प्रतिभा नारायण	36
				2. श्रीमती छवि कुमारी	33
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	20
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	35
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	16	1. श्रीमती सुधा कुमारी	22
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	27	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	8
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	18
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	12
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	17	1. श्रीमती मंजू कुमारी	24
				2. श्रीमती आरती सिंह	26

बैठक में सभी परियोजना पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके। पुनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह एक-दो केन्द्रों का गहन निरीक्षण करने और उस केन्द्र के बारे में विस्तृत

प्रतिवेदन देने को कहा गया । निरीक्षण प्रपत्र निरीक्षण के समय ही केन्द्र पर ही भरे तथा भरन के उपरान्त उस प्रपत्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका तथा कम से कम दो-चार ग्रामीणों का भी हस्ताक्षर करवा लें।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को साप्ताहिक निरीक्षण प्रतिवेदन जिला को प्रत्येक शुक्रवार की शाम तक उपलब्ध करा देना है ।

5. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की उम्र सीमा :**

निदेशक आई.सी.डी.एस. बिहार पटना द्वारा बला विकास सेव योजना अन्तर्गत सेविका/सहायिका के कार्य करने की उम्र सीमा 60 वर्ष कर दी गयी है । सभी परियोजना में परियोजना स्तर पर उम्र से संबंधित पंजी संधारित की जायेगी । सेविका की जन्म तिथि उसके मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र में अंकित जन्त तिथि को माना जायेगा तथा सहायिका के मामले में आयु का निर्धारण मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा । जो सहायिका बुढ़ी हो गयी है, जिसे दिखने में दिक्कत हो रही है, उसे हटाने की प्रक्रिया की जाय ।

6. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

बैठक में बताया गया कि बिक्रम के दो, बाढ़ के दो, पटना सदर के तीन आंगनबाड़ी सेविकाओं को चयन रद्द के पूर्व स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिसम्बर 06 तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु किसी भी सेविका द्वारा निर्धारित तिथि तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया । वर्णित सेविका का चयन रद्द करने हेतु Speaking Order निकालने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया ।

बाल विकास परियेाजना पदाधिकारी, मोकामा द्वारा 3 आंगनबाड़ी सेविका, 5 आंगनबाड़ी सहायिका/ पटना सदर द्वारा एक आंगनबाड़ी सेविका/ मनरे से एक सेविका, एक सहायिका/नौबतपुर द्वारा 2 आंगनबाड़ी सेविका/मसौढ़ी द्वारा एक आंगनबाड़ी सेविका का चयन रद्द का प्रस्ताव जिला में पूर्व से भेजने की बात कही गयी । सभी पत्रों से संबंधत संचिका तुरंत उपस्थापित करने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया ।

7. **निबंध :**

दिनांक 6.10.2006 की बैठक में दिये गये निबन्धों के अवलोकनोरान्त निम्नलिखित महिला पर्यवेक्षिकाओं का निबंध उत्कृष्ट कोटि का पाया गया-

1. श्रीमती पूनम कुमारी, म.पर्य. बाल विकास परियोजना, फतुहा -प्रथम
2. श्रीमती किरण त्रिपाठी, म.पर्य. बाल विकास परियोजना, फतुहा -द्वितीय

उपरोक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं को उत्कृष्ट निबंध के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रशस्ति-पत्र अगली बैठक में पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया ।

8. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन/रिक्ति की स्थिति की समीक्षा ।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी सेविका			आंगनबाड़ी सहायिका		
		स्वीकृत	चयनित	रिक्त	स्वीकृत	चयनित	रिक्त
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	222	109	113	222	105	117
02.	पटना ग्रामीण	66	45	21	66	43	23
03.	पुनपुन+सम्पतचक	186	133	53	186	130	56
04.	धनरूआ	175	125	50	175	126	49
05.	मसौढ़ी	205	118	87	205	118	87
06.	तुहा+दनियावां	214	146	68	214	143	71
07.	बख्तियारपुर+बेलछी	221	162	59	221	162	59
08.	बाढ़+अथमलगोला	228	150	78	228	148	80
09.	पण्डारक	123	131	-	123	131	-
10.	मोकामा+घोसवरी	224	198	26	224	199	25
11.	फुलवारीशरीफ	190	130	60	190	127	63
12.	नौबतपुर	170	158	12	170	157	12
13.	दानापुर	213	130	83	213	127	86
14.	मनेर	208	136	72	208	136	72
15.	बिहटा	207	174	33	207	174	33
16.	बिक्रम	139	116	23	139	118	21
17.	दुलहिन बाजार	103	83	20	103	84	19
18.	पालीगंज	206	169	37	206	156	50
19.	खुशरूपुर	80	46	34	80	46	34
20.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	191	-	191	191	-	191
21.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	-	171	171	-	171
22.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	-	157	157	-	157
23.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	-	168	168	-	168
	कुल	4067	2462	1697	4067	2429	1646

सभी परियोजना पदाधिकारी को जल्द से जल्द चयन कार्य पूर्ण कर रिक्ति शून्य करने का निदेश दिया गया ।

9. **सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी का पुरस्कार :**

इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के परिपत्र संख्या 5586/वि.(2) दिनांक 25.8.06 की चर्चा करते हुए बताया गया कि सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी कार्यालयों के कर्मियों से प्रति माह चयन कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मी को प्रति माह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी घोषित करने का प्रावधान निरुपित किया गया है । इस प्रकार प्रत्येक माह में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को प्रथम सप्ताह में 500/- (पांच सौ) रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा ! इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्य. एवं आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन करने हेतु कौन-कौन सा मापदण्ड निर्धारित किया गया, इसे Exercise करके बैठक में आने को कहा गय' था किन्तु किसी भी परियोजना पदाधिकारी द्वारा मापदण्ड नहीं जमा किया गया । श्रीमती सुषमा रानी, म.पर्य. नौबतपुर द्वारा लिखित मापदण्ड प्रस्तुत किया गया । सभी परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को 20.1.2007 तक निश्चित रूप से मापदण्ड प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी ।

उपरोक्त मापदण्ड तैयार हो जाने के बाद सभी नियंत्री पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे अपने अधिनस्थ पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका एवं आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका में से किसी एक का जो निर्धारित मापदण्डों को पूरा करते हैं का चयन कर अपनी अनुशंसा प्रत्येक माह 25 तारीख तक जिला में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि प्राप्त अनुशंसाओं को चयन कमिटी के समक्ष चयन हेतु उपस्थापित किया जा सके । वित्तीय वर्ष 2006-07 में पुरस्कार की राशि "कार्यालय व्यय" मद में उपलब्ध राशि से व्यय की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 से यह राशि प्राथमिक इकाई 'पुरस्कार' से विकलनीय होगी ।

10. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र चिह्नित किया गया है । प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है । उनका केन्द्र आदर्श है कैसे, इस संबंध में वे लोग बताती हैं । आज की बैठक में श्रीमती सुनैना सिन्हा, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र- गोबर टोली, औंटा, मोकामा/श्रीमती संगीता कुमारी, आगनबाड़ी सेविका, आगनबाड़ी केन्द्र- तकिया, पालीगंज एवं श्रीमती मंजू कुमारी, आगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी केन्द्र- बराटपुर, पटना ग्रामीण द्वारा भाग लिया गया । श्रीमती सुनैना सिन्हा द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य बताये गये । जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशंसा करते हुए ताली बजाकर उनका उत्साहवर्द्धन किया गया । श्रीमती संगीता कुमारी एवं श्रीमती मंजू कुमारी द्वारा भी अच्छे ढंग से उद्देश्य एवं केन्द्र की साफ सफाई के बारे में जानकारी दी गयी । इन्हें भी ताली बजाकर उत्साहवर्द्धन किया गया ।

सभी पदाधिकारी को अन्त में न्यायालय मामला में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिशपथ पत्र

सभी पदाधिकारी को अन्त में न्यायालय मामला में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने/अंकेक्षण आपत्ति शून्य करने/मानदेय भुगतान अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

18.1.07 — (रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकरी, पटना

18.1.2007 — (बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-88 दिनांक 22.1.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18.1.07 — (रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकरी, पटना

18.1.2007 — (बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-88 दिनांक 22.01.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

18.1.07 — (रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकरी, पटना

18.1.2007 — (बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-88 दिनांक 22.01.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18.1.07 — (रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकरी, पटना

18.1.2007 — (बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-88 दिनांक 22.01.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18.1.07 — (रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकरी, पटना

18.1.2007 — (बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति :**

पंजी के अनुसार।

आज की बैठक में दूरभाष पर सूचित करके श्रीमती ममता वर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर एवं श्रीमती मंजू कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण अनुपस्थित थी। बाल विकास परियोजना पटना सदर की श्रीमती कामिनी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, पुनपुन की श्रीमती प्रमिला कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, बख्तियारपुर की श्रीमती उषा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, बाढ़ की श्रीमती गायत्री रानी, महिला पर्यवेक्षिका बैठक से अनुपस्थित पायी गयी। आदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अनुपस्थित महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजें।

2. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में उपस्थित श्रीमती सुषमा कपूर द्वारा पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। पौष्टिक लेमनचूस में विटामिन ए, सी.डी. एवं आयरन पाये जाने की बात बतायी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है।

बताया गया कि आये दिन पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति हेतु भेजे जा रहे वाहन को परियोजना स्तर पर पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है, जिसके कारण निर्धारित मार्ग की अन्य परियोजनाओं में पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति बाधित हो रही है। साथ ही आवंटित मात्रा से कम या अधिक मात्रा में पौष्टिक लेमनचूस लेने हेतु दबाव डाला जा रहा है। कुछ परियोजना पदाधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने की भी बात बतायी गयी।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिन परियोजनाओं को अतिरिक्त लेमनचूस की आवश्यकता है कारण दर्शाते हुए जिला को प्रतिवेदन भेजा जाय ताकि उसे संकलित करके राज्य स्तर पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। प्राथमिकता के आधार पर अवकाश के दिनों में भी पूर्व सूचना रहने पर पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करने का एवं मासिक प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय भेजने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

पौष्टिक लेमनचूस के फ्लेवर के संबंध में सभी परियोजना पदाधिकारियों से राय ली गयी। अधिकांश परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बच्चे द्वारा लेमन फ्लेवर से ज्यादे औरेंज फ्लेवर पसंद किया जा रहा है।

3. **नियमित टीकाकरण :**

बैठक में डा. प्रधान द्वारा नियमित टीकाकरण के बारे में प्रकाश डाला गया। डा. प्रधान द्वारा बताया गया कि बच्चों को कब-कब और कौन-कौन सा टीका दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्णित दिन को प्रखण्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं रखने का, उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है।

4. **पल्स पोलियो :**

बैठक में श्रीमती अजीज फातमा, एस.एम.सी., यूनिसेफ, पटना/श्री नृपेन्द्र कुमार, एस.एम. सी., यूनिसेफ, पटना तथा अमर्त्य लाहिरी, डी.पी.एफ. यूनिसेफ, पटना द्वारा भाग लिया गया। आंगनबाड़ी सेविका के टीकाकर्मी के रूप में प्रखण्डवार उपस्थिति / उन्मुखीकरण-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी प्रखण्डवार उपस्थिति / प्रतिवेदन प्रेषण की स्थिति / पोलियो राउण्ड के दौरान बी.एम.सी.एस., डी.पी.ई., एस.एम.सी.एस. द्वारा केन्द्र भ्रमण की स्थिति / बिन्दी निशान की स्थिति तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका की संध्याकालीन समीक्षात्मक बैठक में उपस्थिति को ग्राफ के माध्यम से श्री अमर्त्य लाहिरी द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया गया था जिसके अवलोकनोपरान्त जिला पदाधिकारी द्वारा सभी को निम्नांकित निदेश दिये गये-

1. सभी सेविका/सहायिका सामाजिक जागरूकता एवं कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु 0-5 वर्ष के नवजात बच्चों की सूची तैयार करें।
2. प्रतयेक घर में सही-सही बिन्दी का निशान लगाया जाय।
3. केन्द्र के बच्चों के साथ पोलियो रैली निकाली जाय।
4. घर-घर जाकर माताओं को कार्यक्रम की सही-सही जानकारी दी जाय।
5. पूर्व में जहां इंकार किया गयसा है उन्हें विश्वास में लाकर प्रतिरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
6. प्रखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में निश्चित रूप से भाग लिया जाय।
7. संध्याकालीन समीक्षात्मक बैठक में निश्चित रूप से उपस्थित रहें।

8. जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एक से अधिक परियोजना के प्रभार में हैं वो अपने मूल पदस्थापन स्थल पर रहेंगे तथा अतिरिक्त प्रभार वाले परियोज़ना के लिए सुयोग्य महिला पर्यवेक्षिका को संध्याकालीन समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित रहने का आदेश निर्गत करें, जिसकी प्रतिलिपि जिला को भी दी जाय।

9. सभी परियोजना पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रम में संलग्न कोई भी सेविका/सहायिका बिना पूर्वानुमति के कार्यक्रम से अनुपस्थित न हों।

10. जो आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका कार्यक्रम में शिथिलता बरतती हैं उनके विरुद्ध तत्काल आरोप गठित करते हुए साक्ष्य के साथ चयनमुक्त का प्रस्ताव जिला को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

11. किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा।

5. **नये आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सर्वे/मैपिंग की समीक्षा :**

सर्वप्रथम नये आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु सर्वे एवं मैपिंग की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित स्थिति पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति की स्थिति	मेघा सूची की स्थिति	आम सभा की तिथि की स्थिति
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	–	–	–
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	–	–	–
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	–	–	–
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	–	–	–
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	–	–	–
06.	पटना ग्रामीण	–	–	–
07.	पुनपुन-सम्पतचक	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	तीन पंचायत में तिथि निर्धारित है
08.	धनरूआ	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	एक पंचायत में आम सभा हो गई है

09.	मसौढ़ी	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
10.	फतुहा-दनियावां	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	15 मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
11.	खुशरूपुर	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	15 मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
12.	बख्तियारपुर-बेलछी	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
13.	बाढ़-अथमलगोला	सभी आवेदन प्राप्त है	6 फरवरी तक मेघा सूची बन जाएगी	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
14.	पण्डारक	–	–	–
15.	मोकामा-घोसवरी	सभी आवेदन प्राप्त है	मेंघा सूची बन गई है	28 फरवरी 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
16.	फुलवारीशरीफ	–	–	–
17.	नौबतपुर	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	तिथि प्रकाशित कर दी गयी है।
18.	दानापुर	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
19.	मनेर	सभी आवेदन प्राप्त है	2 पंचायत की मेघा सूची बन गई है	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
20.	बिहटा	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा
21.	बिक्रम	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	तिथि प्रकाशित कर दी गयी है।
22.	दुलहिन बाजार	सभी आवेदन प्राप्त है	मेघा सूची बन गई है	तिथि प्रकाशित कर दी गयी है।
23.	पालीगंज	सभी आवेदन प्राप्त है	10 फरवरी तक मेघा सूची बन जाएगी	मार्च 07 तक चयन पुरा हो जाएगा

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर/फुलवारीशरीफ/पटना-4 एवं पटना

सदर-5 तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण/पटना सदर-2 एवं पटना सदर-3 के अनुपस्थित रहने के कारण वर्णित परियोजनाओं की समीक्षा नहीं हो सकी।

उपरोक्त स्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा अप्रसन्नता/खेद व्यक्त किया गया। दिनांक 31.1.2007 तक जब आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी तो अभी तक मेधा सूची बन जानी चाहिए थी। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को ईमानदारी/पारदर्शिता के साथ मेधा सूची तैयार करने को कहा गया ताकि भविष्य में कोई दिक्कत न हो।

सभी परियोजना पदाधिकारियों को अन्तिम रूप से मेधा सूची तैयार कर एवं 28 फरवरी 07 तक का आम सभा की तिथि निर्धारित कर जिला को सूची बनाकर निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिला स्तर से पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करके चुनाव की तरह एक-दो दिनों में ही सभी आमसभाओं में उनकी प्रतिनियुक्ति करके 28 फरवरी तक निश्चित रूप से चयन कार्य समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कुछ बिन्दुओं पर शंकायें उत्पन्न की गयी, जिनका जिला पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से समाधान किया गया-

1. पंचायत में मुखिया एवं शहरी वार्ड में नगर पालिका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आम सभा हेतु एक अनुसूचित जाति की महिला को मनोनित किया जायेगा।

2. शिक्षा मित्र स्थायी शिक्षक हो गये हैं। शिक्षक सरकारी कर्मचारी है। अतः इनके भी रिश्तेदार यथा, बेटी / पत्नी / पौत्रवधु / पुत्रवधु का चयन इस पद के लिए नहीं किया जायेगा।

3. पेंशनधारी के रिश्तेदार का अभ्यावेदन स्वीकार होगा।

4. बी.पी.एल. न. बहुत से विश्वसनीय नहीं है। अतः यदि आवेदनकर्त्ता का नाम बी.पी.एल. में नहीं है और वास्तव में वह बी.पी.एल. के योग्य अगर आपकी समझ में आता है तो उसका आवेदन स्वीकृत किया जायेगा।

5. यदि बेटा-पिता से बटवारे संबंधित प्रमाण-पत्र समर्पित करता है तो वह मान्य नहीं होगा।

6. परित्यक्ता का वोटर लिस्ट में जहां नाम हो, वहीं पर उनका आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

7. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तक लोक सेवकों के त्याग-पत्र स्वीकृति की लिखित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त ही उनका आवेदन पत्र स्वीकृत किया जायेगा।

8. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा, अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी से सम्पर्क कर पंचायत सेवक से संबंधित मामला को निष्पादित करे।

9. आम सभा की निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पूर्व मेधा सूची प्रकाशित करके दो दिनों तक शिकायत प्राप्त कर उसका समाधान कर लिया जाय ताकि ग्रामसभा में कोई दिक्कत न हो ।

10. सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को संबंधित प्रखण्ड हेतु पर्यवेक्षक मेरे द्वारा नियुक्त किया गया है ।

11. जिला से जिला स्तरीय पदाधिकारी क्षेत्र में जाकर मुखिया आदि की चयन से संबंधित सभी नियमों की जानकारी देंगे ।

12. जिला से टीम पूरे क्षेत्र में जाकर एक-एक आवेदन/प्राप्ति पंजी/मेधा सूची आदि की जांच करेगी ।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिक्रम-सह-दुल्हिन बाजार एवं पुनपुन-सह-सम्पतचक द्वारा महिला पर्यवेक्षिका की कमी की बात कही गयी । श्रीमती मधु कुमारी मेहता, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना बाढ़ को दुल्हिन बाजार एवं श्रीमती प्रीति कुमारी, म.पर्य. बाल विकास परियोजना, फुलवारीशरीफ से पुनपुन में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया, तथा तत्संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया ।

6. **बैठने की व्यवस्था ।**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का निदेश दिया गया । सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा ।

7. **अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण**

समीक्षा के क्रम में जनवरी 07 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता वर्मा	10	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	25
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	15
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	25
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	10
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	15	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	35
				2. श्रीमती प्रीति बाला	20

150

				3. श्रीमती अंजु कुमारी 14
				4. श्रीमती मंजू झा 25
				5. श्रीमती लालती कुमारी 13
				6. श्रीमती शान्ति सिंह 0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	30	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी 21
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	12	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी 20
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी 18
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	18	1. श्रीमती विद्या भूषण 23
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	25	1. श्रीमती वीणा कुमारी 32
				2. श्रीमती निर्मला सहाय 43
7	फतुहा	श्री प्रभात कु. सिंह	22	1. श्रीमती पूनम कुमारी 30
				2. श्रीमती अंशु प्रीत 33
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी 0
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा 30
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	16	1. श्रीमती उषा कुमारी 16
				2. श्रीमती भारती साहा 14
9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	10	1. श्रीमती गायत्री रानी 0
				2. श्रीमती नीलम रानी 17
				3. श्रीमती मधु कुमारी मेहता 10
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	12	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा 30
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	15	1. श्रीमती राम प्यारी 30
				2. श्रीमती सुधा कुमारी सिन्हा 29
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	21	1. श्रीमती मीना कुमारी 34
				2. श्रीमती सुषमा रानी 28
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	22	1. श्रीमती सुधा सिन्हा 38
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	15	1. श्रीमती प्रतिभा नारायण 32
				2. श्रीमती छवि कुमारी 30

				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	30
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	25
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	14	1. श्रीमती सुधा कुमारी	26
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	15	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	0
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	20
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	10
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	10	1. श्रीमती मंजू कुमारी	14
				2. श्रीमती आरती सिंह	12

बैठक में सभी परियोजना पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके । पुनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह एक-दो केन्द्रों का गहन निरीक्षण करने और उस केन्द्र के बारे में विस्तृत प्रतिवेदन देने को कहा गया । निरीक्षण प्रपत्र निरीक्षण के समय ही केन्द्र पर ही भरें तथा भरने के उपरान्त उस प्रपत्र पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका तथा कम से कम दो-चार ग्रामीणों का भी हस्ताक्षर करवा लें ।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को साप्ताहिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अग्रिम भ्रमण जिला को प्रत्येक शुक्रवार की शाम तक उपलब्ध करा देना है ।

8. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

बैठक में बताया गया कि बिक्रम के एक, बाढ़ के दो, पटना सदर के तीन, पण्डारक के एक ~~आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन संबंधी Speaking Order निकाला जा चुका है।~~ मोकामा का तीन एवं बिक्रम का दो त्याग पत्र स्वीकृत किये गये हैं । पुनः फतुहा के एक, नौबतपुर के दो, मनेर के एक, पटना सदर के एक, मोकामा के 9 आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयन रद्द करने के पूर्व स्पष्टीकरण देने हेतु 25 जनवरी 07 तिथि निर्धारित की गयी थी, किन्तु मात्र फतुहा से एक एवं नौबतपुर से एक सेविका द्वारा ससमय अपना पक्ष रखा गया । इन दोनों सेविकाओं से संबंधित संचिका तथा शेष के संबंध में Speaking Order निकालने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया ।

9. **निबंध :**

दिनांक 6.10.2006 की बैठक में दिये गये निबन्ध-

(1) "आंगनबाड़ी केन्द्र चलाने में सेविका/सहायिका को धरातल पर क्या कठिनाई है और उसे दूर करने का उपाय क्या है ?" एवं (2) "कुपोषित बच्चा/कुपोषित गरीब महिला और मैं" पर महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्राप्त स्वहस्तलिखित निबन्धों के मूल्यांकन के पश्चात जिलापदाधिकारी द्वारा श्रीमती पूनम कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका बाल विकास परियोजना, फतुहा को प्रथम एवं

श्रीमती किरण त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, फतुहा को द्वितीय स्थान की घोषणा एवं पुरस्कारस्वरूप उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पुरस्कार महिला पर्यवेक्षिका को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ताली बजाकर उनका उत्साहवर्द्धन किया गया।

आज की बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निम्नांकित विषय पर निबंध लिखने का निदेश दिया गया।

निबन्ध का शीर्षक- "आंगनबाड़ी केन्द्र का कोटीकरण एवं ग्रेडेशन का आधार क्या हो ?"

उपर्युक्त निबन्ध कम से कम 150 शब्दों तथा स्वहस्तलिखित होना चाहिए। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका अपना-अपना निबन्ध 25.02.2007 तक जिला प्रोग्राम शाखा को निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ताकि इसका अवलोकन कर चयनित निबंध लिखनेवाले बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को अगली बैठक में पुरस्कृत किया जा सके।

10. **सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी का पुरस्कार :**

इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के परिपत्र संख्या 5586/वि.(2) दिनांक 25.8.06 की चर्चा करते हुए बताया गया कि सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी कार्यालयों के कर्मियों से प्रति माह चयन कर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के एक कर्मी को प्रति माह सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी घोषित करने का प्रावधान निरूपित किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक माह में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी को प्रथम सप्ताह में 500/- (पांच सौ) रुपये का पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्य. एवं आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन करने हेतु कौन-कौन सा मापदण्ड निर्धारित किया गया, इसे Exercise करके बैठक में आने को कहा गया था। श्रीमती कुमारी देवमणि, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोकामा एवं श्रीमती किरण त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, फतुहा तथा श्रीमती बीणा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, मसौढ़ी द्वारा ही मापदण्ड जमा किया गया।

11. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

आज की बैठक में किसी भी परियोजना को आदर्श आंगनबाड़ी की सेविका/सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया। आगे से निश्चित रूप से भाग लेने हेतु निदेश दिया गया।

सभी पदाधिकारी को अन्त में न्यायालय मामला में प्राथमिकता के आधार पर प्रतिशपथ पत्र दायर करने/अंकेक्षण आपत्ति शून्य करने/मानदेय भुगतान अद्यतन करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयीं।

B. Rajender 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-173 दिनांक-19.2.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-173 दिनांक 19.2.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-173 दिनांक 19.2.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Rajendra 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-173 दिनांक 19.2.07

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना / परियोजना पदाधिकारी, यूनिसेफ, पटना तथा जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-173 दिनांक 19.2.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालेनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 17.2.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5.3.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति :**

पंजी के अनुसार।

आज की बैठक में श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुनपुन बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पायी गयीं। श्रीमती जाया मिश्रा अनुपस्थिति से संबंधित अपना स्पष्टीकरण अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगी। बाल विकास परियोजना फुलवारीशरीफ की श्रीमती कुमारी गायत्री/श्रीमती प्रीति बाला/श्रीमती अंजु कुमारी/श्रीमती मंजू झा एवं श्रीमती शान्ति सिंह, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, पुनपुन की श्रीमती प्रमिला कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, पटना ग्रामीण की श्रीमती इन्दु कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना फतुहा की श्रीमती किरण त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षिका, मनेर की श्रीमती नीलिमा सिन्हा, महिला पर्यवेक्षिका एवं श्रीमती नीलू वर्मा, महिला पर्यवेक्षिका बैठक से अनुपस्थित पायी गयीं। संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि अनुपस्थित महिला पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजें।

2. **आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य :**

आई.सी.डी.एस. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्देश्य हैं-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
3. मृत्युता, मानसिक अस्वस्थ्यता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा।

4. **नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत केन्द्र	पूर्व से चयनित आं.से. की संख्या	केन्द्रों की संख्या जिनपर चयन करना था	चयनित आंगबाड़ी केन्द्रों की संख्या	रिक्ति	अभ्युक्ति (चयन कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि)
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	222	109	113	10	103	31 मार्च 07 तक
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	192	0	192	8	184	31 मार्च 07 तक
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	0	171	0	171	31 मार्च 07 तक
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	0	157	32	125	31 मार्च 07 तक
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	0	168	11	157	31 मार्च 07 तक
06.	पटना ग्रामीण	66	45	21	3	18	31 मार्च 07 तक
07.	पुनपुन-सम्पतचक	186	0	0	0	0	बा.वि.परि.पदा. की अनुपस्थिति के कारण समीक्षा नहीं हो सकी
08.	धनरूआ	175	126	49	25	24	15 मार्च 07 तक
09.	मसौढ़ी	205	118	87	40	47	15 मार्च 07 तक
10.	फतुहा-दनियावां	214	149	65	26	39	15 मार्च 07 तक
11.	खुसरूपुर	80	46	34	16	18	15 मार्च 07 तक
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	221	178	43	16	27	15 मार्च 07 तक
13.	बाढ़-अथमलगोला	228	150	78	57	21	15 मार्च 07 तक
14.	पण्डारक	131	131	0	0	0	पूर्व से स्वीकृत 131 केन्द्रों में से 8 केन्द्र घट गये हैं।
15.	मोकामा-घोसवरी	224	199	25	21	4	15 मार्च 07 तक
16.	फुलवारीशरीफ	190	124	66	17	49	31 मार्च 07 तक
17.	नौबतपुर	170	170	12	10	2	15 मार्च 07 तक
18.	दानापुर	213	135	78	40	38	15 मार्च 07 तक
19.	मनेर	208	136	72	40	32	20 मार्च 07 तक
20.	बिहटा	207	172	35	20	15	15 मार्च 07 तक
21.	बिक्रम	139	118	21	16	5	15 मार्च 07 तक
22.	दुल्हिन बाजार	103	84	19	11	8	15 मार्च 0 तक
23.	पालीगंज	206	170	36	34	2	20 मार्च 07 तक

उपुर्यक्त स्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा गहरी चिन्ता एवं दुःख व्यक्त किया गया। किसी भी स्थिति में चयन कार्य निर्धारित तिथि तक कर लेने का निदेश दिया गया। किसी भी स्तर से मदद की आवश्यकता पड़ने उन्हें मदद देने का आश्वासन दिया गया। सबसे कम चयन एवं दयनीय स्थिति के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण श्रीमती मंजू कुमारी पर प्रपत्र 'क' भरकर निदेशालय को भेजने का निदेश दिया गया।

समस्याएं :

बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित चयन कार्य पूरा करने के रास्ते में आने वाली समस्याओं के बारे में बताया गया-

1. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी धनरूआ द्वारा बताया गया कि-
   - i. गोविन्दपुर पंचायत के बौरही केन्द्र के मुखिया द्वारा मेघासूची पर हस्ताक्षर नहीं बनाया जा रहा है। उनका पंचायत सचिव के साथ मन-मुटाव है जिसके कारण वे ऐसा कर रहे हैं।
   - ii. छाती पंचायत के एक केन्द्र पर आम सभा के दिन आपस में ही मार-पीट हो गयी।
   - iii. विजयपुर पंचायत के खुलपुरा केन्द्र पर गामीणों द्वारा आम सभा का वहिष्कार कर दिया गया। उनलोगों का कहना है कि आवेदन-पत्र हेतु पुनः तिथि निर्धारित की जाय।
   - iv. निमड़ा केन्द्र के मुखिया द्वारा आज तक मेघा सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी।
   - v. कुछ केन्द्रों पर मुखिया महिला पर्यवेक्षिका की उपस्थिति में आम सभा करने को तैयार नहीं है।
   - vi. बहरामपुर पंचायत में 3 केन्द्र हैं, जिसकी मेघा सूची आज तक अप्राप्त है।
   - vii. एक मुखिया का कहना है कि जब शिक्षा मित्र की बहाली में चार-पांच माह का समय लगता है तो इसमें भी वही समय लगायेंगे।
2. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा भी उपर्युक्त सारी बातें समस्या के रूप में बतायी गयी।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा बताया गया कि-
   - i. अथमलगोला प्रखण्ड के सबनीमा पंचायत में 5 केन्द्र हैं। वहां मुखिया एवं पंचायत सचिव के आपसी लड़ाई के कारण चयन कार्य नहीं हो पा रहा है।
   - ii. नीलमपुर एवं बहादुरपुर केन्द्रों पर भी काफी विवाद है एवं दोनों केन्द्र संवेदनशील है। मेघा सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
   - iii. अछुआरा केन्द्र पर विधवा को करने हेतु काफी दबाव दिया जा रहा था, जबकि मेधा अंक में उनसे भी ज्यादे अंक वाली उम्मीदवार आम सभा में उपस्थित थीं। ऐसी स्थिति में वहां पर भी चयन कार्य स्थगित करना पड़ा।

4. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोकामा द्वारा बताया गया कि आम सभा के दिन सबेरे वार्ड आयुक्त द्वारा छुट्टी का आवेदन कार्यालय में भेज दिया गया, जिसके कारण वहां पर भी चयन कार्य लम्बित है।

5. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बख्तियारपुर द्वारा बताया गया कि एक आवेदिका गांव की बेटी है तथा जमीन उसके नाम पर है, चयन हेतु दबाव डाला जा रहा है।

6. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-I श्रीमती ममता वर्मा द्वारा बताया गया कि-

   i. जो वार्ड आयुक्त जेल में हैं, वहां चयन करने में दिक्कत हो रही है।

   ii. कार्यालय में 4 महिला पर्यवेक्षिका कार्यरत हैं, जिसके कारण एक दिन में 3-4 से ज्यादा आमसभा संभव नहीं हो पाती है।

   iii. फुलवारीशरीफ में कुछ पंचायत सचिवों द्वारा मेघासूची उपलब्ध नहीं करायी जा रही है।

7. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर श्रीमती सुगन्धा शर्मा द्वारा बताया गया कि दो केन्द्र, अलीपुर एवं चिरौरा में आमसभा करने में दिक्कत है। अलीपुर एवं चिरौरा में आमसभा हेतु तिथि का निर्धारण क्रमशः 16 एवं 15 मार्च किया गया है।

समाधान :

उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये-

1. यदि कोई पंचायत सचिव मेघा सूची उपलब्ध नहीं करते हैं, मेघा सूची पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या फिर निर्धारित तिथि को आमसभा में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका नाम सहित लिखित आरोप उपलब्ध कराये, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

2. जहां मुखिया द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है वहां उप-मुखिया की अध्यक्षता में, जहां उप-मुखिया द्वारा भी यदि सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है तो वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आम सभा करके चयन कार्य जल्द-से-जल्द पूरा किया जाय। वैसे मुखिया/उप-मुखिया का नाम आरोप के साथ भेजने का निदेश दिया गया, ताकि उनके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

3. छाती पंचायत के केन्द्र को तत्काल दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4. सभी परियोजना पदाधिकारियों को आमसभा में यदि कोई असमाजिक तत्व हंगामा करे या किसी मुखिया/उप-मुखिया द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है तो इस आशय की नजदीकी थाना की स्टेशन डायरी में नोट कराने का निदेश दिया गया।

5. बैठक में उपस्थित दानापुर के अनुमण्डल पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर द्वारा निर्धारित तिथि को आमसभा में शान्ति बनाये रखने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।

6. बैठक में उपस्थित पटना सदर के अनुमण्डल पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना,

पटनासदर एवं पटना ग्रामीण को आमसभा में होने वाली दिक्कत को दूर करने हेतु सहयोग प्रदान करने का निदेश दिया गया।

7. अगर कोई उम्मीदवार गांव की बेटी है और मात्र जमीन उसके नाम है, उसका चयन नहीं किया जाय।

8. जो वार्ड आयुक्त जानबूझकर आमसभा के दिन छुट्टी का आवेदन भेजकर बैठक का बहिष्कार कर भाग जाते हैं, इस बात की चर्चा कार्यवाही पंजी में करते हुए उनका नाम भेजने का निदेश दिया गया ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

9. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाढ़ को अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक सहयोग मांगने का निदेश दिया गया।

10. सभी पंचायत सचिवों को आमसभा में भेजने एवं आमसभा को सम्पन्न कराने हेतु सभी बी.डी.ओ./एस.डी.ओ. को पत्र लिखने तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित थाना प्रभारी को भेजने का निदेश दिया गया।

11. आमसभा के कारण 20.3.2007 तक प्रखण्ड में कोई साप्ताहिक बैठक नहीं रखी जाय।

12. जिस वार्ड के वार्ड आयुक्त जेल में हैं वहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अध्यक्षता करेंगी।

13. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन हेतु तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा पंचायत सचिव को देने का निदेश दिया गया।

14. दिनांक 17.3.2007 को 10 बजे दिन में समाहरणालय के सभाकक्ष में जिसमें सभी परियोजना पदाधिकारी को मेधासूची तथा चयन की अद्यतन सूची लेकर उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

सभी परियोजना पदाधिकारी को अपनी समस्याओं से संबंधित पत्र जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि उसके समाधान हेतु की जानेवाली वैकल्पिक व्यवस्था का अनुमोदन/स्वीकृति विभा । से लिया जा सके।

चयन से संबंधित सभी कागजातों का संधारण एवं रख-रखाव ठीक से करने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी जांच हो तो उसे उपस्थापित किया जा सके।

5. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

पटना जिला अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को अपने कर्त्तव्यों/कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें चयनमुक्त किया गया।

परियोजना का नाम	क्र.सं.	केन्द्र का नाम	सेविका/सहायिका का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
मोकामा	1	जंजीरा	श्रीमती रागिनी कुमारी	सेविका	
	2	पैजना	श्रीमती रेखा कुमारी	सेविका	
	3	शिवनार	श्रीमती किरण कुमारी	सहायिका	
	4	कुर्मीचक	श्रीमती सुनिता देवी	सहायिका	
	5	मेकरा	श्रीमती सरस्वती देवी	सहायिका	
	6	मोर पश्चिम	श्रीमती राजकुमारी देवी	सहायिका	
	7	कन्हाईपुर	श्रीमती अनिअणिभा	सहायिका	
	8	मेकरा	श्रीमती रंजना कुमारी	सहायिका	
	9	तारतर	श्रीमती प्रवीण बॉबी	सेविका	
	10	शिवनार	श्रीमती बबिता कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	11	शिवनार	श्रीमती नीलम कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	12	मुरारपुर	श्रीमती मनोरमा कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
बाढ़	13	कोरारी उ.भाग	श्रीमती कल्पना कुमारी	सेविका	
	14	गोपीनाथ	श्रीमती उर्मिला देवी	सेविका	
	15	गोपीनाथ	श्रीमती सावित्री देवी	सहायिका	
	16	बाढ़	श्रीमती पुष्पा देवी	सेविका	त्याग-पत्र
पटना सदर	17	करबिगहिया	श्रीमती राजमणि सिन्हा	सेविका	
	18	नाला रोड	श्रीमती सुषमा कुमारी	सेविका	
	19	यारपुर	श्रीमती रीता रानी	सेविका	
पण्डारक	20	चकला	श्रीमती रंजना देवी	सेविका	
बिक्रम	21	डोरवां	श्रीमती प्रमिला देवी	सेविका	
	22	मोजक्का	श्रीमती अरून्ती देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	23	गोरखरी	श्रीमती चन्द्रावती देवी	सहायिका	

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को चयन रद्द से संबंधित सभी लम्बित पत्रों का तुरंत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

6. अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण

समीक्षा के क्रम में अक्तूबर 06 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता शर्मा	10	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	15
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	29
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	25
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	25

2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	0	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	38
				2. श्रीमती प्रीति बाला	14
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	14
				4. श्रीमती मंजू झा	20
				5. श्रीमती लालती कुमारी	25
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	0	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	0
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	12	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	25
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी	20
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	10	1. श्रीमती विद्या भूषण	18
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	25	1. श्रीमती वीणा कुमारी	27
				2. श्रीमती निर्मला सहाय	0
7	फतुहा	श्री प्रभात कुमार सिंह	0	1. श्रीमती पूनम कुमारी	0
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	0
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	0
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	0
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	16	1. श्रीमती उषा कुमारी	16
				2. श्रीमती भारती साहा	14
9	ढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	5	1. श्रीमती गायत्री रानी	5
				2. श्रीमती नीलम रानी	5
				3. श्रीमती मधु कुमारी मेहता	5
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	30
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	5	1. श्रीमती राम प्यारी	15
				2. श्रीमती सुधा कुमारी सिन्हा	15
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	0	1. श्रीमती मीना कुमारी	19
				2. श्रीमती सुषमा रानी	22
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	22	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	11
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	15	1. श्रीगती प्रतिभा नारायण	27
				2. श्रीमती छवि कुमारी	26
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	25
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	23
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	13	1. श्रीमती सुधा कुमारी	22

16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	8	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	9
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	9
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	9
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	8	1. श्रीमती मंजू कुमारी	5
				2. श्रीमती आरती सिंह	5

बैठक में सभी परियोजना पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जाँच सही तरीके से की जा सके।

7. **निबंध।**

दिनांक 5.2.2007 की बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निबन्ध 'आँगनबाड़ी केन्द्र का कोटीकरण एवं ग्रेडेशन का आधार क्या हो" पर कम-से-कम 150 शब्दों तथा स्वहस्तलिखित जमा करने का आदेश दिया गया था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा श्री प्रभात कुमार सिंह, कुमारी वैजमणि, मोकामा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर से महिला पर्यवेक्षिका सुषमा रानी/पालिगंज से आरती सिंह एवं मंजु कुमारी/पण्डारक से नीलिमा सिन्हा/बिक्रम से सुधा सिन्हा/मसौढ़ी से बीणा कुमारी एवं फतुहा से पूनम कुमारी द्वारा बैठक में निबन्ध जमा किया गया। अप्रैल 07 की मासिक बैठक में चयनित निबन्ध की घोषणा की जायेगी।

8. **आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लाभान्वितों की सूची :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आँगबाड़ी केन्द्रों की सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है, जबकि लाभान्वितों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मात्र पटना सदर, पटना ग्रामीण, फतुहा, मसौढ़ी, दानापुर, धनरूआ, बिहटा एवं मनेर से ही मात्र उपलब्ध कराया गया है। शेष परियोजना पदाधिकारी को जल्द से जल्द लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम रूप से चेतावनी दी गई।

9. **साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक :**

सभी परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने एवं अपना विषय तुरंत समाप्त कर अपने कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने को कहा गया। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में ही निदेश दिये जा चुके हैं।

10. **मुख्यालय में आवासन :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी पर्यवेक्षिका/सभी कर्मचारी को मुख्यालय में अपना आवास रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी पदाधिकारी मुख्यालय से अनुपस्थित पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। मुख्यालय में रहकर ही योजना की सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त समय दिया जा सकता है। अनावश्यक रूप से जैसे माननीय उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करने, रिट की कॉपी प्राप्त करने आदि के नाम पर पटना में नहीं घूमा जाय।

11. **केन्द्रों पर बोर्ड की स्थिति की समीक्षा :**

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगा दिये गये हैं । इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र देने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया । बोर्ड बनाने में लागत राशि का व्यय केन्द्र आकस्मिकता मद से की जायेगी ।

12. **केन्द्रों पर संधारित की जानेवाली पंजियां :**

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिन 17 पंजियों का संधारण किया जाता है उनका संधारण प्रति दिन ठीक ढंग से करने एवं उन्हें हमेशा अद्यतन रखने हेतु निदेश दिया गया । केन्द्रों पर संधारित की जाने वाली 17 पंजियों का क्रमांक निम्न प्रकार बताया गया

1. सर्वेक्षण पंजी
2. स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित पंजी
3. लाभान्वितों की उपस्थिति पंजी
4. मासिक-सह-खाद्यान्न वितरण पंजी
. गर्भवती/प्रसुती महिलाओं की सेवायें पंजी
6. भण्डार पंजी (पोषाहार)
7. भण्डार पंजी (अन्य सामग्री)
8. पूरक पोषाहार हेतु गठित समिति की पंजी
9. क्रय पंजी
10. गृह भ्रमण पंजी
11. टीकाकरण पंजी
12. जन्म-मृत्यु पंजी
13. महिला मण्डल पंजी
14. निरीक्षण पंजी
15. दवा वितरण पंजी
16. ग्रोथ चार्ट पंजी
17. सूखा राशि वितरण (T.H.R.) पंजी

13. **बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट :**

सभी परियोजना पदाधिकारी को बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की मांग आवश्यकतानुसार निदेशालय को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ।

14. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श केन्द्र है । उन आदर्श केन्द्रों की सफाई, बच्चों के बाल, नाखून, बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया । प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है । आज की बैठक में आदर्श केन्द्र की

एक भी सेविका या सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया । आगे से उन्हें बैठक में साथ लाने हेतु निदेश दिया गया ।

15. **भवन निर्माण :**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा एवं फतुहा द्वारा कार्यालय भवन पूर्ण होने एवं नये भवन में कार्यालय संचालन की बात कही गयी । पालीगंज में अभी तक नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरण नहीं हुआ है । बिहटा-8, मनेर-11, पालीगंज-2, फतुहा-4, पुनपुन-2 भवन पूर्ण होने की सूचना दी गयी। शेष केन्द्रों को जल्द से जल्द प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया ।

16. **मानदेय भुगतान :**

मीक्षा के क्रम में सभी परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि माह जनवीर 07 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया है । जल्द से जल्द माह फरवरी 07 का मानदेय भुगतान करने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया ।

17. **पोषाहार :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार सभी केन्द्रों को मार्च 07 तक पोषाहार वितरण करने हेतु राशि उपलब्ध करा दी गई है ।

18. **अवकाश :**

बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निरूपति किया गया है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है । साथ ही ऐसं अवकाश लोक सेवा के हितों के विरुद्ध पाये जाने पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए न कि अपरिहार्य कारणवश, अत्यावश्यक कार्य या अन्य भ्रमात्मक शब्द का उल्लेख हो । मुख्यालय से अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने पर स्थान का पता एवं सम्पर्क सूत्र का भी उल्लेख करना अनिवार्य है अन्यथा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । सभी परियोजना पदाधिकारी को संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन देना होगा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत होने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी एवं अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा ।

19. **मासिक प्रगति प्रतिवेदन :**

सभी बात विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह में 1 से 2 तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया । बैठक के दिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो पाती है ।

20. **कार्य दिवस :**

वैसे परियोजना पदाधिकारी जो दो परियोजना के प्रभार में हैं वे दोनों परियोजना में निम्न प्रकार कार्य दिवस में उपस्थित रहते हैं-

क्र.सं.	प्र० पदाधिकारी का नाम	परियोजना का नाम	कार्य दिवस
01.	श्रीमती कुमारी वैजन्ति	मोकामा	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बाढ़	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
02.	श्रीमती रेणु कुमारी	पण्डारक	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बख्तियारपुर	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
03.	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	बिक्रम	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		नौबतपुर	बुधवार, बृहस्पतिवार, सोमवार
04.	श्रीमती रश्मि सिंह	दानापुर	सोम, मंगल, शुक्र, शनिवार
		बिहटा	बुध, बृहस्पति, शनिवार
05.	श्रीमती ममता वर्मा	फुलवारीशरीफ	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
		पटना सदर	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
06.	श्रीमती माला कुमारी	मनेर	शुक्रवार, शनिवार, बुधवार
		पालीगंज	सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार

21. **अंकेक्षण :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द अंकेक्षण से संबंधित सभी लम्बित प्रतिवेदनों को शून्य करें।

22. **न्यायालय मामला :**

संबंधित परियोजना पदाधिकारियों को लम्बित न्यायालय मामलों में जल्द से जल्द प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

23. **जन्म-मृत्यु की समीक्षा :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में माह फरवरी 07 में जन्म-मृत्यु की स्थिति परियोजनावार निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिवेदित माह में कुल जन्म		प्रतिवेदित माह में कुल मृत्यु	
		लड़का	लड़की	पुरुष	औरत
1	पटना सदर	39	45	13	11
2	पटना ग्रामीण	20	16	8	7
3	पुनपुन	47	47	21	6
4	धनरूआ	0	3	1	1
5	मसौढ़ी	93	65	22	23
6	फतुहा	80	66	19	18

7	बख्तियारपुर	0	0	0	0
8	बाढ़	64	36	19	17
9	पंडारक	0	0	0	0
10	मोकामा	105	112	26	28
11	फुलवारीशरीफ	54	37	14	6
12	नौबतपुर	12	10	7	5
13	दानापुर	56	44	14	15
14	मनेर	53	47	17	12
15	बिहटा	34	32	4	4
16	बिक्रम	29	21	13	14
17	पालीगंज	69	77	19	17
	कुल	755	658	217	184

24. **डी.सी. विपत्र :**

समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को मार्च 07 के अन्त में निम्नलिखित प्रपत्र में डी.सी. विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

विहित विपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र सं.	विपत्र की राशि	डी.सी. विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

25. **कोषागार प्रशिक्षण :**

सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने कोषागार/उप-कोषागार में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षणोपरान्त एक लिखित परीक्षा लेकर सभी को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

26. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में उपस्थित श्रीमती सुषमा क़पूर द्वारा पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है। सभी परियोजना पदाधिकारी को प्राप्ती की सूचना एवं वितरण हेतु कार्य तालिका बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया।

बताया गया कि आये दिन पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति हेतु भेजे जा रहे वाहन को परियोजना स्तर पर पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है,

जिसके कारण निर्धारित मार्ग की अन्य परियोजनाओं में पौष्टिक लेमनचूस की आपूर्ति बाधित हो रही है। साथ ही आवंटित मात्रा से कम या अधिक मात्रा में पौष्टिक लेमनचूस लेने हेतु दबाव डाला जा रहा है। कुछ परियोजना पदाधिकारियों द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने की भी बात बतायी गयी।

जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय भेजने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

27. **नियमित टीकाकरण :**

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्णित दिन को प्रखण्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं रखने का, उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता-पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है।

28. **पल्स-पोलियो :**

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। पल्स पोलियो राउण्ड के दरम्यान संध्याकालीन समीक्षात्मक बैठक में अनुपस्थित पाये जाने के कारण श्रीमती इन्दु कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पण्डारक, श्रीमती रश्मि सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दानापुर एवं श्रीमती सुगन्धा शर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिक्रम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/कर्मचारी को मुख्यालय में रहकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने, सभी आगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्तियों को तुरंत भरने एवं पोषाहार की राशि का सही-सही व्यय करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

Rabindra Kumar 16.3.07	Rajender 17.3.07
(रवीन्द्र कुमार)	(बी. राजेन्दर)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना	जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-245 दिनांक 19.3.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-245 दिनांक 19.3.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-245 दिनांक 19.3.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-245 दिनांक 19.3.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 9.4.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति :**

पंजी के अनुसार ।

आज की बैठक में श्रीमती किरण त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, फतुहा बिना पूर्व सूचना/छुट्टी के अनुपस्थित पायी गयीं । बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा को श्रीमती त्रिपाठी से अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने का निदेश दिया गया । श्रीमती नीलम रानी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना बाढ़, आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकीं ।

2. **आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य :**

आई.सी.डी.एस. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्देश्य हैं

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना ।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना ।
3. मृत्युता, मानसिक अस्वस्थ्यता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना ।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना ।
5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना ।

श्रीमती एन. नैय्यर, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा सभी उद्देश्य बहुत ही अच्छे ढंग से बताये गये । उद्देश्यों की व्याख्या भी उनके द्वारा की गयी । उद्देश्य न. 4 के संबंध में बताया गया कि यदि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने हेतु बैठक की जाती है तो उस बैठक की कार्यवाही की प्रति जिला को भी उपलब्ध करायी जाय । उद्देश्य नं. 5 के संबंध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि माताओं को योग्य बनाने की दिशा में की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन जिला को प्रत्येक माह के अन्त में अवश्य उपलब्ध करायें ।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का पूर्व से ही निदेश दिया गया था । सभी लोग यथा निदेशित अपने-अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये । एक बार पुनः निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा ।

4. **नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	9.4.2007 तक की अद्यतन स्थिति					
		स्वीकृत केन्द्र	चयन की स्थिति	शेष (3-4)	नामांकन पत्र निर्गत की स्थिति	जिला स्तर पर सूची प्रेक्षण की स्थिति (से./सहा.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	112	34	10		0	88 केन्द्र वापस करना है।
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	192	172	20	0	0	
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	104	40	0	0	27 केन्द्र वापस करना है।
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	103	9	0	100/80	45 केन्द्र वापस करना है।
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	144	24	0	144/103	
06.	पटना ग्रामीण	20	19	01	0		
07.	पुनपुन-सम्पतचक	96	53	43	0	0	
08.	धनरूआ	48	41	7	0	41/41	
09.	मसौढ़ी	87	87	0	15	85/80	
10.	फतुहा-दनियावां	65	57	8	30	53/53	
11.	खुसरूपुर	34	29	5	0	28/29	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	59	29	30	0	27/18	
13.	बाढ़-अथमलगोला	77	65	12	62	61/58	
14.	पण्डारक	0	0	0	0	0	8 केन्द्र वापस करना है।
15.	मोकामा-घोसवरी	24	23	1	21	23/23	
16.	फुलवारीशरीफ	16	2	14	0	0	
17.	नौबतपुर	12	12	0	0	12/12	
18.	दानापुर	78	69	9		53/44	
19.	मनेर	70	56	14	7	56/56	
20.	बिहटा	33	30	3	20	30/25	
21.	बिक्रम	21	21	0	0	21/21	
22.	दुल्हिन बाजार	19	19	0	19	19/19	
23.	पालीगंज	36	30	6	0	30/29	
	कुल	1595	1199	396	174	783/691	

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-1 द्वारा 88, पटना सदर-3 द्वारा 27 एवं पटना सदर-4 द्वारा 45 केन्द्र शहरी क्षेत्र में लाभान्वित नहीं रहने के कारण वापस करने को कहा गया।

उन्हें कारण सहित जल्द से जल्द केन्द्रों को लिखित रूप में वापस करने का निदेश दिया गया।

बैठक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा / बाढ़ / मसौढ़ी / दानापुर / बिहटा / धनरूआ / मोकामा द्वारा बैठक में ही चयनित सेविका/सहायिका की सूची उपलब्ध करायी गयी। शेष सभी परियोजना पदाधिकारियों को शाम 5 बजे तक गोपनीय शाखा में निश्चित रूप से सूची उपलब्ध कराते हुए उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त करने का निदेश दिया गया। जो पदाधिकारी सूची उपलब्ध नहीं करायेंगे उनका चयन शून्य मानते हुए उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। बाहुल्य वर्ग/मेधा सूची/चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं की तुरंत सूची सार्वजनिक करने हेतु सभी परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया। बैठक में मात्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुनपुन-सम्पतचक द्वारा 5, मसौढ़ी द्वारा 21, फतुहा द्वारा 30, बाढ़ द्वारा 62, मोकामा द्वारा 21, बिहटा द्वारा 20, विक्रम द्वारा 21 एवं दुल्हिन बाजार द्वारा 19 नामांकन पत्र बाँटने की बात कही गयी। सभी चयनित सेविकाओं/सहायिकाओं को तुरंत नामांकन पत्र निर्गत कर जिला को लिखित सूचना देने का निदेश दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि आए दिन जनता दरबार में यह शिकायत मिल रही है कि सर्वेक्षण कार्य ठीक से नहीं किया गया है पोषक क्षेत्र के निर्धारण में गड़बड़ी की गयी है फर्जी प्रमाण-पत्र वालों की बहाली की जा रही है, मेधा सूची को नजरअन्दाज किया जा रहा है, प्राप्त सभी आवेदनों को मेधाा सूची में सम्मिलित नहीं कर उसे गायब किया जा रहा है, मेधा सूची का प्रकाशन भी नहीं किया जा रहा है, आम सभा की सूचना भी विधिवत नहीं की जा रही है, आम सभा की मात्र औपचारिकता पूरी की जाती है, जनप्रतिनिधियों के संबंधी का चयन किया जा रहा है। बहु-बेटी का बहाना बनाकर योग्य उम्मीदवार को चयन से वंचित किया जा रहा है, पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिक अंक वाले आवेदन पत्र को गायब किया जा रहा है एवं पंचायत सचिव द्वारा प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है। सभी परियोजना पदाधिकारी सभी शिकायतों को अच्छी तरह जांच लें अन्यथा जिला स्तर से गठित जांच दल द्वारा अगर शिकायतें सही पायी जायेंगी तो किसी भी पदाधिकारी को छोड़ा नहीं जायेगा और उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। चयन कार्य पूरी ईमानदारी/पूरी पारदर्शिता एवं विभागीय नियमानुसार किया जाय।

जिस प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत सचिव या मुखिया द्वारा मेधा सूची ससमय उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिनके द्वारा नामांकन पत्र निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, उनके विरुद्ध लिखित सूचना संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को का निदेश दिया गया ताकि उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बैठक में परियोजना पदाधिकारियों द्वारा निम्नलिखित समस्याएं लिखित रूप में दी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वार्ड/केन्द्र का नाम	समस्याएं
01.	मोकामा	वार्ड सं. 02	वार्ड पार्षद आम सभा के तिथि का पत्र लेने से इन्कार किया।
		वार्ड सं-11 एवं 22	वार्ड पार्षद द्वारा सेविका/सहायिका का नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है।

02.	बाढ़	सबनीमा पंचायत	इस पंचायत में 5 केन्द्र हैं पंचायत सेवक एवं मुखिया में आपसी विवाद के कारण चयन नहीं हो रहा है।
		नीरकप	ग्रामीणों द्वारा हंगामा के कारण चयन नहीं हो पा रहा है।
		अड़ुआरा, भूमिहार टोला	केन्द्र पर ग्रामीणों द्वारा विधवा के चयन हेतु दबाव डाला जा रहा है।
		छकवाहाचक/बिल्हौर/फतेहपुर/ गणपत राय हरि. टोला/सतरह बिगहा	चयनोपरान्त मुखिया द्वारा नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है।
03.	बख्तियारपुर बेल्छी	काला दियरा पंचायत	मेधा सूची अप्राप्त
		सिरसी	मुखिया द्वारा नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है।
04.	पुनपुन	लखना उत्तरी-पश्चिमी	मुखिया द्वारा चयन हेतु तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है।
05.	धनरूआ	बालक चन्द	नवा पास उम्मीदवार को वोटिंग द्वारा चयन करने हेतु विवाद खड़ा करके कार्यवाही पंजी पर हस्ताक्षर नहीं किया गया।
06.	मसौढ़ी	वार्ड-1/तरेगना	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त श्रीमती सीता देवी, पोषक क्षेत्र की बेटी है, किन्तु पोषक क्षेत्र में पति के नाम से मकान है।
		वार्ड 3/कैलाशनगर	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त उम्मीदवार 30% विकलांग है। सिविल सर्जन द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत है।
		वार्ड 4	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त उम्मीदवार का पति मसौढ़ी महाविद्यालय में व्याख्याता है।
		वार्ड-8	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त उम्मीद..., पोषक क्षेत्र की बेटी है, किन्तु उनके नाम से जमीन है।
		वार्ड-11	मेधा सूची में अंक प्राप्त उम्मीदवार, पोषक क्षेत्र की बेटी है, किन्तु उनके नाम से जमीन है।
		सुधीरचक पंचायत-नूरा	सर्वोच्च अंक मेधा सूची में प्राप्त उम्मीदवार के पति पैक्स के सचिव हैं।

07.	फतुहा खुशरूपुर	प्रहलादपुर	यहां अनु.जाति का बाहुल्य है और अनु. जाति का चयन करने में विवाद है।
		चक	यहां पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है और पिछड़ा वर्ग का चयन करने में विवाद है। ग्रामीणों द्वारा आम सभा का बहिष्कार किया गया।
		पियरिया/जमालपुर/यमुनापुर	मुखिया/उप-मुखिया एवं पंचायत सचिव के बीच आपसी विवाद/ मेधा सूची अप्राप्त/ आम सभा रद्द।
		बैठकपुर मुसहरी	दो जातियों द्वारा जाति बाहुल्य में परिवर्तन करने हेतु दबाव डाला जा रहा है। फलस्वरूप आम सभा स्थगित।
		नत्थूपुर एवं गनीपुर	पंचायत सचिव के छुट्टी पर जाने के कारण महिला पर्यवेक्षिका द्वारा सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर आम सभा सम्पन्न। स्वीकृति अपेक्षित।
		अलावलपुर चमरटोली	मुख़िया के मनोनुकूल चयन नहीं किये जाने के कारण आम सभा बाधित।
		शेख मुहम्मत केन्द्र	मुखिया/पंचायत सेवक द्वारा मेधा सूची का प्रेषण नहीं एवं चयन में मनमानी।
		दनियावां/नीमी	मुखिया एवं पंचायत सेवक के बीच ताल-मेल का अभाव। मेधा सूची अनुपलब्ध।
		विक्रमपुर	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवक की प्रतिनियुक्ति नहीं करने के कारण।
		चकरज्जा	मुखिया एवं पंचायत सेवक का असहयोगात्मक रवैया एवं मेधासूची अप्राप्त।
08.	पटना ग्रामीण		वार्डों में विधवा को चयन करने के लिए आम सभा में प्राथमिकता के आधार पर करने को कहा जाता है।
			वार्डों में जो आवेदिका अस्थायी रूप में आवासीय दी है तथा वोटर लिस्ट में नाम है, उसका चयन किया जा सकता है या नहीं।
			जिस आवेदिका का मतदाता सूची में दो जगह नाम है। ग्राम सभा के बाद उसे दिखाया जा रहा है, उसका चयन किया जायेगा या नहीं।
			अगर उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची एवं प्रमाण पत्र में अलग अलग है, वैसी स्थिति में क्या किया जायेगा।

सभी समस्याओं का तुरंत निदान करने का आश्वासन दिया गया।

जिला प्रोग्राम कार्यालय के संबंधित कर्मचारी को सभी प्राप्त शिकायत पत्रों को प्रखण्डवार संचिका में संधारित कर उसपर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

चयन से संबंधित सभी कागजातों का संधारण एवं रख-रखाव ठीक से करने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी जांच हो तो उसे उपस्थापित किया जा सके।

5. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

पटना जिला अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को अपने कर्त्तव्यों/कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें चयनमुक्त किया गया।

परियोजना का नाम	क्र.सं.	केन्द्र का नाम	सेविका/सहायिका का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
मोकामा	1	जंजीरा	श्रीमती रागिनी कुमारी	सेविका	
	2	पंजना	श्रीमती रेखा कुमारी	सेविका	
	3	शिवनार	श्रीमती किरण कुमारी	सहायिका	
	4	कुर्मीचक	श्रीमती सुनिता देवी	सहायिका	
	5	मेकरा	श्रीमती सरस्वती देवी	सहायिका	
	6	मोर पश्चिम	श्रीमती राजकुमारी देवी	सहायिका	
	7	कन्हाईपुर	श्रीमती अनिअणिभा	सहायिका	
	8	मेकरा	श्रीमती रंजना कुमारी	सहायिका	
	9	तारतर	श्रीमती प्रवीण बॉबी	सेविका	
	10	शिवनार	श्रीमती बबिता कुमारी	सहायिका	त्याग पत्र
	11	शिवनार	श्रीमती नीलम कुमारी	सेविका	त्याग पत्र
	12	मुरारपुर	श्रीमती मनोरमा कुमारी	सहायिका	त्याग पत्र
बाढ़	13	कोरारी उ.भाग	श्रीमती कल्पना कुमारी	सेविका	
	14	गोपीनाथ	श्रीमती उर्मिला देवी	सेविका	
	15	गोपीनाथ	श्रीमती सावित्री देवी	सहायिका	
	16	बाढ़	श्रीमती पुष्पा देवी	सेविका	त्याग पत्र
पटना सदर	17	करबिगहिया	श्रीमती राजमणि सिन्हा	सेविका	
	18	नाला रोड	श्रीमती सुषमा कुमारी	सेविका	
	19	यारपुर	श्रीमती रीता रानी	सेविका	
पण्डारक	20	चकला	श्रीमती रंजना देवी	सेविका	
बिक्रम	21	डोरवां	श्रीमती प्रमिला देवी	सेविका	
	22	मांजक्का	श्रीमती अरून्ती देवी	सेविका	त्याग पत्र

	23 गोरखरी	श्रीमती चन्द्रावती देवी	सहायिका	
फुलवारीशरीफ	24 महतवाना	श्रीमती फरहा बानो	सहायिका	त्याग पत्र
	25 जैवर	श्रीमती कान्ति देवी	सहायिका	त्याग पत्र
दानापुर	26 मानस हरि.टो.	सुशीला देवी	सहायिका	मृत्यु
	27 खगड़ी मुसहरी	मो. गौरी देवी	सहायिका	मृत्यु
	28 बाबूचक	पानपातो देवी	सहायिका	मृत्यु

बैठक में उपस्थित वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम एवं संबंधित सहायक को चयन रद्द से संबंधित जो भी लम्बित मामले हैं उन्हें तुरंत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

6. **अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण**

समीक्षा के क्रम में अक्तूबर 06 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता वर्मा	12	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	91
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	11	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	0
				2. श्रीमती प्रीति बाला	15
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	1
				4. श्रीमती मंजू झा	10
				5. श्रीमती लालती कुमारी	25
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	20	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	21
4	[illegible]	श्रीमती मंजु कुमारी	0	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	0
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी	0
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	0	1. श्रीमती विद्या भूषण	15
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	28	1. श्रीमती वीणा कुमारी	26
				2. श्रीमती निर्मला सहाय	36
7	फतुहा	श्री प्रभात कुमार सिंह	6	1. श्रीमती पूनम कुमारी	6
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	7
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	0
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	5
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती उषा कुमारी	0
				2. श्रीमती भारती साहा	0

9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	12	1. श्रीमती गायत्री रानी	10
				2. श्रीमती नीलम रानी	0
				3. श्रीमती मधु कु. महता	10
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	6	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	28
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	10	1. श्रीमती राम प्यारी	12
				2. श्रीमती सुधा कु. सिन्हा	12
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	6	1. श्रीमती मीना कुमारी	19
				2. श्रीमती सुषमा रानी	22
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	6	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	08
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	10	1. श्रीमती प्रतिभा नारायण	28
				2. श्रीमती छवि कुमारी	
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	7	1. श्रीमती सुधा कुमारी	8
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	8	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	25
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	0	1. श्रीमती मंजू कुमारी	0
				2. श्रीमती आरती सिंह	0

बैठक में सभी परियोजना पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके।

7. निबंध :

दिनांक 5.2.2007 की बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निबन्ध "आंगनबाड़ी केन्द्र का कोटीकरण एवं ग्रेडेशन का आधार क्या हो" पर कम-से-कम 150 शब्दों तथा स्वहस्तलिखित जमा करने का आदेश दिया गया था। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा श्री प्रभात कुमार सिंह, कुमारी देवमणि, मोकामा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नौबतपुर से महिला पर्यवेक्षिका सुषमा रानी/पालिगंज से आरती सिंह एवं मंजु कुमारी/पण्डारक से नीलिमा सिन्हा/बिक्रम से सुधा सिन्हा/मसौढ़ी से वीणा कुमारी एवं फतुहा से पूनम कुमारी द्वारा बैठक में निबन्ध जमा किया गया। मई 07 की मासिक बैठक में चयनित निबन्ध की घोषणा की जायेगी।

8. **आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लाभान्वितों की सूची :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी

उपलब्ध कराई गई है, जबकि लाभान्वितों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मात्र पटना सदर, पटना ग्रामीण, फतुहा, मसौढ़ी, दानापुर, धनरूआ, बिहटा एवं मनेर से ही मात्र उपलब्ध कराया गया है। शेष परियोजना पदाधिकारी को जल्द से जल्द लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम रूप से चेतावनी दी गई।

9. **साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक :**

सभी परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने एवं अपना विषय तुरंत समाप्त कर अपने कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने को कहा गया। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में ही निदेश दिये जा चुके हैं।

10. **मुख्यालय में आवासन :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी पर्यवेक्षिका/सभी कर्मचारी को मुख्यालय में अपना आवास रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी पदाधिकारी मुख्यालय में रहकर सरकारी गाड़ी का दुरूपयोग करेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। मुख्यालय में रहकर ही योजना की सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त समय दिया जा सकता है। अनावश्यक रूप से जैसे माननीय उच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करने, रिट की कॉपी प्राप्त करने आदि के नाम पर पटना में नहीं घूमा जाय। फतुहा की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती प्रमिला सिन्हा द्वारा बताया गया कि वे गोविन्दपुर में रहती हैं जबकि वहीं की महिला पर्यवेक्षिका पूनम कुमारी द्वारा बताया गया कि वे समसपुर में रहती है। मोकामा की महिला पर्यवेक्षिका श्री सुधा कुमारी द्वारा बताया गया कि वे वहां पर तीन सालों से पदस्थापित हैं किन्तु वहां नहीं रहता हैं। पालीगंज की महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि वह पालीगंज में रहती हैं। पटना ग्रामीण की महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती इन्दु कुमारी एवं श्रीमती मनोरमा कुमारी द्वारा बताया गया कि वे पटना में रहती हैं। वर्तमान की परिस्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए बताया गया कि सभी लोग अपने-अपने परियोजना क्षेत्र में निवास करें अन्यथा बाहर रहने वाले पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी।

11. **केन्द्रों पर बोर्ड की स्थिति की समीक्षा :**

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगा दिये गये हैं। इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र देने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया। बोर्ड बनाने में लागत राशि का व्यय केन्द्र आकस्मिकता मद से की जायेगी।।

12. **केन्द्रों पर संधारित की जानेवाली पंजियां :**

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिन 17 पंजियों का संधारण किया जाता है उनका संधारण प्रति दिन ठीक ढंग से करने एवं उन्हें हमेशा अद्यतन रखने हेतु निदेश दिया गया। केन्द्रों पर संधारित की जाने वाली 17 पंजियों का क्रमांक निम्न प्रकार बताया गया-

1. सर्वेक्षण पंजी
2. स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित पंजी
3. लाभान्वितों की उपस्थिति पंजी

4. मासिक-सह-खाद्यान्न वितरण पंजी
5. गर्भवती/प्रसुती महिलाओं की सेवायें पंजी
6. भण्डार पंजी (पोषाहार)
7. भण्डार पंजी (अन्य सामग्री)
8. पूरक पोषाहार हेतु गठित समिति की पंजी
9. क्रय पंजी
10. गृह भ्रमण पंजी
11. टीकाकरण पंजी
12. जन्म-मृत्यु पंजी
13. महिला मण्डल पंजी
14. निरीक्षण पंजी
15. दवा वितरण पंजी
16. ग्रोथ चार्ट पंजी
17. सूखा राशि वितरण (T.H.R.) पंजी

13. **बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट :**

सभी परियोजना पदाधिकारियों को बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की मांग आवश्यकतानुसार निदेशालय को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जहां भी मशीन एवं ग्रोथ चार्ट उपलब्ध है वहां ईमानदारी से सभी बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से उनका ग्रेडेशन निकाला जाय। तभी इस सेवा का लाभ वास्तविक बच्चों को मिल सकेगा। समय-समय पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निश्चिम रूप से इसकी जांच करें।

14. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श केन्द्र है। उन आदर्श केन्द्रों की सफाई, बच्चों के बाल, नाखून, बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है। आज की बैठक में आदर्श केन्द्र की एक भी सेविका या सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया। आगे से उन्हें बैठक में साथ लाने हेतु निदेश दिया गया।

15. **भवन निर्माण :**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा एवं फतुहा द्वारा कार्यालय भवन पूर्ण होने एवं नये भवन में कार्यालय संचालन की बात कही गयी। पालीगंज में अभी तक नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरण नहीं हुआ है। बिहटा-8, मनेर-11, धनरूआ-5, मसौढ़ी-1, पालीगंज-2, फतुहा-4, पुनपुन-7 भवन पूर्ण होने की सूचना दी गयी। शेष केन्द्रों को जल्द से जल्द प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया।

16. **मानदेय भुगतान :**

समीक्षा के क्रम में सभी परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 07 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। मार्च 07 का मानदेय भुगतान आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

17. **पोषाहार :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार सभी केन्द्रों को मार्च 07 तक पोषाहार वितरण करने हेतु राशि पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। बख्तियारपुर/पण्डारक/नौबतपुर/पालीगंज/पटना ग्रामीण को छोड़कर शेष परियोजना में अगले तीन माह हेतु भी राशि उपलब्ध करा दी गयी है।

18. **अवकाश :**

बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निर्धारित किया गया है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अवकाश लोक सेवा के हित के विरुद्ध पाये जाने पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए न कि अपरिहार्य कारणवश, अत्यावश्यक कार्य या अन्य भ्रमात्मक शब्द का उल्लेख हो। मुख्यालय से अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने पर स्थान का पता एवं सम्पर्क सूत्र का भी उल्लेख करना अनिवार्य है अन्यथा अवकाश को स्वीकृत नहीं दी जायेगी। सभी परियोजना पदाधिकारी को संबोधन अनुमण्डल पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन देना होगा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत होने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी एवं अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा।

19. **मासिक प्रगति प्रतिवेदन :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह में 1 से 2 तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बैठक के दिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो पाती है।

20. **कार्य दिवस :**

वैसे परियोजना पदाधिकारी जो दो परियोजना के प्रभार में हैं वे दोनों परियोजना में निम्न प्रकार कार्य दिवस में उपस्थित रहते हैं

क्र.सं.	परि. पदाधिकारी का नाम	परियोजना का नाम	कार्य दिवस
01.	श्रीमती कुमारी देवमणि	मोकामा	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बाढ़	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
02.	श्रीमती इन्दु कुमारी	पण्डारक	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बख्तियारपुर	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
03.	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	बिक्रम	मंगलार, गुरुवार, शनिवार
		नौबतपुर	बुधवार, वृहस्पतिवार, सोमवार

04.	श्रीमती रश्मि सिंह	दानापुर	सोम, मंगल, शुक्र, शनिवार
		बिहटा	बुध, वृहस्पति, शनिवार
05.	श्रीमती ममता वर्मा	फुलवारीशरीफ	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
		पटना सदर	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
06.	श्रीमती माल कुमारी	मनेर	शुक्रवार, शनिवार, बुधवार
		पालीगंज	सोमवार, मंगलवार, वृहस्पतिवार

21. **अंकेक्षण :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द अंकेक्षण से संबंधित सभी लम्बित प्रतिवेदनों को शून्य करें।

22. **न्यायालय मामला :**

संबंधित परियोजना पदाधिकारियों को लम्बित न्यायालय मामलों में जल्द से जल्द प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

23. **जन्म-मृत्यु की समीक्षा :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में माह फरवरी 07 में जन्म-मृत्यु की स्थिति परियोजनावार निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिवेदनि माह में कुल जन्म		प्रतिवेदित माह में कुल मृत्यु	
		लड़का	लड़की	पुरुष	औरत
1	पटना सदर	0	0	0	0
2	पटना ग्रामीण	0	0	0	0
3	पुनपुन	45	42	15	12
4	धनरूआ	0	0	0	0
5	मसौढ़ी	56	39	28	17
6	फतुहा	114	84	14	13
7	बख्तियारपुर	0	0	0	0
8	बाढ़	71	54	16	14
9	पंडारक	70	54	23	12
10	मोकामा	72	69	31	25
11	फुलवारीशरीफ	32	40	13	12
12	नौबतपुर	73	27	12	9

13	दानापुर	0	0	0	0
14	मनेर	53	47	17	12
15	बिहटा	0	0	0	0
16	बिक्रम	12	16	12	16
17	पालीगंज	67	48	26	21
	कुल	665	520	207	163

24. डी.सी. विपत्र :

समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को मार्च 07 के अन्त में निम्नलिखित प्रपत्र में डी.सी. विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

विहित विपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र सं.	विपत्र की राशि	डी.सी. विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

25. **कोषागार प्रशिक्षण :**

सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने अपने कोषागार/उप कोषागार में पुन: प्रशिक्षण प्राप्त करें। प्रशिक्षणोपरान्त एक लिखित परीक्षा लेकर सभी को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। कुमारी देवमणी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोकामा द्वारा बताया गया कि वे 1.3.2007 से 31.3.2007 तक कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हैं।

26. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है। सभी परियोजना पदाधिकारी को प्राप्ती की सूचना एवं वितरण हेतु कार्य तालिका बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय भेजने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

27. **नियमित टीकाकरण :**

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्णित दिन को प्रखण्ड स्तर

पर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं रखने का, उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता-पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ ला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है।

28. **पल्स-पोलियो :**

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरा-पुरा अपना सहयोग देने का निदेश दिया गया।

सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/कर्मचारी को मुख्यालय में रहकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने, सभी आगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्तियों को तुरंत भरने एवं चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने, ईमानदारी एवं नियमानुसार चयन करने, नामांकन पत्र तुरंत उपलब्ध कराने, चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं की सूची जिला को उपलब्ध कराने तथा पोषाहार की राशि का सही-सही व्यय करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX - 8/05 II - 326 दिनांक 27.4.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II - 326 दिनांक 27.4.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(श्री. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक 326 दिनांक 27.4.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(श्री. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक 326 दिनांक 27.4.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रषित।

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(श्री. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 7.5.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. **उपस्थिति :**

पंजी के अनुसार।

आज की बैठक में श्रीमती किरण त्रिपाठी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, फतुहा, श्रीमती सरोज प्रसाद, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, दानापुर सम्प्रति प्रतिनियुक्त बाल विकास परियोजना, दुल्हिन बाजार बिना पूर्व सूचना/छुट्टी के अनुपस्थित पायी गयीं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, फतुहा एवं दुल्हिन बाजार क्रमशः श्रीमती किरण त्रिपाठी एवं श्रीमती सरोज प्रसाद से अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजने का निदेश दिया गया। श्रीमती नीलम रानी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाढ़ एवं श्रीमती सुधा कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सकीं। श्रीमती सुषमा रानी, नई महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, बिहटा में दिनांक 7.3.2007 को योगदान किये हैं, बैठक में उपस्थित पायी गयी।

2. **आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य :**

आई.सी.डी.एस. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्देश्य हैं-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
3. मृत्युता, मानसिक अस्वस्थ्यता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

श्रीमती रश्मि सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दानापुर द्वारा सभी उद्देश्य बहुत ही अच्छे ढंग से बताये गये। उद्देश्यों की व्याख्या भी उनके द्वारा की गयी।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का पूर्व से ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने-अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार पुनः निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा।

4. **नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा लिखित रूप में निम्न प्रकार दी गयी-

नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	112	113	115	15	-	108	104	10	0	94 केन्द्र वापस करना है
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	192	186	186	6	6	70	70	-	-	
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	109	109	-	-	35	35	-	-	
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	112	105	86	07	26	88	80	-	-	45 केन्द्र वापस करना है
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	151	112	17	56	113	105	-	-	
06.	पटना ग्रामीण	20	19	19	1	1	2	2	-		-
07.	पुनपुन-सम्पतचक	96	58	58	38	38	8	8	-		-
08.	धनरूआ	48	41	40	7	8	7	7	-		-
09.	मसौढ़ी	87	87	87	0	0	48	48	-		-
10.	फतुहा-दनियावां	65	56	57	9	8	46	46	-	-	
11.	खुसरूपुर	34	28	29	6	5	18	18	-	-	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	59	31	23	28	36	24	15	24	-	
13.	बाढ़-अथमलगोला	77	69	68	8	9	3	63	35	-	
14.	पण्डारक	-8	-	-	-	-	-	-	-		
15.	मोकामा-घोसवरी	24	23	23	1	1	22	21	-	-	
16.	फुलवारीशरीफ	65	57	51	8	14	23	19	17	0	
17.	नौबतपुर	12	12	12	0	0	11	11	-	-	
18.	दानापुर	78	78	78	0	0	78	78	35	-	
19.	मनेर	70	58	58	12	12	25	10	25	-	
20.	बिहटा	33	31	31	2	2	32	32	32	-	
21.	बिक्रम	21	21	21	0	0	20	20	-	-	
22.	दुल्हिन बाजार	19	19	19	0	0	18	18			
23.	पालीगंज	34	28	29	6	5	18	18	-		
	कुल	1589	1380	1311	171	227	817	828	178		

पुराने स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	110									
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)										
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)										
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)										
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)										
06.	पटना ग्रामीण	46	46	45	0	1	–	–	45	45	
07.	पुनपुन-सम्पतचक	90	89	88	01	02			89	88	
08.	धनरूआ	127	127	125	0	2					
09.	मसौढ़ी	118	115	118	3	0					
10.	फतुहा-दनियावां	149	148	148	1	1			148	148	
11.	खुसरूपुर	46	45	44	1	2			45	44	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	125	125	125					124	116	
13.	बाढ़-अथमलगोला	151	148	150	3	1			147	150	
14.	पण्डारक	123	130	129					130	129	
15.	मोकामा-घोसवरी	200	192	191	8	9			192	190	
16.	फुलवारीशरीफ	125	124	119	1	6			124	119	
17.	नौबतपुर	158	156	156	2	2			156	156	
18.	दानापुर	135									
19.	मनेर	138	138	136		02					
20.	बिहटा	174									
21.	बिक्रम	118	117	117	1	1			117	117	
22.	दुल्हिन बाजार	84	82	83	2	1			82	83	
23.	पालीगंज	170	163	164	07	06					
	कुल	2387	1945	1938	30	36	0	0	1399	1385	

श्रीमती ममता वर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-1 द्वारा स्वीकृत/चयनित/दिक्षित एवं प्रशिक्षण की स्थिति सही-सही नहीं बतायी गयी। इस संबंध में उन्हें स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया। बाल विकास परियोजना, पटना सदर-1 में पूर्व से स्वीकृत 110 केन्द्रों में से कितने केन्द्रों का स्थानान्तरण पटना सदर-2, पटना सदर-3, पटना सदर-4 एवं पटना सदर-5 में हुआ है तथा कितने केन्द्र पटना सदर-1 में अवशेष रह गये हैं, इसे स्पष्ट नहीं किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पुनपुन-सम्पतचक द्वारा नवस्वीकृत केन्द्र से ज्यादा चयन कर लिया गया है इस संबंध में वे अपना स्पष्टीकरण देंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पण्डारक जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करेंगे कि 8 आंगनबाड़ी केन्द्र पण्डारक से कटकर किस परियोजना में स्थानान्तरित हुए हैं। उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धनरूआ/मसौढ़ी/नौबतपुर/दानापुर/मनेर/बिहटा/पालीगंज द्वारा पुराने स्वीकृत केन्द्रों पर प्रशिक्षण की स्थिति सही-सही नहीं बतायी गयी है। सही-सही प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना ग्रामीण द्वारा चयनित आंगनबाड़ी/सहायिका की सूची पूर्व में ही जमा कर देने की बात कही गयी, किन्तु बैठक में प्राप्ति रसीद उनके द्वारा नहीं दिखाई गई। शेष परियोजना पदाधिकारियों द्वारा समर्पित हस्तलिखित सूची अपठनीय एवं अस्पष्ट पायी गयी।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को 8.5.2007 को संध्या 6.00 बजे तक कम्प्यूरीकृत सूची नयी एवं पुरानी चयनित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की विहित प्रपत्र में निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि एवं समय तक सूची उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रपत्र-1 (नवस्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	सेवि/सहा. का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा पटना सदर-1 से 94 एवं पटना सदर-4 से 45 केन्द्रों को वापस करने हेतु लिखित प्रतिवेदन दिया गया। संबंधित सहायक को इस आशय की सूचना सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को देने हेतु निदेश दिया गया।

निदेश दिया गया कि अगर कहीं नगर परिषद के विघटित होकर नगर निगम बन जाने के कारण वार्ड सदस्य का अस्तित्व समाप्त हो गया हो या फिर कहीं पर नये नगर पंचायत/नगर परिषद के बन जाने तथा उसका गठन नहीं होने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में आम सभा हेतु अध्यक्ष बनाने में दिक्कत हो तो इस आशय का पत्र भेजें ताकि वहां पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु चयन समिति की अध्यक्षता के लिए जिला से किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सके।

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार होकर एवं चयन/नामांकन पत्र/प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति साथ लेकर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एकरूपता बनी रहे।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक सेविका/सहायिका की अलग-अलग पंजी/संचिका संधारित करने तथा उसका रख-रखाव सही ढंग से करने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी जांच हो तो उसे उपस्थापित किया जा सके।

5. चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

दिनांक 9.4.2007 की मासिक बैठक में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन में हो रही कठिनाईयों के बारे में पृच्छा की गयी थी। परियोजनावार एवं पृच्छावार समाधान निम्न प्रकार होंगे-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वार्ड/केन्द्र का नाम	पृच्छा/समस्याएं	समाधान
1.	मोकामा	वार्ड-2	वार्ड पार्षद आम सभा के तिथि का पत्र लेने से इनकार किया	पुनः तिथि निर्धारित कर सूचित करें। पुनः इन्कार की स्थिति में दूसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थी (अर्थात पराजित उम्मीदवार) के उपस्थिति में/लाभार्थी क्षेत्र के लोगों की उपस्थिति में कोरम पूरा करते हुए चयन की कार्रवाई की जाय।
		वार्ड-11 एवं 22	वार्ड पार्षद के द्वारा नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है।	वार्ड आयुक्त पर आरोप गठित कर जैसे सरकारी कार्य में विघ्न डालना/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विघ्न डालना/अभ्यर्थी का भयादोहन करना आदि पत्र भेजा जाय ताकि उन्हें पदमुक्त का प्रस्ताव अग्रसारित किया जा सके।
2.	बाढ़	सबनीमा	पंचायत सेवक एवं मुखिया के आपसी विवाद के कारण चयन बाधित	पंचायत सेवक एवं मुखिया के विरुद्ध आरोप गठित कर भेजें ताकि उनके ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
		नीररूप	ग्रामीणों के हंगामा के कारण चयन नहीं हो रहा है।	हंगामा का कारण स्पष्ट किया जाय।

		अछुआरा	ग्रामीणों द्वारा विधवा के चयन हेतु दबाव डाला जा रहा है।	मार्गदर्शिका में स्पष्ट निदेश है कि मेधा अंक समान होने की स्थिति में ही विधवा को प्राथमिकता देना है। ग्रामीणों द्वारा दबाव दिया जाना स्पष्ट करता है कि चयन के प्रावधानों से लोगों को अवगत नहीं कराया गया है। नियम के आलोक में ही चयन किया जाय।
		हकवाहामक/बिरकौर/ सतरह बिगहा	मुखिया द्वारा नामांकन पत्र नहीं दिया जा रहा है।	मुखिया के विरुद्ध आरोप गठन कर बिहार पंचायती राज अध्यादेश 2006 के सुसंगत धारा के अन्दर प्रस्ताव भेजा जाय।
3.	बख्तियारपुर	कालादियारा/सिरसी	मेधा सूची अप्राप्त/नामांकन पत्र मुखिया द्वारा नहीं दिया जा रहा है।	पंचायत सेवक एवं मुखिया के विरुद्ध आरोप गठन कर पत्र भेजा जाय।
4.	पुनपुन	लखना उत्तरी-पश्चिमी	मुखिया द्वारा चयन की तिथि निर्धारित नहीं की जा रही है।	मार्गदर्शिका में दिये गये आलोक में अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।
5.	धनरूआ	बालकचन्द	नवां पास उम्मीदवार का वोटिंग के द्वारा चयन करने हेतु विवाद खड़ा किया गया।	स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्धारित योग्यता वाले उम्मीदवार थे या नहीं। यदि नहीं तो प्रमाण पत्र के साथ योग्यता शिथिल करने का प्रस्ताव भेजा जाय।
6.	मसौढ़ी	वार्ड-1 एवं 8	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त आवेदिका पोषक क्षेत्र की बेटी है। पोषक क्षेत्र में पति के नाम से मकान है।	स्थायी निवासी हैं अथवा नहीं, मतदाता सूची में नाम, राशन कार्ड उनके नाम निर्गत है या नहीं। यदि वे वहां के स्थायी निवासी हो गये हैं तो प्रधावधानानुसार उनका चयन पर विचार किया जाय।
		वार्ड-3	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त आवेदिका 30 प्रतिशत विकलांग है। सी.एस. का प्रमाण-पत्र निर्गत है।	निदेशानुसार विकलांग होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ्य नहीं है। यदि कर्त्तव्य को करने में सक्षम है तो चयन किया जाना प्रावधान के अनुकूल होगा। सरकारी सेवा में भी विकलांग को कुछ पद दिये जाते हैं।
		वार्ड-4	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त आवेदिका के पति मसौढ़ी महाविद्यालय में व्याख्याता है।	मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुसार चयन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अस्तु उसके बाद स्थान रखनेवाले का चयन किया जाय।
		वार्ड-11	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त आवेदिका के पति वित्तरहित कॉलेज में व्याख्याता है।	वित्तरहित कॉलेज के व्याख्याता को Loss of Tuition Fee के रूप में सरकार से प्राप्त राशि दी जाती है। ऐसे उम्मीदवार का चयन नियम के प्रतिकूल होगा। जो उम्मीदवार का चयन निदेशानुसार किया जाय।
		सुधीरचक	मेधा सूची में सर्वोच्च अंक प्राप्त आवेदिका के पति पैक्स के सचिव हैं।	सचिव का पद लाभ का पद नहीं होता है। अस्तु चयन किया जा सकता है।

7.	फतुहा	प्रह्लादपुर/चक	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है किन्तु बाहुल्य वर्ग से चयन करने में विवाद है	बाहुल्य वर्ग से चयन करने में विवाद क्यों है ? स्पष्ट किया जाय। मार्गदर्शिका के प्रावधान के आलोक में चयन सुनिश्चित किया जाय।
		पियरिया/जमालपुर/ यमुनापुर	मेधा सूची अप्राप्त। मुखिया एवं पंचायत सचिव के बीच आपसी विवाद	मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरुद्ध आरोपित गठित कर भेजा जाय, ताकि उनके ऊपर बिहार राज्य पंचायत राज अध्यादेश 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जा सके।
		वैकठपुर मुसहरी	दो जातियों द्वारा जाति बाहुल्य में परिवर्तन हेतु दबाव डाला जा रहा है।	सर्वेक्षण सही ढ़ंग से किया गया हो, मैपिंग सही किया गया हो, तो बाहुल्य वर्ग के निर्धारण में कठिनाई नहीं होगी। सर्वेक्षण एवं मैपिंग में त्रुटि होने पर विवाद स्वाभाविक रूप से होगा। मार्गदर्शिका के अनुसार चयन किया जाय। बहिष्कार की स्थिति में केन्द्र स्थल परिवर्तन कर चयन की कार्रवाई की जाय।
		नत्थुपुर एवं रानीपुर	पंचायत सचिव के अवकाश पर होने के कारण महिला पर्यवेक्षिका द्वारा आम सभा सम्पन्न	लोकहित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन क्रम में स्वीकृति दी जाती है।
		अलावलपुर/ शेखमुहम्मद/दनियांवां /नीमी एवं चकरज्जा	मुखिया के मनोनुकूल चयन नहीं होने के कारण आम सभा बाधित/मेधा सूची अप्राप्त	मुखिया के विरुद्ध सरकारी कार्य में विघ्न, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विघ्न, लोक कल्याणकारी योजना के क्रियन्वयन में विघ्न डालना का आरोप गठन कर पत्र भेजें, ताकि उनके ऊपर बिहार राज्य पंचायत राज अध्यादेश 2006 के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।
		विक्रमपुर	प्र.वि.पदाधिकारी द्वारा पंचायत सेवक की प्रतनियुक्ति नहीं करने के कारण।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर पंचायत सेवक की प्रतिनियुक्ति हेतु कहें।
8.	पटना ग्रामीण		वार्डों में विधवा को चयन हेतु दबाव डाला जाता है।	मार्गदर्शिका के प्रावधान को सर्वप्रथम आम सभा में बताया जाय। प्रावधान आम लोगों को समझ लेने के बाद चयन प्रक्रिया में बाधा की संभावना नहीं रहेगी।
			वार्डों में जो आवेदिका अस्थायी रूप से आवासीय दी है तथा वोटरलिस्ट में नाम है उसका चयन किया जा सकता है।	स्थायी निवासी का ही चयन प्रावधानानुसार होगा।
			जिस आवेदिका का दो जगह मतदाता सूची में नाम है उसका चयन किया जायेगा या नहीं।	संभव है कि एक जगह बेटी के रूप में नाम हो तथा दूसरी जगह बहू के रूप में। स्थानीय जांच से स्पष्ट होगा कि

			वास्तविकता क्या है ? तदनुसार कार्रवाई हागी।
		अगर उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची एवं प्रमाण पत्र में अलग-अलग है, वैसी स्थिति में क्या किया जायेगा।	संभावना है घरेलू नाम मतदाता सूची में हो एवं प्रमाण पत्र में अलग नाम हो। एक व्यक्ति के इस तरह दो नामों से जाने जाने की परंपरा है। इस संबंध में स्थानीय जांच से स्थिति स्पष्ट होगी। तदनुसार कार्रवाई की जाय।

आज पुनः बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा सेविका/सहायिका के चयन लम्बित रहने का निम्नलिखित कारण बताया गया-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	पंचायत का नाम	केन्द्र की संख्या/नाम	कारण
01.	मनेर	खासपुर	4	दो आमसभा में विवाद, हंगामा के कारण स्थगित।
02.		बांक	2	पंचायत सचिव से मेधासूची विलम्ब से प्राप्त
03.		शेरपुर पूर्वी	2	तीन आमसभा में विवाद के कारण स्थगित अनुमण्ठल पदाधिकारी, दानापुर से आमसभा करवाने का अनुरोध किया गया है।
04.		नगर पंचायत	2	आमसभा में विवाद के कारण स्थगित आचार संहिता लागू
05.		शेरपुर पश्चिम	1	निर्देश हेतु जिला में लम्बित
06.		सराय (उत्तर)	1	निर्देश की अपेक्षा में लंबित आवेदिका का दो पंचायत के मतदाता सूची में नाम है।
07.	पालीगंज	लालगंज सहेरा	कालोपुर	पुनः सर्वेक्षण करवाया गया है अनुमोदन लंबित है
08.		लालगंज सेहरा	लालगंज सेहरा उत्तर	दो आमसभा के उपरांत विवादित एवं स्थगित किया गया
09.		कल्याणपुर पैपुरा	पैपुरा पश्चिमी	विलम्ब से मेधा सूची प्राप्त
10.		रानीपुर	रानीपुर कुरकुरी	निर्देश हेतु जिला पदाधिकारी के पास भेजी गई है।
11.	फतुहा/खुशरूपुर	डुमरी एवं मौनीपुर		चयन कार्य में बाधा मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा
12.		अलावलपुर		चयन कार्य में बाधा मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा

13.		हरदासबिगहा		चयन कार्य में बाधा मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा
14.		बैकठपुर		चयन कार्य में बाधा मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा
15.		धनियांवा		चयन कार्य में बाधा मुखिया एवं पंचायत सेवक द्वारा

6. **चयन के विरुद्ध प्राप्त आरोप/शिकायत पत्रों की समीक्षा :**

संबंधित कर्मचारी, जन शिकायत कोषांग जिला प्रोग्राम कार्यालय को 8.5.2007 से गोपनीय शाखा में सभी शिकायतों की प्रखण्डवार कम्प्यूटर प्रति विहित प्रपत्र में तुरंत निकालकर उसकी छायाप्रति मुखिया/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उसपर एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन मांगने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात् जिला से पदाधिकारी सभी संबंधित अनुमण्डलों में अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ कैम्प लगाकर सभी शिकायत पत्रों का निष्पादन करेंगे।

विहित प्रपत्र

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	मोहल्ला/वार्ड/पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार	संबंधित परियोजना किनके विरुद्ध
1	2	3	4	5

प्रत्येक शिकायत की अलग-अलग संचिका संधारित करने एवं उसपर तुरन्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित कर्मचारी को दिया गया।

7. **प्रशिक्षण :**

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 20.4.2007 द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार एवं पत्र में दिये गये निदेशानुसार सभी संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में सेविकाओं/सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति अचूक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय से करेंगे। प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची अधोहस्ताक्षरी को भी निश्चिम रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

पटना जिला हेतु निर्धारित प्रशिक्षण कैलेण्डर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठयक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्ष-णार्थियों की संख्या
1.	पटना सदर-1	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. को इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	12
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठयक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्ष-णार्थियों की संख्या
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	23
2.	पटना सदर-2	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
3.	पटना सदर-3	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	31
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
4.	पटना सदर-4	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	7
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठ्यक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्ष-णार्थियों की संख्या
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	9
5.	पटना सदर-5	महिला नव भारत जागृति केन्द्र, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, इरकी, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	1
		महिला नव भारत जागृति केन्द्र, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, इरकी, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.5.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.06	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	28
		महिला नव भारत जागृति केन्द्र, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, इरकी, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
6.	पटना ग्रामीण	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	21
7.	पुनपुन	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	5
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठयक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्ष-णार्थियों की संख्या
8.	धनरूआ	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	13
9.	मसौढ़ी	ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	4
		रेशमा ग्रमीण विकास संघ, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		रेशमा ग्रामीण विकास संघ, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	15
10.	फतुहा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.5.07 से 20.6.07	30
11.	खुशरूपुर	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	34
12.	बख्तियारपुर	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		शमा विकास समिति, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, इस्लामपुर, नालन्दा	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	26
13.	बाढ़	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	5
14.	मोकामा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठयक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
15.	फुलवारीशरीफ	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	2
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	14
16.	नौबतपुर	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	12
17.	दानापुर	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
18.	मनेर	आगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, आरा, भोजपुर	सेवि.. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
19.	बिहटा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	33
20.	बिक्रम	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	21
21.	दुल्हिन बाजार	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	18
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	1
22.	पालीगंज	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	1

8. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

पटना जिला अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को अपने कर्त्तव्यों/कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें चयनमुक्त किया गया, जिसकी अद्यतन सूची निम्न प्रकार है-

परियोजना का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम	सेविका/सहायिका का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
मोकामा	1 जंजीरा	श्रीमती रागिनी कुमारी	सेविका	
	2 पैजना	श्रीमती रेखा कुमारी	सेविका	
	3 शिवनार	श्रीमती किरण कुमारी	सहायिका	
	4 कुर्मीचक	श्रीमती सुनिता देवी	सहायिका	
	5 मेकरा	श्रीमती सरस्वती देवी	सहायिका	
	6 मोर पश्चिम	श्रीमती राजकुमारी देवी	सहायिका	
	7 कन्हाईपुर	श्रीमती अनिअणिभा	सहायिका	
	8 मेकरा	श्रीमती रंजना कुमारी	सहायिका	
	9 तारतर	श्रीमती प्रवीण बॉबी	सेविका	
	10 शिवनार	श्रीमती बबिता कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	11 शिवनार	श्रीमती नीलम कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	12 मुरारपुर	श्रीमती मनोरमा कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
बाढ़	13 कोरारी उ.भाग	श्रीमती कल्पना कुमारी	सेविका	
	14 गोपीनाथ	श्रीमती उर्मिला देवी	सेविका	
	15 गोपीनाथ	श्रीमती सावित्री देवी	सहायिका	
	16 बाढ़	श्रीमती पुष्पा देवी	सेविका	त्याग-पत्र
पटना सदर	17 करबिगहिया	श्रीमती राजमणि सिन्हा	सेविका	
	18 नाला रोड	श्रीमती सुषमा कुमारी	सेविका	
	19 यारपुर	श्रीमती रीता रानी	सेविका	
पण्डारक	20 चकला	श्रीमती रंजना देवी	सेविका	
बिक्रम	21 डोरवां	श्रीमती प्रमिला देवी	सेविका	
	22 मोजक्का	श्रीमती अरून्ती देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	23 गोरखरी	श्रीमती चन्द्रावती देवी	सहायिका	
फुलवारीशरीफ	24 महतबाना	श्रीमती फरहा बानो	सहायिका	त्याग-पत्र
	25 जैबर	श्रीमती कान्ति देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
दानापुर	26 मानस हरि.टो.	सुशीला देवी	सहायिका	मृत्यु
	27 खगड़ी मुसहरी	मो. गौरी देवी	सहायिका	मृत्यु
	28 बाबूचक	पानपातो देवी	सहायिका	मृत्यु
बख्तियारपुर	29 सरैया	श्रीमती सुनीता कुमारी	सेविका	
मोकामा	30 मोर पूर्वी	श्रीमती लीला देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	31 कन्हाईपुर	श्रीमती विभा कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बतया गया कि अभी भी जिला स्तर पर चयन रद्द का प्रस्ताव निम्न प्रकार परियोजनावार लम्बित है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बित प्रस्ताव
01.	बिक्रम	सेविका-2
		सहायिका-1
02.	मनेर	सेविका-1
03.	मसौढ़ी	सेविका-1
04.	फतुहा	सेविका-1
05.	पुनपुन	सेविका-1
06.	धनरूआ	सेविका-1
07.	मोकामा	सेविका-2
08.	पालीगंज	सेविका-6 त्याग-पत्र

बैठक में उपस्थित वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम एवं संबंधित सहायक को चयन रद्द से संबंधित जो भी लम्बित मामले हैं उन्हें तुरंत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

9. **अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण**

समीक्षा के क्रम में अप्रैल 07 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता वर्मा	16	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	25
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	23
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	20
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	23
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	9	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	0
				2. श्रीमती प्रीति बाला	21
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	18
				4. श्रीमती मंजू झा	11
				5. श्रीमती लालती कुमारी	26
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	0	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	17
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	0	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	0
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी	0
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	9	1. श्रीमती विद्या भूषण	22
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	11	1. श्रीमती वीणा कुमारी	29

7	फतुहा	श्री प्रभात कुमार सिंह	15	1. श्रीमती पूनम कुमारी	26
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	20
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	0
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	25
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	2	1. श्रीमती उषा कुमारी	27
				2. श्रीमती भारती साहा	
9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	10	1. श्रीमती गायत्री रानी	15
				2. श्रीमती नीलम रानी	0
				3. श्रीमती मधु कु. मेहता	12
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	6	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	30
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	10	1. श्रीमती राम प्यारी	22
				2. श्रीमती सुधा कु. सिन्हा	24
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	4	1. श्रीमती मीना कुमारी	26
				2. श्रीमती सुषमा रानी	24
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	6	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	22
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	15	1. श्रीमती प्रतिभा नारायण	38
				2. श्रीमती छवि कुमारी	20
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	15
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	19
				5. श्रीमती सुषमा कुमारी	0
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	14	1. श्रीमती सुधा कुमारी	24
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	15	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	34
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	5	1. श्रीमती मंजू कुमारी	28
				2. श्रीमती आरती सिंह	25

बैठक में सभी परियोजना पदाधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके।

10. **साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण :**

बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण एवं

निरीक्षण प्रतिवेदन तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य प्रत्येक शुक्रवार को जिला प्रोग्राम कार्यालय या गोपनीय शाखा में जमा करने का निदेश दिया गया।

11. **निबंध :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निबन्ध "आंगनबाड़ी केन्द्र का कोटीकरण एवं ग्रेडेशन का आधार क्या हो" पर कम-से-कम 150 शब्दों तथा स्वहस्तलिखित जमा करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ सभी को सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका/आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित हेतु लिखित मंतव्य मांगा गया था, बहुत कम लोगों द्वारा अभी तक निबंध एवं मंतव्य प्राप्त हुए हैं। जल्द से जल्द सभी लोग निबंध एवं अपना मंतव्य जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि जून 07 की मासिक बैठक में चयनित निबंध की घोषणा की जा सके।

12. **आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लाभान्वितों की सूची :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आंगबाड़ी केन्द्रों की सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है, जबकि लाभान्वितों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मात्र पटना सदर, पटना ग्रामीण, फतुहा, मसौढ़ी, दानापुर, धनरूआ, बिहटा एवं मनेर से ही मात्र उपलब्ध कराया गया है। शेष परियोजना पदाधिकारी को जल्द से जल्द लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम रूप से चेतावनी दी गई, जो भी पदाधिकारी मई, 07 के अन्त तक लाभान्वितों की सूची नहीं उपलब्ध करायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

13. **साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक :**

सभी परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने एवं अपना विषय तुरंत समाप्त कर अपने कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने को कहा गया। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में ही निदेश दिये जा चुके हैं।

14. **मुख्यालय में आवासन :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार द्वारा पत्रांक 1985 दिनांक 2.11.06 जिसकी प्रति पूर्व में ही भेजी गयी थी के द्वारा यह हिदायत किया गया है कि सभी पदाधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहे जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके तथ आमजनों के कार्यों का त्वरित निष्पादन हो सके अन्यथा बाध्य होकर सरकार के निदेश की अवहेलना हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिकूल त्रिप्पणी सरकार को भेज दी जायेगी।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी पर्यवेक्षिका/सभी कर्मचारी को मुख्यालय में अपना आवास रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी पदाधिकारी मुख्यालय में रहकर सरकारी गाड़ी का दुरूपयोग करेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा सभी का लॉग बुक जांच किया जायेगा। मुख्यालय में रहकर ही योजना की सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त समय दिया जा सकता है। अनावश्यक रूप से जैसे माननीय उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करने, रिट की कॉपी प्राप्त

करने आदि के नाम पर पटना में नहीं घूमा जाय। वर्तमान की परिस्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए बताया गया कि सभी लोग अपने-अपने परियोजना क्षेत्र में निवास करें अन्यथा बाहर रहने वाले पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी।

15. **केन्द्रों पर बोर्ड की स्थिति की समीक्षा :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज भी सभी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड नहीं मिलते हैं। सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगा दिये गये हैं। इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र देने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया। बोर्ड बनाने में लागत राशि का व्यय केन्द्र आकस्मिकता मद/केयर के खाली टीना/बैग से प्राप्त राशि से की जायेगी। जहां भी बोर्ड नहीं पाया जायेगा उस परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

16. **केन्द्रों पर संधारित की जानेवाली पंजियां :**

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिन 17 पंजियों का संधारण किया जाता है उनका संधारण प्रति दिन ठीक ढंग से करने एवं उन्हें हमेशा अद्यतन रखने हेतु निदेश दिया गया। केन्द्रों पर संधारित की जाने वाली 17 पंजियों का क्रमांक निम्न प्रकार बताया गया-

1. सर्वेक्षण पंजी
2. स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित पंजी
3. लाभान्वितों की उपस्थिति पंजी
4. मासिक-सह-खाद्यान्न वितरण पंजी
5. गर्भवती/प्रसुती महिलाओं की सेवायें पंजी
6. भण्डार पंजी (पोषाहार)
7. भण्डार पंजी (अन्य सामग्री)
8. पूरक पोषाहार हेतु गठित समिति की पंजी
9. क्रय पंजी
10. गृह भ्रमण पंजी
11. टीकाकरण पंजी
12. जन्म-मृत्यु पंजी
13. महिला मण्डल पंजी
14. निरीक्षण पंजी
15. दवा वितरण पंजी
16. ग्रोथ चार्ट पंजी
17. सूखा राशि वितरण (T.H.R.) पंजी

17. **बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट :**

सभी परियोजना पदाधिकारियों को बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की मांग आवश्यकतानुसार निदेशालय को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

जहां भी मशीन एवं ग्रोथ चार्ट उपलब्ध है वहां ईमानदारी से सभी बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से उनका ग्रेडेशन निकाला जाय। तभी इस सेवा का लाभ वास्तविक बच्चों को मिल सकेगा। समय-समय पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निश्चिम रूप से इसकी जांच करें।

18. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श केन्द्र है। उन आदर्श केन्द्रों की सफाई, बच्चों के बाल, नाखून, बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है। आज की बैठक में आदर्श केन्द्र की एक भी सेविका या सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया। आगे से उन्हें बैठक में साथ लाने हेतु निदेश दिया गया।

19. **भवन निर्माण :**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा एवं फतुहा द्वारा कार्यालय भवन पूर्ण होने एवं नये भवन में कार्यालय संचालन की बात कही गयी। पालीगंज में अभी तक नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरण नहीं हुआ है। बिहटा-8, मनेर-11, धनरूआ-6, मसौढ़ी-1, पालीगंज-2, फतुहा-4, पुनपुन-7 भवन पूर्ण होने की सूचना दी गयी। शेष केन्द्रों को जल्द से जल्द प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया।

20. **मानदेय भुगतान :**

समीक्षा के क्रम में सभी परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 07 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। मार्च 07 का मानदेय भुगतान आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

21. **पोषाहार :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की पोषाहार मद की अवशेष राशि से केन्द्रों पर पोषाहार वितरण कार्यक्रम संचालित है।

22. **अवकाश :**

बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निरूपति किया गया है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अवकाश लोक सेवा के हितों के विरुद्ध पाये जाने पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए न कि अपरिहार्य कारणवश, अत्यावश्यक कार्य या अन्य भ्रमात्मक शब्द का उल्लेख हो। मुख्यालय से अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने पर स्थान का पता एवं सम्पर्क सूत्र का भी उल्लेख करना अनिवार्य है अन्यथा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। सभी परियोजना पदाधिकारी को संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन देना होगा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत होने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी एवं अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा।

22. **मासिक प्रगति प्रतिवेदन :**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैठक के दिन तक मात्र 2-3 परियोजना से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण खेद व्यक्त किया गया और सभी बात विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह में 1 से 2 तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बैठक के दिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो पाती है। जो भी परियोजना पदाधिकारी बैठक की तिथि तक गुणवत्ता के साथ मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

23. **कार्य दिवस :**

वैसे परियोजना पदाधिकारी जो दो परियोजना के प्रभार में हैं वे दोनों परियोजना में निम्न प्रकार कार्य दिवस में उपस्थित रहते हैं-

क्र.सं.	परि. पदाधिकारी का नाम	परियोजना का नाम	कार्य दिवस
01.	श्रीमती कुमारी देवमणि	मोकामा	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बाढ़	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
02.	श्रीमती इन्दु कुमारी	पण्डारक	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बख्तियारपुर	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
03.	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	बिक्रम	मंगलार, गुरुवार, शनिवार
		नौबतपुर	बुधवार, वृहस्पतिवार, सोमवार
04.	श्रीमती रश्मि सिंह	दानापुर	सोम, मंगल, शुक्र, शनिवार
		बिहटा	बुध, वृहस्पति, शनिवार
05.	श्रीमती ममता वर्मा	फुलवारीशरीफ	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
		पटना सदर	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
06.	श्रीमती माला कुमारी	मनेर	शुक्रवार, शनिवार, बुधवार
		पालीगंज	सोमवार, मंगलवार, वृहस्पतिवार

24. **अंकेक्षण :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द अंकेक्षण से संबंधित सभी लम्बित प्रतिवेदनों को शून्य करें।

25. **न्यायालय मामला :**

संबंधित परियोजना पदाधिकारियों को लम्बित न्यायालय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देकर जल्द से जल्द प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया।

26. **जन्म-मृत्यु की समीक्षा :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में माह फरवरी 07 में जन्म-मृत्यु की स्थिति परियोजनावार निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिवेदनि माह में कुल जन्म		प्रतिवेदित माह में कुल मृत्यु	
		लड़का	लड़की	पुरुष	औरत
1	पटना सदर	21	19	0	0
2	पटना ग्रामीण	0	0	0	0
3	पुनपुन	45	39	13	20
4	धनरूआ	1	1	0	1
5	मसौढ़ी	54	44	26	22
6	फतुहा	78	70	27	11
7	बख्तियारपुर	0	0	0	0
8	बाढ़	55	46	18	13
9	पंडारक	41	45	17	9
10	मोकामा	36	42	33	24
11	फुलवारीशरीफ	37	23	13	12
12	नौबतपुर	42	35	16	17
13	दानापुर	39	42	12	8
14	मनेर	0	0	0	0
15	बिहटा	0	0	0	0
16	बिक्रम	28	27	16	10
17	पालीगंज	59	45	23	21
	कुल	536	478	214	168

27. **डी.सी. विपत्र :**

समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को मार्च 07 तक ए.सी. विपत्र पर निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित प्रपत्र में डी.सी. विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

विहित विपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र सं.	विपत्र की राशि	डी.सी. विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

28. **कोषागार प्रशिक्षण :**

सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अपने-अपने कोषागार/उप-कोषागार में पुनः प्रशिक्षण प्राप्त करें। कुमारी देवमणी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोकामा को 1.3.2007 से 31.3.2007 तक कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त उन्हें पोषागार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया है।

29. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है। सभी परियोजना पदाधिकारी को प्राप्ती की सूचना एवं वितरण हेतु कार्य तालिका बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय भेजने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

30. **नियमित टीकाकरण :**

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्णित दिन को प्रखण्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं रखने का, उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता-पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है।

31. **पल्स-पोलियो :**

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरा-पुरा अपना सहयोग देने का निदेश दिया गया।

सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/कर्मचारी को मुख्यालय में रहकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने, सभी आगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्तियों को तुरंत भरने एवं चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने, ईमानदारी एवं नियमानुसार चयन करने, नामांकन पत्र तुरंत उपलब्ध कराने, चयनित आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं की सूची जिला को उपलब्ध कराने तथा पोषाहार की राशि का सही-सही व्यय करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सभी परियोजना पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक 2783 दिनांक 3.10.06 से निर्गत सेविका/सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका के आलोक में चयन पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ करने तथा मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 548 दिनांक 28.3.2007 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील करने/मुख्यालय में रहकर सरकारी कार्यों को ससमय निष्पादित करने एवं आम जनों के कार्यों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

Rajender 28.5.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II-393 दिनांक 29.5.07
प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 28.5.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-393 दिनांक 29.5.07
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 28.5.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-393 दिनांक 29.5.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Rajender 29.5.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05-II-393 दिनांक 29.5.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rajender 29.5.2007

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 6.06.2007 को महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

उपस्थिति :

1. पंजी के अनुसार।

आज की बैठक में पटना जिला स्थित [illegible] सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा भाग लिया गया। [illegible] बैठक में भाग लेने के कारण [illegible] बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा [illegible] बैठक में भाग नहीं लिया गया।

2. **आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य :**

आई.सी.डी.एस. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्देश्य हैं :

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव डालना।
3. मृत्युदर, मानसिक अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

सभी महिला पर्यवेक्षिका को आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य को मौखिक याद करने तथा सभी सेविकाओं/सहायिकाओं को उद्देश्य याद करवाने हेतु निदेश दिया गया।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी महिला पर्यवेक्षिका पूर्व से निर्धारित अपने-अपने स्थान पर बैठी पायी गईं। सभी महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित समय से आधा घन्टा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण करने एवं विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश नहीं करने को कहा गया।

4. **नये आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा निम्न प्रकार बताया गया –

नव स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चयन की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का	नवस्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयनित	रिक्त	अभ्युक्ति
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	112	6	12	94 केन्द्र वापस कर दिये गये हैं।
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	192	186	6	
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	109	62	

04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	105	7	45 केन्द्र वापस कर दिये गये हैं।
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	151	17	
06.	पटना ग्रामीण	20	17	3	
07.	पुनपुन-सम्पतचक	47	47	0	
08.	धनरूआ	48	41	7	
09.	मसौढ़ी	87	87	0	
10.	फतुहा-दनियावां	65	56	9	
11.	खुसरूपुर	34	30	4	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	59	31	28	
13.	बाढ़-अथमलगोला	77	69	8	
14.	पण्डारक	-8			
15.	मोकामा-घोसवरी	24	22	2	
16.	फुलवारीशरीफ	65	59	6	
17.	नौबतपुर	12	12	0	
18.	दानापुर	78	78	0	
19.	मनेर	70	58	12	
20.	बिहटा	33	31	2	
21.	बिक्रम	21	21	0	
22.	दुल्हिन बाजार	19	19	0	
23.	पालीगंज	36	32	4	
	कुल	1587	1267	189	139

सभी महिला पर्यवेक्षिका को निम्नांकित प्रपत्र में सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया :-

प्रपत्र-1 (नवस्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	सेवि/सहा. का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सभी महिला पर्यवेक्षिका को बैठक के लिए तैयार होकर एवं चयन/नामांकन पत्र/प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति साथ लेकर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एकरूपता बनी रहे ।

जो भी गलत चयन हुआ है उसे रद्द किया जायेगा । अत: चयन ठीक से नियमानुसार किया जाये गलत चयन करने वाले को दण्डित किया जायेगा ।

5. **दुलार :**

पटना जिला अन्तर्गत आठ परियोजनाओं (मोकामा, पण्डारक, बाढ़, बख्तियारपुर, फुलवारीशरीफ, दानापुर, बिक्रम एवं नौबतपुर) में दुलार कार्यक्रम चलाया जा रहा है । दुलार के जिला स्तरीय सदस्य श्रीमती सुरैया प्रवीन एवं श्रीमती महनाज फातमा द्वारा बैठक में भाग लेकर दुलार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । श्रीमती गायत्री रानी, महिला पर्यवेक्षिका, बाल विकास परियोजना, बाढ़ द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया कि आई.सी.डी.एस. के साथ मिलकर युनिसेफ के द्वारा दुलार कार्यक्रम का देख-रेख किया जाता है । पटना जिला में जिला समन्वय समिति की बैठक करने के लिए तिथि निर्धारित करने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया । बैठक के कौन-कौन से सदस्य हैं सूची उपलब्ध कराने के बाद ही तिथि निर्धारित करने का आश्वासन जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया ।

6. **चयन में हो रही कठिनाई :**

सभी महिला पर्यवेक्षिका को चयन में अगर कोई कठिनाई हो तो इसकी लिखित सूचना जिला को देने हेतु निदेश दिया गया ।

7. **प्रशिक्षण :**

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 853 दिनांक 20.4.2007 द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार एवं पत्र में दिये गये निदेशानुसार सभी संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में सेविकाओं/सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति अचूक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय से करेंगे । प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची

224

अधोहस्ताक्षरी को भी निश्चिम रूप से उपलब्ध कराने हेतु सभी महिला पर्यवेक्षिका को निदेश दिया गया ।

पटना जिला हेतु निर्धारित प्रशिक्षण कैलेण्डर

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	पाठयक्रम का प्रकार	अवधि	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	ना सदर-1	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	12
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	23
2.	पटना सदर-2	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
3.	पटना सदर-3	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	31
		महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35

		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	6.6.07 से 12.6.07	35
8.	धनरूआ	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	13
9.	मसौढ़ी	ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	4
		रेशमा ग्रमीण विकास संघ, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		रेशमा ग्रामीण विकास संघ, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	35
		ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	15
10.	फतुहा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	30
11.	खुशरूपुर	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	34
12.	बख्तियारपुर	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		शामा विकास समिति, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, इस्लामपुर, नालन्दा	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	22.6.07 से 28.6.07	26
13.	बाढ़	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35

		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	14.6.07 से 20.6.07	5
14.	मोकामा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
15.	फुलवारीशरीफ	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	2
		आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	14
16.	नौबतपुर	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	12
17.	दानापुर	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
18.	मनेर	आगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र नगर, आरा, भोजपुर	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	35
19.	बिहटा	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	33
20.	बिक्रम	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण कन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	4.5.07 से 10.5.07	21
21.	दुल्हिन बाजार	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	12.5.07 से 18.5.07	18
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, के.डी. जुनियर स्कूल, पाटलीपुत्रा, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	1
22.	पालीगंज	महिला चर्खा समिति आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कदमकुंआ, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	21.5.07 से 27.5.07	35
		आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी, पटना	सेवि. का इण्डक्शन कोर्स	29.5.07 से 4.6.07	1

प्रशिक्षण केन्द्रों को राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला को ड्राफ्ट प्राप्त है। प्रशिक्षण का पैसा किसको कितना देना है ? प्रति दिन का हिसाब क्या है ? इस संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन मांगने हेतु सुश्री इन्दु पाठक को पत्र लिखने हेतु निदेशा दिया गया।

आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में।

पटना जिला अन्तर्गत निम्नलिखित आँगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को अपने कर्त्तव्यों/कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें चयनमुक्त किया गया, जिसकी अद्यतन सूची निम्न प्रकार है-

परियोजना का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम	सेविका/सहायिका का नाम	पदनाम	अभ्युक्ति
मोकामा	1 जंजीरा	श्रीमती रागिनी कुमारी	सेविका	
	2 पैजना	श्रीमती रेखा कुमारी	सेविका	
	3 शिवनार	श्रीमती किरण कुमारी	सहायिका	
	4 कुर्मीचक	श्रीमती सुनिता देवी	सहायिका	
	5 मेकरा	श्रीमती सरस्वती देवी	सहायिका	
	6 मोर पश्चिम	श्रीमती राजकुमारी देवी	सहायिका	
	7 कन्हाईपुर	श्रीमती अमिअणिभा	सहायिका	
	8 मेकरा	श्रीमती रंजना कुमारी	सहायिका	
	9 तारतर	श्रीमती प्रवीण बॉबी	सेविका	
	10 शिवनार	श्रीमती बबिता कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	11 शिवनार	श्रीमती नीलम कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	12 मुगरपुर	श्रीमती मनोरमा कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
बाढ़	13 कोरारी उ.भाग	श्रीमती कल्पना कुमारी	सेविका	
	14 गोपीनाथ	श्रीमती उर्मिला देवी	सेविका	
	15 गोपीनाथ	श्रीमती सावित्री देवी	सहायिका	
	16 बाढ़	श्रीमती पुष्पा देवी	सेविका	त्याग-पत्र
पटना सदर	17 करबिगहिया	श्रीमती राजमणि सिन्हा	सेविका	
	18 नाला रोड	श्रीमती सुषमा कुमारी	सेविका	
	19 यारपुर	श्रीमती रीता रानी	सेविका	
पण्डारक	20 चकला	श्रीमती रंजना देवी	सेविका	
बिक्रम	21 डोरवां	श्रीमती प्रमिला देवी	सेविका	
	22 मोजक्का	श्रीमती अरून्ती देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	23 गोरखरी	श्रीमती चन्द्रावती देवी	सहायिका	
फुलवारीशरीफ	24 महतबाना	श्रीमती फरहा बानो	सहायिका	त्याग-पत्र
	25 जैबर	श्रीमती कान्ति देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
दानापुर	26 मानस हरि.टो.	सुशीला देवी	सहायिका	मृत्यु
	27 खगड़ी मुसहरी	मो. गौरी देवी	सहायिका	मृत्यु

	28 बाबूचक	पानपातो देवी	सहायिका	मृत्यु
बख्तियारपुर	29 सरैया	श्रीमती सुनीता कुमारी	सेविका	"
मोकामा	30 मोर पूर्वी	श्रीमती लीला देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	31 कन्हाईपुर	श्रीमती विभा कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र

जिला स्तर पर चयन रद्द का प्रस्ताव निम्न प्रकार परियोजनावार लम्बित है-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बित प्रस्ताव
01.	बिक्रम	सेविका-2
		सहायिका-1
02.	मनेर	सेविका-1
03.	मसौढ़ी	सेविका-1
04.	फतुहा	सेविका-1
05.	पुनपुन	सेविका-1
06.	धनरूआ	सेविका-1
07.	मोकामा	सेविका-2
08.	पालीगंज	सेविका-7 त्याग-पत्र

बैठक में उपस्थित वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम एवं संबंधित सहायक को चयन रद्द से संबंधित जो भी लम्बित मामले हैं उन्हें तुरंत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

9. **अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण**

समीक्षा के क्रम में परियोजना से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर मई 07 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पट. सदर-1	श्रीमती ममता वर्मा	0	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	25
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	20
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	25
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	25
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	9	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	20
				2. श्रीमती प्रीति बाला	24
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	20
				4. श्रीमती मंजू झा	17
				5. श्रीमती लालती कुमारी	27
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0

3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	21	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	17
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	0	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	0
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी	0
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	21	1. श्रीमती विद्या भूषण	30
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	0	1. श्रीमती वीणा कुमारी	27
7	फतुहा	श्री प्रभात कुमार सिंह	31	1. श्रीमती पूनम कुमारी	105
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती उषा कुमारी	0
				2. श्रीमती भारती साहा	0
9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	18	1. श्रीमती गायत्री रानी	15
				2. श्रीमती नीलम रानी	0
				3. श्रीमती मधु कु. मेहता	10
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	30
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	13	1. श्रीमती राम प्यारी	25
				2. श्रीमती सुधा कु. सिन्हा	20
12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	5	1. श्रीमती मीना कुमारी	27
				2. श्रीमती सुषमा रानी	27
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	14	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	22
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	10	1. श्रीमती प्रतिभा नारायणी	28
				2. श्रीमती छवि कुमारी	25
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	25
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	28
				5. श्रीमती सुषमा कुमारी	0
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	15	1. श्रीमती सुषमा कुमारी	9
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	12	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	25
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	8	1. श्रीमती मंजू कुमारी	83
				2. श्रीमती आरती सिंह	

बैठक में सभी महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके।

10. **विभिन्न परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षिकाओं का पदस्थापन/रिक्ति :**

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्ति	अभियुक्ति
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	8	4	4	
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	8	0	8	
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	7	0	7	
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	6	0	6	
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	7	0	7	
06.	पटना ग्रामीण	3	3	0	
07.	पुनपुन-सम्पतचक	8	1	7	
08.	धनरूआ	8	1	7	
09.	मसौढ़ी	8	1	7	
10.	फतुहा-दनियावां	10	4	6	
11.	खुसरूपुर	3	0	3	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	10	2	8	
13.	बाढ़-अथमलगोला	11	3	8	
14.	पण्डारक	5	1	4	
15.	मोकामा-घोसवरी	9	2	7	
16.	फुलवारीशरीफ	9	6	3	
17.	नौबतपुर	7	2	5	
18.	दानापुर	8	5	3	
19.	मनेर	9	3	6	
20.	बिहटा	9	1	8	
21.	बिक्रम	8	1	7	
22.	दुल्हिन बाजार	4	0	4	
23.	पालीगंज	9	2	7	
	कुल	174	42	132	

217

बाल विकास परियोजना फुलवारीशरीफ में 6 महिला पर्यवेक्षिका एवं किसी अन्य परियोजना में एक भी महिला पर्यवेक्षिका नहीं पदस्थापित की स्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा गहरा खेद व्यक्त किया गया एवं सभी परियोजनाओं में समानुपातिक रूप से महिला पर्यवेक्षिकाओं का पदस्थापन करने का आश्वासन दिया गया। सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु तीन-तीन परियोजना का नाम लिखित रूप में देने को कहा गया।

11. **बाल विकास परियोजना, पण्डारक/बख्तियारपुर का प्रभार :**

बाल विकास परियोजना, पण्डारक एवं बख्तियारपुर का अतिरिक्त प्रभार संबंधित अंचलाधिकारी को देने हेतु सहायक को तुरन्त संचिका उपस्थापित करने हेतु निदेश दिया गया।

12. **निबंध :**

सभी महिला पर्यवेक्षिका जो पूर्व में दिये गये निबंध जमा नहीं किये हैं वे जल्द से जल्द निबंध जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि जुलाई 07 की मासिक बैठक में चयनित निबंध की घोषणा की जा सके।

13. **मुख्यालय में आवासन :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार द्वारा पत्रांक 1985 दिनांक 2.11.06 जिसकी प्रति पूर्व में ही भेजी गयी थी के द्वारा यह हिदायत किया गया है कि सभी पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहे जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके तथ आमजनों के कार्यों का त्वरित निष्पादन हो सके अन्यथा बाध्य होकर सरकार के निदेश की अवहेलना हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिकूल निप्पणी सरकार को भेज दी जायेगी।

बाल विकास परियोजना, पालीगंज, मोकामा, मनेर एवं पुनपुन की महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि वे कभी-कभी मुख्यालय में रहती हैं। पल्स पोलियो जब चलता है तो वे लोग मुख्यालय में निश्चित रूप से रहते हैं। सभी पर्यवेक्षिका/सभी कर्मचारी को मुख्यालय में अपना आवास रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी महिला पर्यवेक्षिका मुख्यालय में नहीं रहेंगी उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा सभी का निवास स्थान की जांच की जायेगी। मुख्यालय में रहकर ही योजना की सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त समय दिया जा सकता है। वर्तमान की परिस्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए बताया गया कि सभी लोग अपने-अपने परियोजना क्षेत्र में निवास करें अन्यथा बाहर रहने वाली महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी। केन्द्र का समय 7.00 बजे से शुरू होता है। बिना मुख्यालय में रहे समय से निरीक्षण कार्य शुरू नहीं हो सकता है।

14. **केन्द्रों पर बोर्ड की स्थिति की समीक्षा :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज भी सभी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड नहीं मिलते हैं। सभी केन्द्रों पर अन्दर एवं बाहर बोर्ड निश्चित रूप से लगा दिये जायें। बोर्ड बनाने में लागत राशि का व्यय केन्द्र आकस्मिकता मद/केयर के खाली टीना/बैग से प्राप्त राशि से की जायेगी। जहां भी बोर्ड नहीं पाया जायेगा उस परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

15. **केन्द्रों पर संधारित की जानेवाली पंजियां :**

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिन 17 पंजियों का संधारण किया जाता है उनका संधारण प्रति दिन ठीक ढंग से करने एवं उन्हें हमेशा अद्यतन रखने हेतु निदेश दिया गया। केन्द्रों पर संधारित की जाने वाली 17 पंजियों का क्रमांक निम्न प्रकार बताया गया-

1. सर्वेक्षण पंजी
2. स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित पंजी
3. लाभान्वितों की उपस्थिति पंजी
4. मासिक-सह-खाद्यान्न वितरण पंजी
5. गर्भवती/प्रसुती महिलाओं की सेवायें पंजी
6. भण्डार पंजी (पोषाहार)
7. भण्डार पंजी (अन्य सामग्री)
8. पूरक पोषाहार हेतु गठित समिति की पंजी
9. क्रय पंजी
10. गृह भ्रमण पंजी
11. टीकाकरण पंजी
12. जन्म-मृत्यु पंजी
13. महिला मण्डल पंजी
14. निरीक्षण पंजी
15. दवा वितरण पंजी
16. ग्रोथ चार्ट पंजी
17. सूखा राशि वितरण (T.H.R.) पंजी

16. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श केन्द्र है। उन आदर्श केन्द्रों की सफाई, बच्चों के बाल, नाखून, बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है। आज की बैठक में आदर्श केन्द्र की एक भी सेविका या सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया। आगे से उन्हें बैठक में साथ लाने हेतु निदेश दिया गया।

17. **मानदेय भुगतान :**

समीक्षा के क्रम में सभी महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 07 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। मार्च 07 का मानदेय भुगतान आवंटन प्राप्त होने के बाद किया जायेगा।

215

पोषाहार :

18 बैठक में समीक्षा के क्रम में सभी संबंधित पर्यवेक्षिकाओं द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की पोषाहार मद की अवशेष राशि से केन्द्रों पर पोषाहार वितरण कार्यक्रम संचालित है।

अवकाश :

19 बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निरूपित किया गया है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अवकाश लोक सेवा के हितों के विरुद्ध पाये जाने पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए न कि अपरिहार्य कारणवश, अत्यावश्यक कार्य या अन्य भ्रामात्मक शब्द का उल्लेख हो। मुख्यालय से अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने पर स्थान का पता एवं सम्पर्क सूत्र का भी उल्लेख करना अनिवार्य है अन्यथा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। सभी परियोजना पदाधिकारी को संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन देना होगा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत होने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी एवं अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा।

20 **जन्म-मृत्यु की समीक्षा :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में माह मई 07 में जन्म-मृत्यु की स्थिति परियोजनावार निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिवेदनि माह में कुल जन्म		प्रतिवेदित माह में कुल मृत्यु	
		लड़का	लड़की	पुरुष	औरत
1	पटना सदर	0	0	0	0
2	पटना ग्रामीण	0	0	0	0
3	पुनपुन	27	28	23	24
4	धनरूआ	0	0	0	0
5	मसौढ़ी	55	46	27	14
6	फतुहा	44	43	12	6
7	बख्तियारपुर	0	0	0	0
8	बाढ़	0	0	0	0
9	पंडारक	53	51	29	25
10	मोकामा	79	71	44	33
11	फुलवारीशरीफ	61	56	16	10
12	नौबतपुर	54	33	8	12
13	दानापुर	45	45	13	14

14	मनेर	0	0	0	0
15	बिहटा	0	0	0	0
16	बिक्रम	28	37	18	8
17	पालीगंज	0	0	0	0
	कुल	446	410	190	146

21. **डी.सी. विपत्र :**

समीक्षा के क्रम में सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को मार्च 07 तक ए.सी. विपत्र पर निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित प्रपत्र में डी.सी. विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

विहित विपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र सं.	विपत्र की राशि	डी.सी. विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

22. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि पौष्टिक लेमनचूस के कारण ही ज्यादे से ज्यादे बच्चे केन्द्र पर उपस्थित होते हैं।

23. **नियमित टीकाकरण :**

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी महिला पर्यवेक्षिका को मुख्यालय में रहने एवं उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता-पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने हेतु सभी महिला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है। चिकित्सा पदाधिकारी, पटना सदर एवं फतुहा द्वारा बताया गया कि दवा केन्द्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि युनिसेफ सिविल सर्जन को राशि उपलब्ध कराता है और उन्हीं के द्वारा यह व्यवस्था की जाती है।

24. **पल्स-पोलियो :**

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। महिला पर्यवेक्षिकाओं

को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरा-पुरा अपना सहयोग देने का निदेश दिया गया।
सभी महिला पर्यवेक्षिका को मुख्यालय में रहकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने,
सभी आगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्तियों को तुरंत भरने एवं चयन प्रक्रिया को सार्वजनिक
करने, ईमानदारी एवं नियमानुसार चयन करने, नामांकन पत्र तुरंत उपलब्ध कराने, चयनित आंगनबाड़ी
सेविकाओं/सहायिकाओं की सूची जिला को उपलब्ध कराने तथा पोषाहार की राशि का सही-सही
व्यय करने का निदेश दिया गया।

अन्त में सभी महिला पर्यवेक्षिका को विभागीय पत्रांक 2783 दिनांक 3.10.06 से निर्गत सेविका/सहायिका के चयन संबंधी मार्गदर्शिका के आलोक में चयन पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ करने तथा मुख्य सचिव महोदय के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 548 दिनांक 28.3.2007 द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रियाशील करने/मुख्यालय में रहकर सरकारी कार्यों को ससमय निष्पादित करने एवं आम जनों के कार्यों का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

Rajender 27.6.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II-465 दिनांक 27.6.07
प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 27.6.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II-465 दिनांक 27.6.07
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender 27.6.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II-465 दिनांक 27.6.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Rajendra 27.6.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक IX-8/05 II-465 दिनांक 27.6.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 27.6.2007
(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

डा. बी. राजेन्दर, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 6.7.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ हुई बैठक की कार्यवाही :

1. उपस्थिति :

पंजी के अनुसार।

आज की बैठक में महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती इन्दु कुमारी, बाल विकास परियोजना, पटना ग्रामीण, श्रीमती निर्मला सहाय, बाल विकास परियोजना, मसौढ़ी, श्रीमती नीलम रानी, बाल विकास परियोजना, बाढ़ द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया गया। बताया गया कि वर्णित महिला पर्यवेक्षिका जन शिक्षा में समायोजन के आधार पर यहां प्रतिनियुक्त हुई थीं, पुनः इन सभी महिला पर्यवेक्षिका को विभिन्न प्रखण्डों में प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी बना दिया गया है, जहां ये सभी बिना विरमित हुए अपना योगदान दे चुकी हैं।

2. **आई.सी.डी.एस. के उद्देश्य :**

आई.सी.डी.एस. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्देश्य हैं-

1. 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
3. मृत्युता, मानसिक अस्वस्थ्यता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की सख्या में कमी लाना।
4. बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
5. उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

3. **बैठने की व्यवस्था :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का पूर्व से ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने-अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार पुनः निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायेगा।

4. **नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :**

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी-

नव स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की अद्यतन स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयन की स्थिति				अभियुक्ति
			सेविका		सहायिका		
			चयनित	रिक्त	चयनित	रिक्त	
1	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	112	9	9	9	9	94 केन्द्र वापस कर दिये गये हैं।
2	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	192	190	2	100	92	
3	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	171	136	3[illegible]	114	57	
4	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	157	106	6	73	39	45 केन्द्र वापस कर दिये गये हैं।
5	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	168	154	14	111	57	
6	पटना ग्रामीण	20	18	2	18	2	
7	पुनपुन+सम्पतचक	47	47	0	47	0	
8	धनरूआ	48	48	0	48	0	
9	मसौढ़ी	87	87	0	78	9	
10	फतुहा+दनियावां	65	61	4	61	4	
11	बख्तियारपुर+बेलछी	59	31	28	18	41	
12	बाढ़+अथमलगोला	77	69	8	70	7	
13	पण्डारक	.8					
14	मोकामा+घोसवरी	24	22	2	22	2	
15	फुलवारीशरीफ	65	59	6	51	14	
16	नौबतपुर	12	12	0	12	0	
17	दानापुर	78	78	0	78	0	
18	मनेर	70	60	10	60	10	
19	बिहटा	33	32	1	31	2	
20	बिक्रम	21	21	0	21	0	
21	दुलहिन बाजार	19	19	0	19	0	
22	पालीगंज	36	32	4	32	4	
23	खुशरूपुर	34	32	2	32	2	
	कुल	1587	1323	133	1105	351	

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को 7.7.2007 को संध्या 6.00 बजे तक कम्प्यूरीकृत सूची नयी एवं पुरानी चयनित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की विहित प्रपत्र में निश्चित रूप मे उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निर्धारित तिथि एवं समय तक सूची उपलब्ध नहीं कराने क. स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

प्रपत्र-1 (नवस्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	नवस्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	से.	सहा.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	सेवि/सहा. का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/ अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

निदेश दिया गया कि अगर कहीं नगर परिषद के विघटित होकर नगर निगम बन जाने के कारण वार्ड सदस्य का अस्तित्व समाप्त हो गया हो या फिर कहीं पर नये नगर पंचायत/नगर परिषद के बन जाने तथा उसका गठन नहीं होने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में आम सभा हेतु अध्यक्ष बनाने में दिक्कत हो तो इस आशय का पत्र भेजें ताकि वहां पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु चयन समिति की अध्यक्षता के लिए जिला से किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सके।

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार होकर एवं चयन/नामांकन पत्र/प्रशिक्षण से संबंधित प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति साथ लेकर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एकरूपता बनी रहे।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक सेविका/सहायिका की अलग-अलग पंजी/संचिका संधारित करने तथा उसका रख-रखाव सही ढंग से करने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी जांच हो तो उसे उपस्थापित किया जा सके।

5. चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन में हो रही कठिनाई को लिखित रूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त डाक अभिकर्त्ता (ई.डी. एजेन्ट) सरकारी सेवक के श्रेणी में नहीं आते हैं। जो

व्यक्ति 10-12 वर्षों से किराये पर रह रहा है, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तथा संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा यदि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो तो वैसे भी व्यक्ति का चयन किया जाएगा।

6. **चयन के विरुद्ध प्राप्त आरोप/शिकायत पत्रों की समीक्षा :**

सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी, जन शिकायत कोषांग जिला प्रोग्राम कार्यालय को सभी शिकायतों को अनुमण्डलवार अलग कर उसकी छायाप्रति सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/मुखिया/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं संबंधित आरोपकर्त्ता को तुरन्त उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। तत्पश्चात् जिला से पदाधिकारी सभी संबंधित अनुमण्डलों में अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ कैम्प लगाकर सभी शिकायत पत्रों का निष्पादन करेंगे।

विहित प्रपत्र

क्र.सं.	शिकायतकर्त्ता का नाम	मोहल्ला/वार्ड/पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार	संबंधित परियोजना किनके विरुद्ध
1	2	3	4	5

7. **प्रशिक्षण :**

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 1700 दिनांक 28.6.2007 द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण कैलेन्डर के अनुसार एवं पत्र में दिये गये निदेशानुसार सभी संबंधित परियोजना पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में सेविकाओं/सहायिकाओं की प्रतिनियुक्ति अचूक रूप से निर्धारित तिथि एवं समय से करेंगे। प्रतिनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची अधोहस्ताक्षरी को भी निश्चिम रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

पटना जिला हेतु निर्धारित प्रशिक्षण कैलेण्डर

क्र.सं.	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का प्रकार	अवधि	परियोजना का नाम	प्रतिनियुक्ति हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सं.
1	2	3	4	5	6
1	महिला चर्खा समिति, आंगनबाड़ी केन्द्र, कदमकुआं, पटना	सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	06.07.07 से 12.07.07	बख्तियारपुर, पटना	35
	•	सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	14.07.07 से 19.07.07	धनरूआ, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	22.07.07 से 27.07.07	पालीगंज, पटना	35
		सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	30.07.07 से 04.08.07	बख्तियारपुर, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	7.08.07 से 12.08.07	पटना सदर(2), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	पटना सदर(2), पटना	35

1	2	3	4	5	6
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	23.08.07 स 28.08.07	पटना सदर(3), पटना	35
		~~सहायिकाओं का~~ उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	~~31.08.07 से 05.09.07~~	~~बाढ़-बेल्छी, पटना~~	~~35~~
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	दानापुर-8, पुनपुन-सम्पतचक-21, पटना सदर(4)-6	35
2	आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, कुम्हरार, पटना	सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	06.07.07 से 12.07.07	बाढ़ बेल्छी-15, धनरूआ-10, दानापुर -8, पालीगंज-2	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	14.07.07 से 19.07.07	फतुहा-दनियांवा, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	22.07.07 से 27.07.07	पटना सदर(2), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	30.07.07 से 04.08.07	पटना सदर(2), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	07.08.07 से 12.08.07	पटना सदर(2), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	पटना सदर(3), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	23.08.07 स 28.08.07	पटना सदर(3), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	पटना सदर(12)-7, पटना सदर(5)- 28	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	पटना सदर-10, पटना सदर(3)-25	35
3	के.डी. जूनियर स्कूल, आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, अल्पना मार्केट, पूर्वी पाटलीपुत्रा, पटना	सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	06.07.07 से 12.07.07	फतुहा-दनियावा-15, मनेर-20	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	14.07.07 से 19.07.07	मनेर, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	22.07.07 से 27.07.07	मोकामा, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	30.07.07 से 04.08.07	खुशरूपुर-34, दुल्हीन बाजार-1	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	पटना सदर(3), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	23.08.07 स 28.08.07	पटना सदर(4), पटना	35

	2	3	4	5	6
1		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	पटना सदर(5), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	पटना सदर(5), पटना	35
4	आशीर्वाद फाउण्डेशन, आंगनबाड़ी केन्द्र, पी.सी. कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना	सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	06.07.07 से 12.07.07	मसौढ़ी-33, पालीगंज-2	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	14.07.07 से 19.07.07	पुनपुन-संपतचक-5, दुल्हिनबाजार-18, पटना सदर-12	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	22.07.07 से 27.07.07	पटना सदर, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	07.08.07 से 12.08.07	पटना सदर(4), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	पटना सदर(4), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	23.08.07 स 28.08.07	पटना सदर(4), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	पटना सदर(5), पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	पटना सदर(5), पटना	35
5	आंगनबाड़ी केन्द्र, श्रीमती सुधा सिन्हा द्वारा श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, दुजरा, बुद्धा कॉलोनी थाना से सटे पूर्व पो.-जी.पी.ओ., पटना	सेविकाओं का इण्डक्शन कोर्स प्रशिक्षण	06.07.07 से 12.07.07	पटना सदर-16, पुनपुन-सम्पतचक-11, खुशरूपुर-8	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	14.07.07 से 19.07.07	दानापुर, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	22.07.07 से 27.07.07	पटना सदर, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	30.07.07 से 04.08.07	पटना ग्रामीण-21, धनरूआ-13, पालीगंज-1	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	07.08.07 से 12.08.07	पुनपुन-संपतचक, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	बाढ़-बेल्छी-5, फतुहा-दनियावां-30	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	23.08.07 स 28.08.07	बख्तियारपुर-26, पटना सदर(4)-9	35

1	2	3	4	5	6
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	मसौढ़ी, पटना	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	मसौढ़ी, पटना	35
6	महिला नव भारत जागृति केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, इरकी, जहानाबाद	सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	30.07.07 से 04.08.07	पटना सदर(5)-1	1
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	पटना सदर(5)	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	पटना सदर(5)	35
7	ओजोन प्रोटेक्शन (ओमियो) आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पटेल नगर, राजा बाजार, जहानाबाद	सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	15.08.07 से 20.08.07	पुनपुन-सम्पतचक	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	31.08.07 से 05.09.07	पटना सदर(3)-31, मसौढ़ी-4	35
		सहायिकाओं का उन्मुखीकरण कोर्स प्रशिक्षण	08.09.07 से 13.09.07	मसौढ़ी-15	15

8. **आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में :**

पटना जिला अन्तर्गत निम्नलिखित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं को अपने कर्त्तव्यों/कार्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें चयनमुक्त किया गया, जिसकी अद्यतन सूची निम्न प्रकार है-

परियोजना का नाम	क्र.सं. केन्द्र का नाम	सेविका/सहायिका का नाम	पदनाम	अभ्यु
मोकामा	1 जंजीरा	श्रीमती रागिनी कुमारी	सेविका	
	2 पैजना	श्रीमती रेखा कुमारी	सेविका	
	3 शिवनार	श्रीमती किरण कुमारी	सहायिका	
	4 कुर्मीचक	श्रीमती सुनिता देवी	सहायिका	
	5 मेकरा	श्रीमती सरस्वती देवी	सहायिका	
	6 मोर पश्चिम	श्रीमती राजकुमारी देवी	सहायिका	
	7 कन्हाईपुर	श्रीमती अनिअणिभा	सहायिका	
	~~8 मेकरा~~	~~श्रीमती संजना कुमारी~~	~~सहायिका~~	
	9 तारतर	श्रीमती प्रवीण बॉ ी	सेविका	
	10 शिवनार	श्रीमती बबिता कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	11 शिवनार	श्रीमती नीलम कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	12 मुरारपुर	श्रीमती मनोरमा कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र

बाढ़	13	कोरारी उ.भाग	श्रीमती कल्पना कुमारी	सेविका	
	14	गोपीनाथ	श्रीमती उर्मिला देवी	सेविका	
	15	गोपीनाथ	श्रीमती सावित्री देवी	सहायिका	
	16	बाढ़	श्रीमती पुष्पा देवी	सेविका	त्याग-पत्र
पटना सदर	17	करबिगहिया	श्रीमती राजमणि सिन्हा	सेविका	
	18	नाला रोड	श्रीमती सुषमा कुमारी	सेविका	
	19	यारपुर	श्रीमती रीता रानी	सेविका	
पण्डारक	20	चकला	श्रीमती रंजना देवी	सेविका	
बिक्रम	21	डोरवां	श्रीमती प्रमिला देवी	सेविका	
	22	मोजक्का	श्रीमती अरून्ती देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	23	गोरखरी	श्रीमती चन्द्रावती देवी	सहायिका	
फुलवारीशरीफ	24	महतबाना	श्रीमती फरहा बानो	सहायिका	त्याग-पत्र
	25	जैबर	श्रीमती कान्ति देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
दानापुर	26	मानस हरि.टो.	सुशीला देवी	सहायिका	मृत्यु
	27	खगड़ी मुसहरी	मो. गौरी देवी	सहायिका	मृत्यु
	28	बाबूचक	पानपातो देवी	सहायिका	मृत्यु
बख्तियारपुर	29	सरैया	श्रीमती सुनीता कुमारी	सेविका	
मोकामा	30	मोर पूर्वी	श्रीमती लीला देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	31	कन्हाईपुर	श्रीमती विभा कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	32	कुर्मीचक	श्रीमती मंजूला कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	33	सम्यागढ़	मो. विद्या सिन्हा	सेविका	त्याग-पत्र
	34	शिवनगर	मो. संगीता कुमारी	सेविका	चयनमुक्त
	35	गोसाईगांव	श्रीमती रानी कुमारी	सहायिका	त्याग-पत्र
	36	के.सं. 211	मो. मीना देवी	सेविका	त्याग-पत्र
नौबतपुर	37	अमरपुरा	श्रीमती श्यामपति देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
	38	बादीपुर	श्रीमती संतोषी देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
	39	अकबरपुर	श्रीमती समंजर देवी	सहायिका	त्याग-पत्र
पालीगंज	40	महाबलीपुर गेह	श्रीमती रीना कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	41	तारणपुर	श्रीमती कौशल्या देवी	सेविका	त्याग-पत्र
	42	मदारीपुर	श्रीमती कांति कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	43	पियरपुरा	कुमारी कंचन सिन्हा	सेविका	त्याग-पत्र
	44	ठकुरी	श्रीमती बेबी कुमारी	सेविका	त्याग-पत्र
	45	अजदा	श्रीमती मान्ता देवी	सेविका	त्याग-पत्र

बैठक में उपस्थित वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम एवं संबंधित सहायक को चयन रद्द से संबंधित जो भी लम्बित मामले हैं उन्हें तुरंत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण

समीक्षा के क्रम में जून 07 में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार पायी गई :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बा.वि.परि.पदा. का नाम	निरीक्षण की सं.	म.पर्य. का नाम	निरीक्षण की सं.
1	पटना सदर	श्रीमती ममता वर्मा	0	1. श्रीमती सुनिता कुमारी	25
				2. श्रीमती हीरा कुमारी	23
				3. श्रीमती मुन्नी कुमारी	20
				4. श्रीमती कामिनी कुमारी	23
2	फुलवारीशरीफ	श्रीमती ममता वर्मा	14	1. श्रीमती कुमारी गायत्री	22
				2. श्रीमती प्रीति बाला	25
				3. श्रीमती अंजु कुमारी	22
				4. श्रीमती मंजू झा	20
				5. श्रीमती लालती कुमारी	21
				6. श्रीमती शान्ति सिंह	0
3	पुनपुन	श्रीमती जया मिश्रा	21	1. श्रीमती प्रमिला कुमारी	17
4	पटना ग्रामीण	श्रीमती मंजु कुमारी	10	1. श्रीमती मनोरमा कुमारी	16
				2. श्रीमती इन्दु कुमारी	0
5	धनरूआ	श्रीमती रेणु कुमारी	15	1. श्रीमती विद्या भूषण	22
6	मसौढ़ी	श्रीमती एन. नईय्यर	24	1. श्रीमती वीणा कुमारी	25
7	फतुहा	श्री प्रभात कुमार सिंह	33	1. श्रीमती पूनम कुमारी	40
				2. श्रीमती अंशु प्रीत	24
				3. श्रीमती किरण त्रिपाठी	0
				4. श्रीमती प्रमिला सिन्हा	30
8	बख्तियारपुर	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती उषा कुमारी	0
				2. श्रीमती भारती साहा	0
9	बाढ़	श्रीमती कुमारी देवमणि	13	1. श्रीमती गायत्री रानी	15
				2. श्रीमती नीलम रानी	0
				3. श्रीमती मधु कु. मेहता	10
10	पण्डारक	श्रीमती इन्दु कुमारी	0	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	26
11	मोकामा	श्रीमती कुमारी देवमणि	15	1. श्रीमती रुम प्यारी	25
				2. श्रीमती सुधा कु. सिन्हा	20

12	नौबतपुर	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	11	1. श्रीमती मीना कुमारी	24
				2. श्रीमती सुषमा रानी	24
13	बिक्रम	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	14	1. श्रीमती सुधा सिन्हा	26
14	दानापुर	श्रीमती रश्मि सिंह	15	1. श्रीमती प्रतिभा नारायण	85
				2. श्रीमती छवि कुमारी	
				3. श्रीमती सरोज प्रसाद	
				4. श्रीमती किशोरी कुमारी	
				5. श्रीमती सुषमा कुमारी	
15	बिहटा	श्रीमती रश्मि सिंह	14	1. श्रीमती सुधा कुमारी	21
16	मनेर	श्रीमती माला कुमारी	20	1. श्रीमती नीलिमा सिन्हा	31
				2. श्रीमती माधुरी सिन्हा	
				3. श्रीमती नीलू वर्मा	
17	पालीगंज	श्रीमती माला कुमारी	8	1. श्रीमती मंजू कुमारी	13
				2. श्रीमती आरती सिंह	9

बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण करने एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जिला को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि निरीक्षण टिप्पणी की जांच सही तरीके से की जा सके।

10. **साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण/निरीक्षण :**

बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को साप्ताहिक अग्रिम भ्रमण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन तथा महिला पर्यवेक्षिकाओं से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य प्रत्येक शुक्रवार को जिला प्रोग्राम कार्यालय या गोपनीय शाखा में जमा करने का निदेश दिया गया।

11. **निबंध :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका को निबन्ध "आंगनबाड़ी केन्द्र का कोटीकरण एवं ग्रेडेशन का आधार क्या हो" पर कम-से-कम 150 शब्दों तथा स्वहस्तलिखित जमा करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ सभी को सर्वश्रेष्ठ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका/आंगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु मापदण्ड निर्धारित हेतु लिखित मंतव्य मांगा गया था बहुत कम लोगों द्वारा अभी तक निबंध एवं मंतव्य प्राप्त हुए हैं। जल्द से जल्द सभी लोग निबंध एवं अपना मंतव्य जिला कार्यालय को उपलब्ध करा दें ताकि अगस्त 07 की मासिक बैठक में चयनित निबंध की घोषणा की जा सके। बार-बार निदेश देने के बाद भी सभी पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लिखित निबंध नहीं जमा करना अनुशासनहीनता का द्योतक है। आज की बैठक में मात्र श्रीमती रामप्यारी, महिला पर्यवेक्षिका, मोकामा द्वारा ही निबंध जमा किया गया।

12. विभिन्न परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षिकाओं का पदस्थापन/रिक्ति :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थापित	रिक्ति	अभियुक्ति
01.	पटना सदर-1 (वार्ड 1-4)	8	4	4	
02.	पटना सदर-2 (वार्ड 5-13)	8	0	8	
03.	पटना सदर-3 (वार्ड 14-20)	7	0	7	
04.	पटना सदर-4 (वार्ड 21-26)	6	0	6	
05.	पटना सदर-5 (वार्ड 27-37)	7	0	7	
06.	पटना ग्रामीण	3	3	0	
07.	पुनपुन-सम्पतचक	8	1	7	
08.	धनरूआ	8	1	7	
09.	मसौढ़ी	8	1	7	
10.	फतुहा-दनियावां	10	4	6	
11.	खुसरूपुर	3	0	3	
12.	बख्तियारपुर-बेल्छी	10	2	8	
13.	बाढ़-अथमलगोला	11	3	8	
14.	पण्डारक	5	1	4	
15.	मोकामा-घोसवरी	9	2	7	
16.	फुलवारीशरीफ	9	6	3	
17.	नौबतपुर	7	2	5	
18.	दानापुर	8	5	3	
19.	मनेर	9	3	6	
20.	बिहटा	9	1	8	
21.	बिक्रम	8	1	7	
22.	दुल्हिन बाजार	4	0	4	
23.	पालीगंज	9	2	7	
	कुल	174	42	132	

बाल विकास परियोजना फुलवारीशरीफ में 6 महिला पर्यवेक्षिका एवं किसी अन्य परियोजना में एक भी महिला पर्यवेक्षिका नहीं पदस्थापित की स्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा गहरा खेद व्यक्त किया गया एवं सभी परियोजनाओं में समानुपातिक रूप से महिला पर्यवेक्षिकाओं का पदस्थापन करने का आश्वासन दिया गया। सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु तीन-तीन परियोजना का नाम लिखित रूप में देने को कहा गया।

13 **आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लाभान्वितों की सूची :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आंगबाड़ी केन्द्रों की सूची की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराई गई है, जबकि लाभान्वितों की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी मात्र पटना सदर, पटना ग्रामीण, फतुहा, मसौढ़ी, दानापुर, धनरूआ, बिहटा एवं मनेर से ही मात्र उपलब्ध कराया गया है। शेष परियोजना पदाधिकारी को जल्द से जल्द लाभान्वितों की सूची उपलब्ध कराने हेतु अन्तिम रूप से चेतावनी दी गई, जो भी पदाधिकारी जुलाई, 07 के अन्त तक लाभान्वितों की सूची नहीं उपलब्ध करायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

14 **साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक :**

सभी परियोजना पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में भाग लेने एवं अपना विषय तुरंत समाप्त कर अपने कार्यालय से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने को कहा गया। इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को पूर्व में ही निदेश दिये जा चुके हैं।

15 **मुख्यालय में आवासन :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्राय: देखा जाता है कि क्षेत्रीय पदाधिकारी बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। यह एक अत्यन्त ही गंभीर मामला है। इस संबंध में मुख्य सचिव बिहार द्वारा पत्रांक 1985 दिनांक 2.11.06 जिसकी प्रति पूर्व में ही भेजी गयी थी के द्वारा यह हिदायत किया गया है कि सभी पदाधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहे जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके तथ आमजनों के कार्यों का त्वरित निष्पादन हो सके अन्यथा बाध्य होकर सरकार के निदेश की अवहेलना हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिकूल निप्पणी सरकार को भेज दी जायेगी।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी पर्यवेक्षिका/सभी कर्मचारी को मुख्यालय में अपना आवास रखने का निदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जो भी पदाधिकारी मुख्यालय में रहकर सरकारी गाड़ी का दुरूपयोग करेंगे, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। जिला स्तर से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा सभी का लॉग बुक जांच किया जायेगा। मुख्यालय में रहकर ही योजना की सेवाओं के सफल संचालन हेतु पर्याप्त समय दिया जा सकता है। अनावश्यक रूप से जैसे माननीय उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दायर करने, रिट की कॉपी प्राप्त करने आदि के नाम पर पटना में नहीं घूमा जाय। वर्तमान की परिस्थिति पर जिला पदाधिकारी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए बताया गया कि सभी लोग अपने-अपने परियोजना क्षेत्र में निवास करें अन्यथा बाहर रहने वाले पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी। अनुमण्डल बाढ़ के शिकायत पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाढ़ को नियमित रूप से डेरा की व्यवस्था कर बाढ़ में आवासन रखने का निदेश दिया गया। केन्द्र का समय 7.00 बजे से शुरू होता है। बिना मुख्यालय में रहे समय से निरीक्षण कार्य शुरू नहीं हो सकता है।

16. **केन्द्रों पर बोर्ड की स्थिति की समीक्षा :**

क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज भी सभी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड नहीं मिलते हैं । सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगा दिये गये हैं । इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र देने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया । बोर्ड बनाने में लागत राशि का व्यय केन्द्र आकस्मिकता मद/केयर के खाली टीना/बैग से प्राप्त राशि से की जायेगी । जहां भी बोर्ड नहीं पाया जायेगा उस परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ।

17. **केन्द्रों पर संधारित की जानेवाली पंजियां :**

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर जिन 17 पंजियों का संधारण किया जाता है उनका संधारण प्रति दिन ठीक ढंग से करने एवं उन्हें हमेशा अद्यतन रखने हेतु निदेश दिया गया । केन्द्रों पर संधारित की जाने वाली 17 पंजियों का क्रमांक निम्न प्रकार बताया गया–

1. सर्वेक्षण पंजी
2. स्कूल पूर्व शिक्षा हेतु उपस्थित पंजी
3. लाभान्वितों की उपस्थिति पंजी
4. मासिक–सह–खाद्यान्न वितरण पंजी
5. गर्भवती/प्रसुती महिलाओं की सेवायें पंजी
6. भण्डार पंजी (पोषाहार)
7. भण्डार पंजी (अन्य सामग्री)
8. पूरक पोषाहार हेतु गठित समिति की पंजी
9. क्रय पंजी
10. गृह भ्रमण पंजी
11. टीकाकरण पंजी
12. जन्म–मृत्यु पंजी
13. महिला मण्डल पंजी
14. निरीक्षण पंजी
15. दवा वितरण पंजी
16. ग्रोथ चार्ट पंजी
17. सूखा राशि वितरण (T.H.R.) पंजी

18. **बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट :**

सभी परियोजना पदाधिकारियों को बेबी तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की मांग आवश्यकतानुसार निदेशालय को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने

का निदेश दिया गया। जहां भी मशीन एवं ग्रोथ चार्ट उपलब्ध है वहां ईमानदारी से सभी बच्चों का वजन लेकर ग्रोथ चार्ट के माध्यम से उनका ग्रेडेशन निकाला जाय। तभी इस सेवा का लाभ वास्तविक बच्चों को मिल सकेगा। समय-समय पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निश्चिम रूप से इसकी जांच करें।

19. **आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र :**

सभी परियोजना में एक-एक आदर्श केन्द्र है। उन आदर्श केन्द्रों की सफाई, बच्चों के बाल, नाखून, बच्चों की उपस्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। प्रत्येक बैठक में एक-दो आदर्श केन्द्रों की सेविका से आदर्श केन्द्र के बारे में जानकारी ली जाती है। आज की बैठक में आदर्श केन्द्र की एक भी सेविका या सहायिका द्वारा भाग नहीं लिया गया। आगे से उन्हें बैठक में साथ लाने हेतु निदेश दिया गया।

20. **भवन निर्माण :**

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहटा एवं फतुहा द्वारा कार्यालय भवन पूर्ण होने एवं नये भवन में कार्यालय संचालन की बात कही गयी। पालीगंज में अभी तक नये भवन में कार्यालय स्थानान्तरण नहीं हुआ है। बिहटा-8, मनेर-12, धनरूआ-7, मसौढ़ी-1, पालीगंज-2, फतुहा-5, पुनपुन-7 भवन पूर्ण होने की सूचना दी गयी। शेष केन्द्रों को जल्द से जल्द प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर पूर्ण करवाने का निदेश दिया गया।

21. **मानदेय भुगतान :**

समीक्षा के क्रम में सभी परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि माह फरवरी 07 तक मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। सभी परियोजना पदाधिकारी को प्राप्त आवंटन से जल्द से जल्द अद्यतन मानदेय भुगतान करने का निदेश दिया गया।

22. **पोषाहार :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2006-07 की पोषाहार मद की अवशेष राशि से केन्द्रों पर पोषाहार वितरण कार्यक्रम संचालित है। अगस्त 07 के बाद पोषाहार की राशि पुरी तरह खर्च हो जाएगी।

23. **अवकाश :**

बिहार सेवा संहिता में यह स्पष्ट रूप से प्रावधान निरूपति किया गया है कि आकस्मिक अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अवकाश लोक सेवा के हितों के विरुद्ध पाये जाने पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का प्रयोजन स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए न कि अपरिहार्य कारणवश, अत्यावश्यक कार्य या अन्य भ्रमात्मक शब्द का उल्लेख हो। मुख्यालय से अवकाश अवधि में मुख्यालय से बाहर जाने पर स्थान का पता एवं सम्पर्क सूत्र

का भी उल्लेख करना अनिवार्य है अन्यथा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जायेगी। सभी परियोजना पदाधिकारी को संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को छुट्टी का आवेदन देना होगा, अनुमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी से छुट्टी स्वीकृत होने के पश्चात् ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति होगी एवं अवकाश स्वीकृत समझा जायेगा।

24. **मासिक प्रगति प्रतिवेदन :**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बैठक के दिन तक मात्र 2-3 परियोजना से मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त होने के कारण खेद व्यक्त किया गया और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक माह में 1 से 2 तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बैठक के दिन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के कारण उनकी समीक्षा नहीं हो पाती है। जो भी परियोजना पदाधिकारी बैठक की तिथि तक गुणवत्ता के साथ मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला को उपलब्ध नहीं करायेंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

25. **कार्य दिवस :**

वैसे परियोजना पदाधिकारी जो दो परियोजना के प्रभार में हैं वे दोनों परियोजना में निम्न प्रकार कार्य दिवस में उपस्थित रहते हैं-

क्र.सं.	परि. पदाधिकारी का नाम	परियोजना का नाम	कार्य दिवस
01.	श्रीमती कुमारी देवमणि	मोकामा	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बाढ़	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
02.	श्रीमती इन्दु कुमारी	पण्डारक	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
		बख्तियारपुर	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
03.	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	बिक्रम	मंगलार, गुरुवार, शनिवार
		नौबतपुर	बुधवार, वृहस्पतिवार, सोमवार
04.	श्रीमती रश्मि सिंह	दानापुर	सोम, मंगल, शुक्र, शनिवार
		बिहटा	बुध, वृहस्पति, शनिवार
05.	श्रीमती ममता वर्मा	फुलवारीशरीफ	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
		पटना सदर	मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
06.	श्रीमती माला कुमारी	मनेर	शुक्रवार, शनिवार, बुधवार
		पालीगंज	सोमवार, मंगलवार, वृहस्पतिवार

26. **अंकेक्षण :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जल्द से जल्द अंकेक्षण से संबंधित सभी लम्बित प्रतिवेदनों को शून्य करें।

27. **न्यायालय मामला :**

संबंधित परियोजना पदाधिकारियों को लम्बित न्यायालय मामलों को प्राथमिकता के आधार पर विशेष ध्यान देकर जल्द से जल्द प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निदेश दिया गया

28. **जन्म-मृत्यु की समीक्षा :**

बैठक में समीक्षा के क्रम में माह फरवरी 07 में जन्म-मृत्यु की स्थिति परियोजनावार निम्न प्रकार पायी गयी-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	प्रतिवेदनि माह में कुल जन्म		प्रतिवेदित माह में कुल मृत्यु	
		लड़का	लड़की	पुरुष	औरत
1	पटना सदर	58	50	1	1
2	पटना ग्रामीण	0	0	0	0
3	पुनपुन	30	19	25	14
4	धनरूआ	3	0	0	0
5	मसौढ़ी	38	18	18	15
6	फतुहा	76	53	20	11
7	बख्तियारपुर	78	39	1	0
8	बाढ़	0	0	0	0
9	पंडारक	53	43	24	17
10	मोकामा	38	29	24	27
11	फुलवारीशरीफ	56	41	17	24
12	नौबतपुर	48	23	0	0
13	दानापुर	0	0	0	0
14	मनेर	0	0	0	0
15	बिहटा	34	20	5	9
16	बिक्रम	37	20	24	8
17	पालीगंज	51	49	28	23
	कुल	600	404	187	149

29. **डी.सी. विपत्र :**

समीक्षा के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को मार्च 07 तक ए. सी. विपत्र पर निकासी के विरुद्ध निम्नलिखित प्रपत्र में डी.सी. विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने हेतु निदेश दिया गया।

विहित विपत्र

क्र.सं.	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र सं.	विपत्र की राशि	डी.सी. विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

30. **जीप का लॉग बुक :**

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना कार्यालय बिहटा, बाढ़ आदि के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जीप का लॉग बुक का संधारण ठीक से नहीं किया जा रहा है। लॉग बुक एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में काफी भिन्नता पायी गयी। इसपर विशेष रूप से ध्यान देने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ निरीक्षण के अनुसार ही जीप का लॉग बुक संधारित करने का भी निदेश दिया गया।

31. **पौष्टिक लेमनचूस :**

बैठक में पौष्टिक लेमनचूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी। आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यह लेमनचूस दूर करता है। सभी परियोजना पदाधिकारी को प्राप्ती की सूचना एवं वितरण हेतु कार्य तालिका बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन-सह-उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय भेजने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दिये गये।

32. **नियमित टीकाकरण :**

प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को टीकाकरण हेतु दिन निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को वर्णित दिन को प्रखण्ड स्तर पर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं रखने का, उस दिन सभी सेविका/सहायिका को अपने-अपने क्षेत्र में रहने/जिस बच्चे का टीकाकरण शेष है उसे केन्द्र पर लाने/माता-पिता को अपने बच्चों को केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित करने/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्र के सहयोग से ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस लाभ से आच्छादित किया जाय। पटना जिला का प्रदर्शन इस क्षेत्र में अच्छा नहीं है इसमें और सुधार करना आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का नैतिक दायित्व है।

33. **पल्स-पोलियो :**

बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा पल्स पोलियो कार्यक्रम की समीक्षा की गयी। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में पुरा-पुरा अपना सहयोग देने का निदेश दिया गया।

सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक/कर्मचारी को मुख्यालय में रहकर सरकार की [illegible] योजना को सफल करने, सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका [illegible] प्रक्रिया को सार्वजनिक करने, [illegible] एवं [illegible] उपलब्ध कराने, [illegible] आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं [illegible] कराने तथा योजना [illegible] की पूरी [illegible] का निदेश दिया गया।

अन्त में सभी परियोजना पदाधिकारी को [illegible] पत्रांक 2793 दिनांक 3.10.06 [illegible] सेविका/सहायिका के चयन संबंधी [illegible] 28.5.2007 द्वारा निर्धारित [illegible] सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों की [illegible] का त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया। [illegible] से निरीक्षण करने एवं उसके [illegible] का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्यवाही धन्यवादपूर्वक समाप्त की गयी।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक　　　　　　　　　　　दिनांक

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक　　　　　　　　　　　दिनांक

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार सरकार/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना

(अरुण कुमार वर्मा)
वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना

(बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि : उप निदेशक, कल्याण, पटना प्रमण्डल, पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिका..., पटना जिलान्तर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)	(अरुण कुमार वर्मा)	(बी. राजेन्दर)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना	वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना	जिलाधिकारी, पटना

ज्ञापांक दिनांक

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला अन्तर्गत को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)	(अरुण कुमार वर्मा)	(बी. राजेन्दर)
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पटना	वरीय प्रभारी, जिला प्रोग्राम, पटना	जिलाधिकारी, पटना

254

...राजेन्दर... की अध्यक्षता में दिनांक 8.8.2007 को बाल विकास परियोजना ...कारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

...स्थिति : यथा पंजी में संधारित।

...विषय : I.C.D.S. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्येश्य हैं :-

(1) 0–6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।

(2) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक,शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।

(3) मृत्युता,मानसिक अस्वस्थता,कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।

(4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।

(5) उचितपोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

पूर्व की बैठकों में तथा समय–समय पर बाल विकास परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम ...द्वारा विकास परियोजना पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि वे आई०सी०डी०एस० ...श्यों को आत्मसात कर लें और उसीके अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें ताकि ...बच्चों को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ अधिक–से–अधिक संख्या में लाभान्वित किया जा ...परन्तु बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से उद्येश्यों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर ...को छोड़ सभी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इस स्थिति को अत्यन्त चिन्ताजनक बताते हुए यह ...व्यक्त की गयी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने कर्त्तव्य के प्रति कितने संवेदनशील

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना-पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

...ने की व्यवस्था :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से ...बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का ...ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने–अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार ...निदेशदिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित ...से आधा घंटा पूर्व अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश ...रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

...नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :

समीक्षा के क्रम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजन... ...धिकारियों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी :–

परियोजना का नाम	नव स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण की स्थिति		अनु...
		सेवि०	सहा०	सेवि०	सहा०	सेवि०	सहा०	सेवि०	सहा०	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पटना सदर–1(वार्ड 1–4)	128	128	126	0	2	124	103	124	3	
पटना सदर–2(वार्ड 5–13)	192	192	192	0	0	192	186	186	19	
पटना सदर–3(वार्ड 14–20)	155	155	155	0	0	140	140	107	31	

1

4	पटना सदर–4(वार्ड 21–26)	112	110	104	0	8	100	100	100	51
5	पटना सदर–5(वार्ड 27–37)	168	168	159	0	9	155	150	155	0
6	पटना ग्रामीण	66	66	66	0	0	61	61	61	61
7	पुनपुन+सम्पतचक	47	47	47	0	0	45	47	41	41
8	धनरूआ	48	48	48	0	0	43	42	38	37
9	मसौढी	87	87	87	0	0	87	87	77	33
10	फतुहा+दनियावां	65	65	65	0	0	55	55	58	58
11	बख्तियारपुर+बेलछी	59	31	28	29	31	0	0	0	0
12	बाढ+अथमलगोला	77	77	75	0	2	57	67	67	37
13	पण्डारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	मोकामा+घोसवरी	24	24	24	0	0	24	24	22	20
15	फुलवारीशरीफ	65	62	58	3	7	61	51	53	0
16	नौबतपुर	12	12	12	0	0	12	12	12	0
17	दानापुर	78	78	78	0	0	78	78	70	35
18	मनेर	70	70	70	0	0	65	65	55	49
19	बिहटा	33	33	33	0	0	33	33	31	0
20	विक्रम	21	21	21	0	0	21	21	21	6
21	दुलहिन बाजार	19	19	19	0	0	19	19	19	12
22	पालीगंज	36	36	36	0	0	35	35	25	25
23	खुसरूपुर	34	33	33	0	0	30	31	30	31
	कुल	1596	1562	1536	34	60	1449	1407	1352	751

स्वीकृत बल के अनुरूप पटना सदर–1, पटना सदर–4, पटना सदर–5, बाढ़, फुलवारी शरीफ एवं खुसरूपुर प्रखण्डों में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका का चयन नहीं हुआ है। अतः सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निदेशक,समेकित बाल विकास प[रि]योजना,बिहार को पत्र लिखते हुए उसकी एक प्रति मुख्य सचिव को दी जाय। चूंकि बख्तियारपुर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को घूस लेते हुए निगरानी विभाग द्वारा पकड़ा गया है जिसके फलस्वरूप [illegible] प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रभार लेने का आदेश दिया गया और उनके द्वारा दिनांक 3.8.07 को प्रभार लिय गया और उन्हें तीन दिनों के अन्दर विशेष अभियान चला कर रिक्त केन्द्रों के चयन का निदेश दिया गया चयन करने और नामांकन पत्र वितरण में पटना सदर–1, पटना सदर–2, पटना सदर–3, पटना सदर–4 पटना सदर–5, पुनपुन, धनरूआ, फतुहा, खुसरूपुर, बाढ़, फुलवारी शरीफ, मनेर एवं पालीगंज में विसंगति है इसलिए केन्द्र कार्यान्वित नहीं हुआ है।

प्रशिक्षण यदि अकारण नहीं हुआ है तो इनके विरूद्ध कार्रवाई की जायगी। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि खोले गये खाता खोलने का भी निदेश दिया गया। खातों की एक सूची उपलब्ध करायी जाय।

जहां–जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का चयन नहीं हुआ है वहां दो दिनों के अन्दर चयन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जहां–जहां चयन हो गया है और नामांकन पत्र नहीं दिया गया है वहां के पंचायत सेवक एवं मुखिया पर जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। फतुहा के मुखिया के विरूद्ध सरकारी कार्य में बाधा डालने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना/अवहेलना के लिए प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया।

फुलवारी शरीफ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि ढिबरा, गोनपुर एवं नोहसा के पंचायत सेवक नामाकंन पत्र नहीं दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में तत्काल दूरभाष से अंचलाधिकारी,फुलवारी शरीफ को निदेश दिया गया कि वे पंचायत सेवक को तुरंत नामांकन पत्र देने का कार्य सुनिश्चित करायें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना/अंचलाधिकारी,फुलवारी शरीफ/ सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निम्नांकित प्रपत्र में नयी एवं पुरानी चयनित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

प्रपत्र–1 (नव स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	से/स0 का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

निदेश दिया गया कि अगर कहीं नगर परिषद के विघटित हो कर नगर निगम बन जाने के कारण वार्ड सदस्य का अस्तित्व समाप्त हो गयेा हो या फिर कहीं पर नये नगर पंचायत/नगर परिषद के बन जाने तथा उसका गठन नहीं होने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में आम सभा हेतु अध्यक्ष बनाने में दिक्कत है तो इस आशय का पत्र भेजें ताकि वहां पर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के वयन हेतु नयन समिति की अध्यक्षता के लिए जिला से किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जा सके।

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार हो कर एवं चयन/नामांकन पत्र/प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन कीकार्यालय प्रति साथ ले कर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एक रूपता बनी रहे।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक सेविका/सहायिका की अलग अलग पंजी/संचिका संधारित करने तथा उसका रख–रखाव सही ढंग से करने का निदेश दिया गया ताकि भविष्य में कभी भी जांच हो तो उसे उपस्थापित किया जा सके।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

5. चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन में हो रही कठिनाई को लिखित रूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त डाक अभिकर्त्ता (ई0डी0एजेन्ट) सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति 10–12 वर्षों से किराये

...रहे हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तथा सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा यदि आवासीय प्रमाण पत्र ...र्गत किया गया हो तो वैसे भी व्यक्ति का चयन किया जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

6. **चयन के विरूद्ध प्राप्त आरोप / शिकयत पत्रों की समीक्षा :**

सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिकायत कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्यालय को सभी शिकायतों को अनुमण्डलवार अलग कर निम्नांकित प्रपत्र में तैयार करने का निदेश दिया गया तथा उसकी छाया प्रति सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / मुखिया / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सम्बन्धित आरोपकर्त्ता को तुरंत उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी सम्बन्धित अनुमण्डलों में अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ कैम्प लगा कर शिकायत पत्रों का निष्पादन किया जा सके।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	शिकायतकर्त्ता का नाम	मोहल्ला / वार्ड / पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार	सम्बन्धित परियोजना किनके विरूद्ध
1	2	3	4	5

आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका की नियुक्ति में धांधली सम्बन्धी लगभग 1600 शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। इन शिकायत पत्रों की जांच हेतु अभिलेख तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दो माह पूर्व दिया गया था। परन्तु आज तक मात्र 60 अभिलेख ही प्रस्तुत किये गये हैं। शेष शिकायत पत्रों से सम्बन्धित अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा आरोपी को लाभ पहुंचाने का प्रयास करना, घूस लेकर मामले को दबाने का प्रयास करना, नियमों का पालन नहीं करना, मनमानी करना इत्यादि गलत मंशा को परिलक्षित करता है। इस सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बार–बार अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया है फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। निदेश दिया जाता है कि चार दिनों के अन्दर सभी का अभिलेख बना कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि अनुमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क कर, एक तिथि निर्धारित कर आरोप पत्रों की जांच हेतु अनुसारण पत्र के साथ उन्हें तामीला कराया जा सके। इन सभी शिकायत पत्रों का निष्पादन माह अगस्त,07 के अंत तक करने का निदेश सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को दिया जाता है। सभी सम्बन्धित को तामीला का दायित्व अनुमण्डल पदाधिकारियों का होगा।

(अनुपालनः सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिकायत कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्यालय)

7. **प्रशिक्षण :**

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 1700 दिनांक 28.6.2007 द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं / सहायिकाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार एवं पत्र में दिये गये निदेशानुसार प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को प्रशिक्षण का भुगतान करने का निदेश हुआ। इस हेतु प्राप्त 15.80 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। भुगतान में पारदर्शिता बरतने का निदेश दिया गया। प्रशिक्षण हेतु प्राप्त 15.80 लाख रूपये का भुगतान प्रशिक्षण केन्द्रों को करने के सम्बन्ध में बताया गया कि निदेशक,आई0सी0डी0एस0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को कई बार दूरभाष पर निदेश दिया गया है कि प्रशिक्षण मद में प्राप्त राशि को सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थाओं को भुगतान करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके लिए उन्हें निदेशालय द्वारा प्राधिकृत भी किया गया है। निदेश दिया जाता है कि निदेशालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तीन दिनों के अन्दर सम्बन्धित संस्थाओं को प्रशिक्षणार्थियों की जांच कर भुगतान करें। यह भी सावधानी बरतें कि कतिपय बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत की गयी है। उसीके अनुरूप आनुपातिक रूप से कटौती कर भुगतान करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

ौष्टिक सत्तू योजना :

पटना जिला में फुलवारी प्रखण्ड में 60 केन्द्रों पर यह योजना मई 2007 में प्रारंभ हुई है। इसके संचालन के बाद मनेर प्रखण्ड के 20 केन्द्रो पर और बिहटा प्रखण्ड के 60 केन्द्रों पर यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। इसका संचालन दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के म से किया जायगा। बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया कि मंगलवार से इस योजना का प्रारंभ वे सभी केन्द्रों पर करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपना अग्रिम भ्रमण र्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार के अपराह्न 5.00 बजे गोपनीय शाखा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे विकास परियोजना पदाधिकारियों के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य ित करना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया गया कि श्री राधा रमण तिवारी द्वारा कोई संचिका निष्पादित की जायगी।

अग्रिम भ्रमाण कार्यकम के साथ प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निरीक्षण प्रतिवेदन घर बैठे–बैठे ही तैयार किये गये हैं। निरीक्षण, प्रतिवेदन में निरीक्षण हेतु जाने की समय इ यादि अंकित करना आवश्यक है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय खुला रखना है और ालय में रहना है क्योंकि शनिवार के दिन सभी आंगनबाडी केन्द्र खुले रहते हैं।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

10. कार्यालय प्रबन्धन :

विगत दिनों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विकम,नौबतपुर,पुनपुन,बिहटा एवं बाढ के बाल विकास परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में इनकी स्थिति अत्यन्त ही दयनीय पायी गयी। इन कार्यालयों में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्य निराशाजनक हैं। कई महीनों से कोई भी पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा देखे नहीं गये हैं। रोकड़ बही अद्यतन नहीं है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता / गबन की स्थिति बनी हुई है। आदेश दिया जाता है कि कार्यालय प्रबन्धन में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्यों पर विशेष ध्यान दें। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रधान सहायकों की बैठक की कार्यवाही को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिये गये निदेश के अनुरूप कार्य करें।

महिला पर्यवेक्षिकाओं का क्षेत्र निर्धारित है। वे मुख्यालय में रह कर इसके अनुरूप अपने क्षेत्र का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। साथ उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपना आवासीय पता एवं अपना दूरभाष / मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायें।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

11. आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका की मासिक बैठक की कार्यवाही का प्रेषण :

प्रत्येक माह में परियोजनावार आंगनबाडी सेविका / सहायिका की मासिक बैठक करें और बैठक की कार्यवाही 48 घंटे के अन्दर गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आंगनबाडी सेविका / सहायिका को प्रोत्साहित करें तथा उन्हें प्रशिक्षित करें न कि उनकी संचिका दबाकर उन्हें ब्लेक मेल करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मासिक बैठक एक बार / दो बार शनिवार अथवा रविवार को अपराह्न 12.00 बजे के बाद ही करें ताकि केन्द्र का संचालन बाधित न हो।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

मुख्यालय में आवासन :

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिना किसी ... के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः बाल विकास प..योजना ...धिकारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं। यह एक अत्यनत ही गंभीर मामला है। इस सम्बन्ध में राज्य ...,बिहार द्वारा अपने पत्रांक–1985 दिनांक 2.11.06 में स्पष्ट निदेश है कि सभी बाल विकास परि..जना ...धिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें जिससे सरकारी कार्य ससमय ...पादित हो सके। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में ...ने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

...अवकाश :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवकाश ...नहीं जाने का निदेश दिया गया।

श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन द्वारा 25 से 31 जुलाई तक ...ल पद धिकारी से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त कर अवकाश का उपभोग किया गया। यह एक गंभीर ... है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जब श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन से दूरभाष ...म्पर्क किया गया तो पता चला कि वे अवकाश पर हैं और रांची चली गयी हैं। इस हेतु श्रीमती जया ...श्रा का वेतन स्थगित करने तथा इसकी सूचना कोषागार को देने का आदेश दिया जाता है और इनकी ...नुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता, आदेश की अवहेलना तथा बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अवकाश ...र चले जाने के लिए इनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

14. आंगनबाड़ी केन्द्र पर बोर्ड लगाना :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर अन्दर / बाहर बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। इसमें होने वाले ...व्यय का वहन आकस्मिकता मद / केयर के खाली टीना / बैग की बिक्री से प्राप्त राशि से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

15. मानदेय भुगतान :

मानदेय भुगतान के मद में 2.50 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन से प्रत्येक माह अद्यतन सभी आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका को मानदेय भुगतान करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

16. पोषाहार :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यक्रम में पारदर्शिता बरतने का निदेश देते हुए बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पोषाहार मद का आवंटन प्राप्त हो गया है। परन्तु उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस मद में अभी तक आवंटन नहीं आया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में निदेशालय को पत्र लिखने हेतु प्रारूप उपस्थापित करें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना)

17. जन्म–मृत्यु की सूचना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका / सहायिकाओं से जन्म–मृत्यु की सूचना अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि नवजात शिशुओं को पोलियो इत्यादि की दवा पिलाना भी सुनिश्चित किया जाय। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों / महिला

...क्षिकाओं को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। टीकाकरण हेतु 3-4 केन्द्र को एक ... करने का भी निदेश दिया गया।

बच्चों को किस–किस बीमारी से बचाव के लिए टीका दिया जाता है इसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं को नहीं है। इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई और निदेश दिया गया कि वे इसकी जानकारी रखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

डी०सी०विपत्र :

निम्नांकित प्रपत्र के माध्यम से डी०सी० विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया –

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	डी०सी०विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ है कि बहुत सी राशि अग्रिम में दी गयी है जिसका समायोजन किया गया है। इसके समायोजन का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

भवन निर्माण :

बैठक में बताया गया कि 20 हजार केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु प्राथमिक विद्यालयों/मध्य विद्यालयों में स्थल चयन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

रिपोर्ट–रिटर्न :

रिपोर्ट–रिटर्न समय पर भेजने का निदेश दिया गया। इस हेतु प्रयोग में लायी जाने वाली प्रपत्र को आकस्मिकता मद से मुद्रित कराने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट–रिटर्न तीन प्रतियों में बनाने का निदेश दिया गया जिसकी एक प्रति निदेशालय को भेजने, दूसरी प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने एवं तीसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

वाहन का लॉग बुक :

बाल विकास परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आयी है कि वाहनों के लॉग बुक का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। लॉग बुक का संधारण निरीक्षण के अनुसार ही संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

अन्यान्य :

(1) अपनी समस्याओं को सर्व प्रथम जिलाधिकारी के समक्ष रखने का निदेश दिया गया।
(2) विधि–व्यवस्था की समस्या के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा शिकायत नहीं सुने जाने पर इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी जाय न कि निदेशक को।
(3) कार्यालय की मरम्मती हेतु 12वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग करने का निदेश दिया गया।
(4) कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र ले लेने का निदेश दिया गया।
(5) कार्यालय प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया।
(6) खराब वाहनों को मोटर यान निरीक्षक से रद्द कराने का निदेश दिया गया।
(7) बाल विकास परियोजना पदा०/महिला पर्यवेक्षिकाओं को कम्प्यूटर सीखने का निदेश दिया गया।

दुलहिन बाजार/मनेर/खुसरूपुर के आंगन बाड़ी केन्द्र के लिए प्रखण्ड कार्यालय परिसर में दो कमरों के आवंटन का आदेश दिया गया।

नये केन्द्रों के लिए आवश्यक सामग्रियों के कय हेतु 55 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। सामग्रियों के कय हेतु जिला स्तर से दर का निर्धारण किया जायगा और इसी निर्धारित दर के अनुसार सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा सामग्री कय की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

Robindra 14.8.07

रवीन्द्र कुमार
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-621 /जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 24.8.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक,पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Robindra 14.8.07

रवीन्द्र कुमार
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-621 /जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 24.8.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव,बिहार,पटना/सचिव,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना/आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना/निदेशक,आई०सी०डी०एस० निदेशालय,बिहार,पटना/उप विकास आयुक्त,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Robindra 14.8.07

रवीन्द्र कुमार
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-621 /जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 24.8.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक,कल्याण,पटना प्रमण्डल,पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Robindra 14.8.07

रवीन्द्र कुमार
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
पटना।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-621 /जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 24.8.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास प्रदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिक,पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

डॉ० बी० राजेन्दर,भा0प्र0से0,जिलाधिकारी,पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5.9.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : यथा पंजी में संधारित।

नगण्य उपस्थिति को देखते हुए अनुपस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी। ज्ञात हुआ कि आज निदेशालय में भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी की बैठक निर्धारित है जिसमें भाग लेने हेतु सभी लोग गये हुए हैं। उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के रूप में अंचलाधिकारी,बख्तियारपुर–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपस्थित थे। शेष महिला पर्यवेक्षिकायें तथा पटना सदर एवं फतुहा के चिकित्सक उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति पंजी के अनुसार दर्ज है।

2. उद्येश्य :

I.C.D.S. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्येश्य हैं :–

(1) 0–6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
(2) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक,शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
(3) मृत्युता,मानसिक अस्वस्थता,कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
(4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
(5) उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख–भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

पूर्व की बैठकों में तथा समय–समय पर बाल विकास परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि वे आई0सी0डी0एस0 के उद्येश्यों को आत्मसात कर लें और उसीके अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें ताकि गरीब बच्चों को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ अधिक–से–अधिक संख्या में लाभान्वित किया जा सके। परन्तु बैठक में उपस्थित महिला पर्यवेक्षिकाओं से उद्येश्यों के सम्बन्ध में पूछे जाने पर मात्र दानापुर की श्रीमती छवि कुमारी को छोड़ कर किसी को भी उद्येश्यों की जानकारी नहीं थी। इस स्थिति को अत्यन्त चिन्ताजनक बताते हुए यह आशंका व्यक्त की गयी कि महिला पर्यवेक्षिकाएं अपने कर्त्तव्य के प्रति कितनी संवेदनशील हैं। सभी उपस्थित महिला पर्यवेक्षिकाओं को निदेश दिया गया कि विगत एक माह के अन्दर उनके द्वारा निर्धारित उद्येश्य की प्राप्ति की दिशा में कृत कार्रवाई से सम्बन्धित एक लिखित प्रतिवेदन आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका)

3. बैठने की व्यवस्था :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का पूर्व से ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने–अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार पुनः निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

आज की बैठक में उक्त निदेश का अनुपालन संभव नहीं हो पाया चूंकि आज की यह बैठक सभा कक्ष में न हो कर विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में प्रारंभ हुई।

4. नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :

समीक्षा के कम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी :–

क्रम	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण की स्थिति		अभ्युक्ति
			सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना सदर–1(वार्ड 1–4)	128	128	128	0	0	124	103	124	103	
2	पटना सदर–2(वार्ड 5–13)	192	192	192	0	0	192	186	186	119	
3	पटना सदर–3(वार्ड 14–20)	155	155	155	0	0	140	140	107	33	
4	पटना सदर–4(वार्ड 21–26)	112	110	104	0	8	100	100	100	51	
5	पटना सदर–5(वार्ड 27–37)	168	168	168	0	0	155	150	155	0	
6	पटना ग्रामीण	66	66	66	0	0	61	61	61	61	
7	पुनपुन+सम्पतचक	47	47	47	0	0	45	47	41	41	
8	धनरूआ	48	48	48	0	0	43	42	38	37	
9	मसौढी	87	87	87	0	0	87	87	77	33	
10	फतुहा+दनियावां	65	65	65	0	0	55	55	52	58	
11	बख्तियारपुर+बेलछी	59	31	28	29	31	0	0	0	0	
12	बाढ+अथमलगोला	77	77	77	0	0	57	67	67	37	
13	पण्डारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	मोकामा+घोसवरी	24	24	24	0	0	24	24	24	20	
15	फुलवारीशरीफ	65	65	61	0	4	61	51	53	0	
16	नौबतपुर	12	12	12	0	0	12	12	12	0	
17	दानापुर	78	78	78	0	0	78	78	70	35	
18	मनेर	70	70	70	0	0	65	65	55	49	
19	बिहटा	33	33	33	0	0	33	33	31	0	
20	विकम	21	21	21	0	0	21	21	21	6	
21	दुलहिन बाजार	19	19	19	0	0	19	19	19	12	
22	पालीगंज	36	36	36	0	0	35	35	25	25	
23	खुसरूपुर	34	33	33	0	0	33	31	30	31	
	कुल	1596	1562	1536	34	60	1449	1407	1352	751	

जहां–जहां आंगनबाड़ी सहायिका/सेविका के चयन की प्रकिया पूर्ण नहीं की गयी है वहां के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निदेशक,समेकित बाल विकास परियोजना,बिहार को पत्र लिखते हुए उसकी एक प्रति मुख्य सचिव को दी जाय।

प्रशिक्षण यदि अकारण नहीं हुआ है तो इनके विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

खाता खोलने के सम्बन्ध में बैठक में जानकारी दी गयी कि खाता खोलने का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है और इसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है।

जहां–जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का चयन नहीं हुआ है वहां दो दिनों के अन्दर चयन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जहां–जहां चयन हो गया है और नामांकन पत्र नहीं दिया गया

है वहां के पंचायत सेवक एवं मुखिया पर जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

अंचलाधिकारी,बख्तियारपुर–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को विगत बैठक में तीन दिनों के अन्दर विशेष अभियान चला कर रिक्त केन्द्रों के चयन का निदेश दिया गया था, परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया गया है। इसे गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी,बख्तियारपुर–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। अंचलाधिकारी,बख्तियारपुर द्वारा बताया गया कि त्रुटिपूर्ण मैपिंग के कारण उनके द्वारा यह कार्य समय–सीमा के तहत पूर्ण नहीं किया जा सका। मैपिंग में सुधार किया जा रहा है और एक सप्ताह के अन्दर कार्य पूर्ण कर लिया जायगा।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि चयन प्रकिया पूरा करना, नामांकन पत्र निर्गत करना तथा प्रशिक्षण देने का कार्य सम्पन्न करना इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करें तथा जहां–जहां कार्य नहीं उनके विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निम्नांकित प्रपत्र में नयी एवं पुरानी चयनित आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

प्रपत्र–1 (नव स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	पंचायत / वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	से / स0 का नाम	पिता / पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या / तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपस्थित महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा जानकारी दी गयी कि प्रपत्र–1,2 एवं 3 पूर्ण कर आज कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। परन्तु बख्तियारपुर नगर परिषद में अध्यक्षता के सम्बन्ध में विवाद है। इस मुददे पर मार्ग–दर्शन की आवश्यकता है जिसे इस बैठक में मार्ग–दर्शन दे दिया गया। तदनुसार मैपिंग में संशोधन कर नव सृजित वार्डों में अध्यक्षता अधिकतम आबादी के आधार पर सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार हो कर एवं चयन / नामांकन पत्र / प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन कीकार्यालय प्रति साथ ले कर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एक रूपता बनी रहे।

विगत बैठक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रत्येक सेविका / सहायिका की अलग–अलग पंजी / संचिका संधारित करने तथा उसका रख–रखाव सही ढंग से करने का निदेश दिया गया

...। इस सम्बन्ध में महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा बताया गया कि इसका अनुपालन शत–प्रतिशत किया जा रहा है।

(अनुपालनः अंचलाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर)

... चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन में हो रही कठिनाई को लिखित रूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त डाक ...कर्त्ता (ई0डी0एजेन्ट) सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति 10–12 वर्षों से किराये पर ... रहे हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तथा सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा यदि आवासीय प्रमाण पत्र ...र्गत किया गया हो तो वैसे भी व्यक्ति का चयन किया जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

... चयन के विरूद्ध प्राप्त आरोप / शिकायत पत्रों की समीक्षा :

सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिकायत कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्यालय को सभी शिकायतों ... अनुमण्डलवार अलग कर निम्नांकित प्रपत्र में तैयार करने का निदेश दिया गया तथा उसकी छाया प्रति ...भी अनुमण्डल पदाधिकारी / मुखिया / बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सम्बन्धित आरोपकर्त्ता को ...त उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी सम्बन्धित अनुमण्डलों ... अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ कैम्प लगा कर शिकायत पत्रों का निष्पादन किया जा सके।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	शिकायतकर्त्ता का नाम	मोहल्ला / वार्ड / पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार	सम्बन्धित परियोजना किनके विरूद्ध
1	2	3	4	5

कुल 1488 आरोप पत्र / शिकायत पत्र प्राप्त हुए थे। सभी के लिए अलग–अलग संचिका खोलकर सभी सम्बन्धित पक्षों को नोटिस निर्गत करने का कार्य किया जा रहा है। अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारियों, जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित पक्षों के समक्ष शिकायतों की सुनवाई करते हुए स्थल पर निर्णय लेने हेतु जिला स्तर से निदेश पत्र भी निर्गत किया जा रहा है।

(अनुपालनः सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिकायत कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्यालय)

7. प्रशिक्षण :

समीक्षा के क्रम में जानकारी दी गयी कि माह अगस्त में दानापुर में 11, पटना सदर में 35–35 के चार बैच, मसौढ़ी में 10 सेविका एवं 35 सहायिका को कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण हेतु भेजा गया है और निर्धारित कैलेण्डर में कोई भी त्रुटि नहीं रह गयी है। निदेश दिया गया कि जिला प्रोग्राम कार्यालय यह जांच कर देख ले कि उपर्युक्त विवरणी निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार है या निदेश का उल्लंघन हुआ है। जिन्होंने कैलेण्डर के अनुसार प्रशिक्षण हेतु तत्सम्बन्धी कार्रवाई नहीं की है उनसे स्पष्टीकरण पूछने तथा उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" गठित करने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

8. पौष्टिक सत्तू योजना :

समीक्षा के क्रम में जानकरी दी गयी कि बिहटा में राशि मिल गयी है परन्तु योजना शुरू नहीं हुई है। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। पूर्व में निदेश दिया गया था कि अध्यक्ष / सचिव,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को भी बैठक में बुलाया जाय। बिहटा परियोजना द्वारा इसके अध्यक्ष / सचिव,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को बैठक में आने की सूचना नहीं दी गयी है। इसके लिए अध्यक्ष / सचिव,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति से समर्पित करने का निदेश दिया गया। मनेर परियोजना लिए बिहटा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समर्पित करने का निदेश दिया गया था। अब तक दुग्ध उत्पादक सहयोग के 20 केन्द्रों पर यह कार्यक्रम प्रारंभ करने का निदेश दिया गया था।

समिति, मनेर को राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि आज की बैठक में अध्यक्ष,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति,मनेर उपस्थित हैं। उन्होंने बताया कि यदि उन्हें राशि मिल जाती है तो वे अविलम्ब पैकेट्स तैयार कर उपलब्ध करा देंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,मनेर से कार्य में शिथिलता हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की एक बैठक आयोजित करने हेतु जिलाधिकारी की ओर से पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बिहटा एवं मनेर)

9. **बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना :**

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपना अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार के अपराह्न 5.00 बजे तक गोपनीय शाखा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। निदेश दिया गया कि श्री राधा रमण तिवारी द्वारा कोई संचिका निष्पादित नहीं की जायगी।

अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी निरीक्षण प्रतिवेदन घर बैठे–बैठे ही तैयार किये गये हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण हेतु जाने की तिथि,समय इत्यादि अंकित करना आवश्यक है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय खुला रखना है और मुख्यालय में रहना है क्योंकि शनिवार के दिन सभी आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रहते हैं।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

10. **कार्यालय प्रबन्धन :**

विगत दिनों में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विक्रम,नौबतपुर,पुनपुन,बिहटा एवं बाढ़ के बाल विकास परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में इनकी स्थिति अत्यन्त ही दयनीय पायी गयी। इन कार्यालयों में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्य निराशाजनक हैं। कई महीनों से कोई भी पत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा देखे नहीं गये हैं। रोकड़ बही अद्यतन नहीं है जिसके कारण वित्तीय अनियमितता/गबन की स्थिति बनी हुई है। प्रखण्डवार अग्रिम लेखा तैयार करने का निदेश दिया गया। इसके लिए अलग से प्रपत्र बनाने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

कार्यालय प्रबन्धन में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्यों पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रधान सहायकों की बैठक की कार्यवाही को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिये गये निदेश के अनुरूप कार्य करें।

महिला पर्यवेक्षिकाओं का क्षेत्र निर्धारित है। वे मुख्यालय में रह कर इसके अनुरूप अपने क्षेत्र का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। साथ उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपना आवासीय पता एवं अपना दूरभाष/मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

11. **कम्प्यूटर :**

सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का निदेश पूर्व में दिया जा चुका है। कुछ स्थानों पर कम्प्यूटर कार्यरत है। परन्तु कुछ स्थानों पर कम्प्यूटर अभी नहीं लगा है। कम्प्यूटर लगाने का कार्य ग्लोबल इण्डिया द्वारा किया जाना है। निदेश दिया गया कि सभी स्थानों पर कम्प्यूटर लगाने के

...जना में विचार–विमर्श हेतु अगली बैठक में ग्लोबल इण्डिया के प्रतिनिधि को बैठक में बुलाया जाय। ...प्यूटर ऑपरेटर के साथ–साथ जेनरेटर का भी प्रावधान है।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

12. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक की कार्यवाही का प्रेषण :

प्रत्येक माह में परियोजनावार आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक करें और बैठक ...की कार्यवाही 48 घंटे के अन्दर गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आंगनबाड़ी ...सेविका/सहायिका को प्रोत्साहित करें तथा उन्हें प्रशिक्षित करें न कि उनकी संचिका दबाकर उन्हें ब्लेक मेल ...करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मासिक बैठक एक बार/दो बार शनिवार अथवा रविवार को अपराह्न 12.00 बजे के बाद ही करें ताकि केन्द्र का संचालन बाधित न हो।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

13. मुख्यालय में आवासन :

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं। यह एक अत्यनत ही गंभीर मामला है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव,बिहार द्वारा अपने पत्रांक–1985 दिनांक 2.11.06 में स्पष्ट निदेश है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

14. अवकाश :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने का निदेश दिया गया।

श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन द्वारा 25 से 31 जुलाई तक अनुमण्डल पदाधिकारी से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त कर अवकाश का उपभोग किया गया। यह एक गंभीर विषय है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जब श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया तो पता चला कि वे अवकाश पर हैं और रांची चली गयी हैं। इस हेतु श्रीमती जया मिश्रा का वेतन स्थगित करने तथा इसकी सूचना कोषागार को देने का आदेश दिया जाता है और इनकी अनुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता, आदेश की अवहेलना तथा बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर चले जाने के लिए इनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

15. आंगनबाड़ी केन्द्र पर बोर्ड लगाना :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। इसमें होने वाले व्यय का वहन आकस्मिकता मद/ केयर के खाली टीना/ बैग की बिक्री से प्राप्त राशि से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

16. मानदेय भुगतान :

मानदेय भुगतान के मद में 2.50 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन से प्रत्येक माह अद्यतन सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय भुगतान करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

17. पोषाहार :

सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यकम में पारदर्शिता बरतने का निदेश देते हुए बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पोषाहार मद का आवंटन प्राप्त हो गया है। परन्तु उपस्थित बाल विकास

योजना पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस मद में अभी तक आवंटन नहीं आया है। जिला प्रोग्राम दाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस सम्बन्ध में निदेशालय को पत्र लिखने हेतु प्रारूप उपस्थापित रें।

(अनुपालन: जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना)

8. **निदेशिका :**

सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के सम्बन्ध में एक निदेशिका बनाने के लिए निम्नांकित पत्र में सूचना एक माह में कम्पयूटराईज्ड कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

...क	परियोजना का नाम	केन्द्र संख्या	सेविका/सहायिका का नाम।	पति/पिता का नाम।	कोड संख्या।	जन्म तिथि	अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0वर्ग/सामान्य।	शैक्षणिक योग्यता।	योगदान की तिथि
1	2-	3	4	5	6	7	8	9	10

यह निदेशिका राज्य स्तर पर हिन्दी में और भारत सरकार को भेजने के लिए अंग्रेजी में बनाने का निदेश दिया गया। इसकी C.D. और Hard Copy अगली में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि में Font एक रूपता होनी चाहिए। इस पर होने वाला व्यय बाल विकास परियोजना के आकस्मिकता मद से किया जायगा।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

19. **प्रतियोगिता का आयोजन :**

दिनांक 5.9.07 को निदेशालय मे आयोजित बैठक में निदेशालय के पत्रांक–2446 दिनांक 20.8.07 के आलोक में प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्रों पर वर्ष में एक बार बच्चों की कहानी/कविता की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 92,000/–रूपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्रत्येक प्रतियोगिता में सफल बच्चों को पुरस्कार देने के लिए के लिए 2000/–रूपया व्यय करने का निदेश है।

(अनुपालन: सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।)

20. **उपस्कर :**

नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर/पंजी इत्यादि के कय के लिए राशि आवंटित की गयी है। सामग्रियों के कय का अधिकार आंगनबाड़ी केन्द्रों को होगा। सामग्रियो के कय हेतु कय समिति की बैठक की जायगी जिसमें सामग्री की गुणवत्ता और दर का निर्धारण किया जायगा। कय समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार सामग्रियों का sample नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करा दिया जायगा।

(अनुपालन: जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

21. **स्वास्थ्य :**

स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्येश्य से शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं का सर्वेक्षण करने का निदेश दिया गया। इस हेतु एक प्रपत्र सिविल सर्जन द्वारा मुद्रित करा कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करायेंगे और सभी आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका/सेविका इस प्रपत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त करेंगे। इस प्रपत्र को भरने का प्रशिक्षण सहायिका/सेविका को दिया जायगा। सर्वेक्षण के प्रशिक्षण हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की बैठक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी के साथ करने का निदेश दिया गया।

स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए माइक्रोप्लान बनाने का निदेश दिया गया। नियमित टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: सिविल सर्जन/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका।)

22. जन्म–मृत्यु की सूचना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र की नबाड़ी सेविका/सहायिकाओं से जन्म–मृत्यु की सूचना अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यह भी देश दिया गया कि नवजात शिशुओं को पोलियो इत्यादि की दवा पिलाना भी सुनिश्चित किया जाय। यमित टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/महिला र्यवेक्षिकाओं को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। टीकाकरण हेतु 3–4 केन्द्र को एक थ करने का भी निदेश दिया गया।

बच्चों को किस–किस बीमारी से बचाव के लिए टीका दिया जाता है इसकी जानकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं को नहीं है। इस स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी और निदेश दिया गया कि वे इसकी जानकारी रखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

23. डी0सी0विपत्र :

निम्नांकित प्रपत्र के माध्यम से डी0सी0 विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया –

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	डी0सी0विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

निरीक्षण के क्रम में स्पष्ट हुआ है कि बहुत सी राशि अग्रिम में दी गयी है जिसका समायोजन नहीं किया गया है। इसके समायोजन का निदेश दिया गया।

इस माह में पन्द्रह दिनों के अन्दर सभी डी0सी0विपत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

24. भवन निर्माण :

बैठक में बताया गया कि 20 हजार केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु प्राथमिक विद्यालयों/मध्य विद्यालयों में स्थल चयन करने का निदेश दिया गया।

भवन निर्माण के लिए 20 प्रतिशत की राशि पंचायतों से नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में निदेशक को पत्र लिखने का निदेश दिया गया कि इसमें अलग से राशि उपलब्ध करायी जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

25. रिपोर्ट–रिटर्न :

रिपोर्ट–रिटर्न समय पर भेजने का निदेश दिया गया। इस हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र को अकस्मिकता मद से मुद्रित कराने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट–रिटर्न तीन प्रतियों में बनाने का निदेश दिया गया जिसकी एक प्रति निदेशालय को भेजने, दूसरी प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने एवं तीसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

21. वाहन का लॉग बुक :

बाल विकास परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह बात सामने आयी है कि वाहनों के लॉग बुक का संधारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। लॉग बुक का संधारण निरीक्षण के अनुसार ही संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्दवेक्षिका)

अन्यान्य :

अपनी समस्याओं को सर्व प्रथम जिलाधिकारी के समक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विधि–व्यवस्था की समस्या के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा शिकायत नहीं सुने जाने पर इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी जाय न कि निदेशक को।

मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र मुद्रित कराने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।

कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र ले लेने का निदेश दिया गया।

कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-680 / जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 17.9.07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक,पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX 8/05 – 680 / जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 17.9.07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव,बिहार,पटना / सचिव,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना / आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना / निदेशक,आई०सी०डी०एस० निदेशालय,बिहार,पटना / उप विकास आयुक्त,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX 8/05 – 680 / जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 17.9.07

प्रतिलिपि : उप निदेशक,कल्याण,पटना प्रमण्डल,पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX 8/05 – 680 / जि०प्रो०का०,पटना,दिनांक 17.9.07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका,पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी,पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5.10.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति : यथा पंजी में संधारित।

पटना जिला मे नव पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के योगदान से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करते हुए उनका परिचय प्राप्त किया गया। कुल 12 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों में से 11 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा योगदान कर लिया गया है। एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने अपना योगदान नहीं किया है। 11 में से 10 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अपना–अपना प्रभार ग्रहण कर लिया गया है। नव पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को जिला में परियोजना सम्बन्धी चल रहे कार्यों, दायित्वों एवं उद्येश्यों की जानकारी दी गयी और बताया गया कि परियोजना के उद्येश्यों की प्राप्ति हेतु कठिन परिश्रम एवं सतत् निगरानी की आवश्यकता है। इसके लिए स्वयं को मानसिक तौर पर तैयार रहने की सलाह दी गयी। अन्त में उन्हें निदेश दिया गया कि बाल विकास परियोजना को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जाय।

2. उद्येश्य :

I.C.D.S. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्येश्य हैं :–

(1) 0–6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
(2) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक,शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
(3) मृत्युता,मानसिक अस्वस्थता,कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
(4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
(5) उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख–भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

आज की बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों से उपरोक्त उद्येश्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में स्पष्ट हुआ कि लगभग किसी भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक को उक्त उद्येश्यो की सम्यक् जानकारी नहीं है। उल्लेखनीय है कि पूर्व की बैठकों में तथा समय–समय पर बाल विकास परियोजना कार्यालयों के निरीक्षण के क्रम में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि वे आई०सी०डी०एस० के उद्येश्यों को आत्मसात कर लें और उसीके अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें ताकि गरीब बच्चों को पूर्ण पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ अधिक–से–अधिक संख्या में लाभान्वित किया जा सके। परन्तु उनके द्वारा उद्येश्यों का आत्मसात नहीं किया जाना एक गंभीर विषय है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षिका अपने कर्त्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। इतनी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील योजना के प्रति सम्बन्धित पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों की उदासीनता क्षोभपूर्ण एवं निहायत अशोभनीय है। उन्हें अगली बैठक तक निश्चित रूप से उद्येश्यों को आत्मसात् कर लेने का पुनः निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका)

3. बैठने की व्यवस्था :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का पूर्व से ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने–अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार पुनः निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित

...य से आधा घंटा पूर्व अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश ...त रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...ये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :

समीक्षा के कम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजना ...धिकारियों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी :–

...म	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण की स्थिति		अभ्युक्ति
			सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना सदर–1(वार्ड 1–4)	128	128	128	0	0	128	128	128	107	
2	पटना सदर–2(वार्ड 5–13)	192	192	192	0	0	192	192	192	119	
3	पटना सदर–3(वार्ड 14–20)	155	155	155	0	0	140	140	107	33	
4	पटना सदर–4(वार्ड 21–26)	112	110	104	0	8	110	110	100	51	
5	पटना सदर–5(वार्ड 27–37)	168	168	168	0	0	155	150	155	0	
6	पटना ग्रामीण	66	66	66	0	0	66	66	61	61	
7	पुनपुन+सम्पतचक	47	47	47	0	0	47	47	47	41	
8	धनरूआ	48	48	48	0	0	48	48	38	47	
9	मसौढ़ी	87	87	87	0	0	87	87	87	87	
10	फतुहा+दनियावां	65	65	65	0	0	65	64	63	63	
11	बख्तियारपुर+बेलछी	59	43	38	16	21	43	38	25	20	
12	बाढ़+अथमलगोला	77	77	77	0	0	77	77	74	77	
13	पण्डारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	मोकामा+घोसवरी	24	24	24	0	0	24	24	24	23	
15	फुलवारीशरीफ	65	65	61	0	4	61	61	56	0	
16	नौबतपुर	12	12	12	0	0	12	12	12	0	
17	दानापुर	78	78	78	0	0	78	78	76	35	
18	मनेर	70	70	70	0	0	65	65	55	49	
19	बिहटा	33	33	33	0	0	33	33	31	0	
20	विक्रम	21	21	21	0	0	21	21	21	17	
21	दुलहिन बाजार	19	19	19	0	0	19	19	19	17	
22	पालीगंज	36	36	36	0	0	36	36	36	36	
23	खुसरूपुर	34	34	34	0	0	34	34	33	33	
	कुल	1596	1578	1563	16	33	1541	1530	1440	916	

जहां–जहां आंगनबाड़ी सहायिका/सेविका के चयन की प्रकिया पूर्ण नहीं की गयी है वहां के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निदेशक,समेकित बाल विकास परियोजना,बिहार को पत्र लिखते हुए उसकी एक प्रति मुख्य सचिव को दी जाय।

प्रशिक्षण यदि अकारण नहीं हुआ है तो इनके विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

खाता खोलने के सम्बन्ध में बैठक में जानकारी दी गयी कि खाता खोलने का कार्य सम्पन्न किया गया है और इसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है।

जहां–जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का चयन नहीं हुआ है वहां दो दिनों के अन्दर कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। जहां–जहां चयन हो गया है और नामांकन पत्र नहीं दिया गया वहां के पंचायत सेवक एवं मुखिया पर जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि चयन प्रकिया पूरा करना, नामांकन पत्र वितरित करना तथा प्रशिक्षण देने का कार्य सम्पन्न करना इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करें तथा जहां–जहां कार्य नहीं हुआ है उनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निम्नांकित प्रपत्र में नयी एवं पुरानी चयनित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

प्रपत्र–1 (नव स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्र0	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्र0	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र–3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्र0	परियोजना का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	से/स0 का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	जाति	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार हो कर एवं चयन/नामांकन पत्र/प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन कीकार्यालय प्रति साथ ले कर बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एक रूपता बनी रहे।

जितने भी नये एवं पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनके सम्बन्ध में विस्तृत डाटा उपलब्ध कराने के लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। उपलब्ध कराये गये प्रपत्र को पूर्ण रूप से सही–सही भर कर उसकी soft copy एवं hard copy उपलब्ध कराने का निदेश निदेशालय द्वारा दिया गया है। निदेश दिया गया कि उसकी तीन प्रतियां तैयार कर उसकी एक प्रति निदेशालय को, दूसरी प्रति जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए तीसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित की जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका बुकलेट तैयार कर सभी

...विकास पदाधिकारियों,सभी मुखिया,सभी पंचायत समिति सदस्यों,सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों,सभी ...प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय।

फुलवारी प्रखण्ड अन्तर्गत 9 आंगनबाड़ी केन्द्रो को पुनपुन एवं संपतचक में स्थानान्तरित करने ...आदेश दिया गया। यह भी आदेश दिया गया कि उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की सभी संचिकाएं एवं पंजियां ...दिनों के अन्दर हस्तान्तरित की जाय।

(अनुपालनः अंचलाधिकारी–सह–बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर)

...चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन में हो रही कठिनाई को लिखित रूप में ...द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त डाक ...कर्त्ता (ई0डी0एजेन्ट) सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति 10–12 वर्षों से किराये पर ...रहे हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तथा सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा यदि आवासीय प्रमाण पत्र ...र्गत किया गया हो तो वैसे भी व्यक्ति का चयन किया जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...चयन के विरूद्ध प्राप्त आरोप/शिकायत पत्रों की समीक्षा :

सुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिकायत कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्यालय को सभी शिकायतों ...को अनुमण्डलवार अलग कर निम्नांकित प्रपत्र में तैयार करने का निदेश दिया गया तथा उसकी छाया प्रति ...सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/मुखिया/ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सम्बन्धित आरोपकर्त्ता को ...र्त उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सभी सम्बन्धित अनुमण्डलों ...अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ कैम्प लगा कर शिकायत पत्रों का निष्पादन किया जा सके।

विहित प्रपत्र

...मांक	शिकायतकर्त्ता का नाम	मोहल्ला/वार्ड/पंचायत का नाम	शिकायत का प्रकार	सम्बन्धित परियोजना किनके विरूद्ध
1	2	3	4	5

कुल 2000 आरोप पत्र/शिकायत पत्र प्राप्त हुए हैं। सभी के लिए अलग–अलग संचिकाएं ...खोलकर सभी सम्बन्धित पक्षों को नोटिस निर्गत करने का कार्य किया जा रहा है। अनुमण्डल स्तर पर ...अनुमण्डल पदाधिकारियों, जिला से प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं सम्बन्धित पक्षों के समक्ष शिकायतों की ...सुनवाई करते हुए स्थल पर निर्णय लेने हेतु जिला स्तर से निदेश पत्र भी निर्गत किया जा रहा है। इस माह ...में सभी की सुनवाई पूर्ण किया जाना है। इसके लिए निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना ...पदाधिकारी सभी सम्बन्धित संचिकाओं/कागजातों का अध्ययन कर लें और जांच के समय सम्बन्धित ...संचिकाओं/कागजातों के साथ जांच स्थल पर उपस्थित रहें।

(अनुपालनःसुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिका0 कोषांग, जिला प्रोग्राम कार्या0/सभी CDPO)

7. प्रशिक्षण :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रशिक्षण देने वाले गैर ...सरकारी संस्थाओं को ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें। दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

8. पौष्टिक सत्तू योजना :

समीक्षा के कम में जानकरी दी गयी कि बिहटा में राशि मिल गयी है परन्तु योजना शुरू नहीं हुई है। दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। पूर्व में निदेश दिया गया था कि अध्यक्ष/सचिव,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को भी बैठक में बुलाया जाय। बिहटा परियोजना द्वारा इसके लिए अध्यक्ष/सचिव,दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति को बैठक में आने की सूचना नहीं दी गयी है। इसके

... बिहटा के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। ... परियोजना के 20 केन्द्रों पर यह कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है परन्तु ... उत्पादक सहयोग समिति, मनेर द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। बर्त्तन क्रय करने के सम्बन्ध में ... लिया गया कि सभी बर्त्तन स्टील का क्रय किया जाय न कि स्टेनलेस स्टील का। मनेर और बिहटा ... समितियों को निदेश दिया गया कि वे योजना का कार्य नियमानुसार अविलम्ब प्रारंभ करें। सभी बाल ... विकास परियोजना पदाधिकारियों को इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

पौष्टिक सत्तू योजना के सम्बन्ध में किसी भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सम्यक ... जानकारी नहीं है। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि बच्चों को दिये जाने वाले लड्डू में किन–किन सामग्रियों ... प्रयोग करना है और प्रत्येक बच्चे को कितनी मात्रा में लड्डू दिया जाना है। इस पर गहरी नाराजगी ... व्यक्त की गयी और निदेश दिया गया कि वे फुलवारी में जाकर इस सम्बन्ध में सम्यक् जानकारी प्राप्त करें ... जहां यह योजना काफी अच्छे ढंग से चलायी जा रही है। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी ... योजना है जिसे सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

... बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपना एक माह का ... अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम प्रत्येक माह की 28 तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम ... शनिवार को भी शामिल करना है।

साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार के अपराह्न 5.00 बजे ... तक गोपनीय शाखा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे ... बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य ... अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ... सभी निरीक्षण प्रतिवेदन घर बैठे–बैठे ही तैयार किये गये हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन में निरीक्षण हेतु जाने की ... तिथि,समय इत्यादि अंकित करना आवश्यक है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय खुला रखना है और ... मुख्यालय में रहना है क्योंकि शनिवार के दिन सभी आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रहते हैं।

सभी पर्यवेक्षकों से साप्ताहिक भ्रमण दैनन्दिनी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

10. भ्रमण दैनन्दिनी :

प्रत्येक माह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कहां–कहां भ्रमण किया गया है उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। भ्रमण दैनन्दिनी को अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक है। प्रत्येक माह की भ्रमण दैनन्दिनी माह की 5 तारीख तक अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु भेज दी जाय। भ्रमण दैनन्दिनी की जांच वाहन लॉग बुक से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

11. निरीक्षण :

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षक को अपने कार्यालय के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विहित प्रपत्र में करना है और निरीक्षण प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना है। सभी प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सम्यक् टिप्पणी अंकित करनी है। पर्यवेक्षकों के निरीक्षण प्रतिवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को टिप्पणी अंकित करनी है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को समर्पित करना है। निरीक्षण प्रतिवेदन में केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या एवं उनके कुपोषण के सम्बन्ध में सूचना अंकित करनी है। निरीक्षण प्रतिवेदन में

आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका/सेविका का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम को सही ढंग से भरना है। प्रत्येक माह 50 केन्द्र का निरीक्षण करना है।

निरीक्षण के सम्बन्ध में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

12. कार्यालय प्रबन्धन :

कार्यालय प्रबन्धन में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्यों पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रधान सहायकों की बैठक की कार्यवाही को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिये गये निदेश के अनुरूप कार्य करें।

महिला पर्यवेक्षिकाओं का क्षेत्र निर्धारित है। वे मुख्यालय में रह कर इसके अनुरुप अपने क्षेत्र का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपना आवासीय पता एवं अपना दूरभाष/मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायें।

कार्यालय प्रबन्धन हेतु सभी परियोजना कार्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि से फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध करायी गयी दर एवं गुणवत्ता के अनुरूप कय करना है। इस सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे एक पत्र के माध्यम से फर्नीचर इत्यादि के कय के सम्बन्ध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

13. कम्प्यूटर :

जानकारी दी गयी कि सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कम्प्यूटर कार्यरत है। परन्तु ऑपरेटर के भुगतान के सम्बन्ध में कोई दिशा–निदेश नहीं है। कम्प्यूटर का यू0पी0एस0 कम पावर का है। प्रिन्टर भी सही नहीं है। निदेशालय द्वारा सॉफ्ट वेयर उपलब्ध कराया जाना था परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया है। कम्प्यूटर जिस भवन में लगाया गया है वह चू रहा है। कम्प्यूटर के लिए प्रखण्ड से जेनरेटर की सुविधा नहीं है। कम्प्यूटर लगाने का कार्य ग्लोबल इण्डिया द्वारा किया गया है परन्तु उनके द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से निदेशालय को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। ग्लोबल इण्डिया को जिलाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

14. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक की कार्यवाही का प्रेषण :

प्रत्येक माह में परियोजनावार आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक करें और बैठक की कार्यवाही 48 घंटे के अन्दर तैयार कर उसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेजते हुए एक प्रति गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को प्रोत्साहित करें तथा उन्हें प्रशिक्षित करें न कि उनकी संचिका दबाकर उन्हें ब्लेक मेल करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मासिक बैठक एक बार/दो बार शनिवार अथवा रविवार को अपराह्न 12.00 बजे के बाद ही करें ताकि केन्द्र का संचालन बाधित न हो। बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को भी बुलायें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

15. मुख्यालय में आवासन :

क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रायः देखा जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिना किसी सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मुख्यालय में नहीं रहते हैं। यह एक अत्यनत ही गंभीर मामला है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव,बिहार द्वारा अपने पत्रांक–1985 दिनांक 2.11.06 में स्पष्ट निदेश है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में

...ने एवं अपने आवास स्थल का पता दूरभाष/मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। ...लय छोड़ने से पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...अवकाश :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवकाश ...नहीं जाने का निदेश दिया गया।

श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन द्वारा 25 से 31 जुलाई तक ...मण्डल पदाधिकारी से दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त कर अवकाश का उपभोग किया गया। यह एक गंभीर ...य है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जब श्रीमती जया मिश्रा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,पुनपुन से दूरभाष ...सम्पर्क किया गया तो पता चला कि वे अवकाश पर हैं और रांची चली गयी हैं। इस हेतु श्रीमती जया ...श्रा का वेतन स्थगित करने तथा इसकी सूचना कोषागार को देने का आदेश दिया जाता है और इनकी ...नुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता, आदेश की अवहेलना तथा बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के अवकाश ...र चले जाने के लिए इनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...7. आंगनबाड़ी केन्द्र पर बोर्ड लगाना :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। इसमें होने वाले ...य का वहन आकस्मिकता मद/ केयर के खाली टीना/ बैग की बिक्री से प्राप्त राशि से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...8. मानदेय भुगतान :

मानदेय भुगतान के मद में आवंटन माह फरवरी,08 तक के लिए प्राप्त हुआ है। निदेश दिया ...या कि प्राप्त आवंटन से प्रत्येक माह अद्यतन सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय भुगतान करें। ...नदेय का भुगतान अनुपस्थित दिनों के लिए नहीं करने का निदेश दिया गया। आंगनबाडी ...सेविका/सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी मुखिया से लेने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ...को निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में सभी मुखिया को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अविलम्ब ...उपस्थापित करें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

19. पोषाहार :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यक्रम में पारदर्शिता बरतने का निदेश देते हुए बताया ...या कि इस वित्तीय वर्ष में पोषाहार मद का आवंटन माह फरवरी,08 तक के लिए प्राप्त हो गया है। निदेश ...दिया गया कि अनुपस्थित दिनों के लिए पोषाहार में कटौती की जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना)

20. निदेशिका :

सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के सम्बन्ध में एक निदेशिका बनाने के लिए निम्नांकित ...प्रपत्र में सूचना एक माह में कम्पयूटराईज्ड कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

...क्रमांक	परियोजना का नाम	केन्द्र संख्या	सेवि0/सहा0 का नाम।	पति/पिता का नाम।	कोड संख्या।	जन्म तिथि	अ0जा0/अ0ज0जा0/पि0वर्ग/सामान्य।	शैक्षणिक योग्यता।	योगदान की तिथि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यह निदेशिका राज्य स्तर पर हिन्दी में और भारत सरकार को भेजने के लिए अंग्रेजी में बनाने का निदेश दिया गया। इसकी C.D. और Hard Copy अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि Font में एक रूपता होनी चाहिए। इस पर होने वाला व्यय बाल विकास परियोजना के आकस्मिकता मद से किया जायगा।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों यथा पर्यवेक्षक, लिपिक, सांख्यिकी सहायक, लेखापाल, अनुसेवी, चालक एवं रात्रि प्रहरी के स्वीकृत बल एवं स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि रिक्ति के विरूद्ध पदस्थापन के सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया जा सके।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।)

21. प्रतियोगिता का आयोजन :

दिनांक 5.9.07 को निदेशालय मे आयोजित बैठक में निदेशालय के पत्रांक–2446 दिनांक 30.8.07 के आलोक में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में एक बार बच्चों की कहानी/कविता की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 92,000/–रूपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को अविलम्ब परियोजनावार उपावंटित करने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में सफल बच्चों को पुरस्कार देने के लिए के लिए 2000/–रूपया व्यय करने का निदेश है।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।)

22. उपस्कर :

नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर/पंजी इत्यादि के कय के लिए राशि आवंटित की गयी है। सामग्रियों के कय का अधिकार आंगनबाड़ी केन्द्रों को होगा। सामग्रियो के कय हेतु कय समिति की बैठक की जायगी जिसमें सामग्री की गुणवत्ता और दर का निर्धारण किया जायगा। कय समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार सामग्रियों का sample नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध करा दिया जायगा।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

23. स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्येश्य से शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं का सर्वेक्षण करने का निदेश दिया गया। इस हेतु एक प्रपत्र सिविल सर्जन मुद्रित करा कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करायेंगे और सभी आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका/सेविका इस प्रपत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त करेंगे। इस प्रपत्र को भरने का प्रशिक्षण सहायिका/सेविका को दिया जायगा। सर्वेक्षण के प्रशिक्षण हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की बैठक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी के साथ करने का निदेश दिया गया।

स्वास्थ्य कार्यकम की सफलता के लिए माइकोप्लान बनाने का निदेश दिया गया। नियमित टीकाकरण के लिए कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया। टीकाकरण का कार्य बुधवार एवं शुकवार को करना है। सभी को इम्यूनाइजेशन कार्ड उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनःसिविल सर्जन/सभी बाल विकास परि0 पदा0/पर्यवेक्षिका/आंग0 से0/सहा0)

24. जन्म–मृत्यु की सूचना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका/सहायिकाओं से जन्म–मृत्यु की सूचना अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी को जन्म–मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। यह प्रमाण पत्र पंचायत स्तर से निर्गत होना चाहिए। इस कार्य में जहां–जहां पंचायत सेवक अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं उनके सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि नवजात शिशुओं को पोलियो इत्यादि की दवा पिलाना भी सुनिश्चित किया जाय। नियमित टीकाकरण कार्यकम को सफल बनाने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। टीकाकरण हेतु 3–4 केन्द्र को एक साथ करने का भी निदेश दिया गया।

बच्चों को किस–किस बीमारी से बचाव के लिए टीका दिया जाता है इसकी जानकारी बाल ...स परियोजना पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं को नहीं है। इस स्थिति पर गहरी चिन्ता व्यक्त की ...ी और निदेश दिया गया कि वे इसकी जानकारी रखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

... डी०सी०विपत्र :

निम्नांकित प्रपत्र में डी०सी०विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया –

...ांक	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	डी०सी०विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

निरीक्षण के कम में स्पष्ट हुआ है कि बहुत सी राशि अग्रिम में दी गयी है जिसका समायोजन ...ी किया गया है। इसके समायोजन का निदेश दिया गया।

इस माह में पन्द्रह दिनों के अन्दर सभी डी०सी०विपत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

... भवन निर्माण :

बैठक में बताया गया कि 20 हजार केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए नाबार्ड से स्वीकृति ...्त हुई है। इस हेतु प्राथमिक विद्यालयों/मध्य विद्यालयों में स्थल चयन करने का निदेश दिया गया।

भवन निर्माण के लिए 20 प्रतिशत की राशि पंचायतों से नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में निदेशक ...ो पत्र लिखने का निदेश दिया गया कि इसमें अलग से राशि उपलब्ध करायी जाय।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे कहां–कहां परियोजना कार्यालयों/ ...गनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन है और कहां–कहां नहीं है इस सम्बन्ध में एक सूची उपलब्ध करायें ताकि ...नहीन परियोजना कार्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु सरकार से राशि प्राप्त की जा सके।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिकाओ को निदेश ...या गया कि यदि उनके लिए सरकारी भवन निर्मित है और उसमें किसी अन्य का ताला लगा है तो उसे ...ड़कर उसमें अपना कार्यालय स्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना ...दाधिकारियों/आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिकाओ को निदेश दिया गया कि वे प्रतिवेदित करें कि उनके लिए ...रकारी भवन बन गया है और उसमें कार्यालय/केन्द्र चल रहा है अथवा भवन बन गया है परन्तु ...तान्तरित नहीं किया गया है अथवा भवन अधूरा है। यह प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने ...ा निदेश दिया गया।

प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का सरकार का निदेश हैं। ...दि अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है और कोई व्यक्ति अपनी जमीन आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए देने को ...त्सुक है तो उसे राज्यपाल के नाम से निबंधित करा कर आंगनबाड़ी केन्द्र बनाना है।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...7. रिपोर्ट–रिटर्न :

रिपोर्ट–रिटर्न समय पर भेजने का निदेश दिया गया। इस हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र ...ो अकस्मिकता मद से मुद्रित कराने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट–रिटर्न तीन प्रतियों में बनाने का निदेश ...िया गया जिसकी एक प्रति निदेशालय को भेजने, दूसरी प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने एवं तीसरी ...ति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...8. वाहन :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने वाहन के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी ...ाहन संख्या एवं वाहन की स्थिति के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि सरकार से आवंटन ...ाप्त किया जा सके।

कार्यालयों के निरीक्षण के कम में यह बात सामने आयी है कि वाहनों के लॉग बुक का धारण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। लॉग बुक का संधारण निरीक्षण के अनुसार ही करने का निदेश या गया। वाहन का इस्तेमाल व्यक्तिगत कार्य में कदापि नहीं करने का निदेश दिया गया।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर का वाहन अनुमण्डल पदाधिकारी के साथ ार्यरत है। इसे वहां से प्राप्त कर लेने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

9. अन्यान्य :

1) अपनी समस्याओं को सर्व प्रथम जिलाधिकारी के समक्ष रखने का निदेश दिया गया।
2) विधि–व्यवस्था की समस्या के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा शिकायत नहीं सुने जाने पर इसकी सूचना जिलाधिकारी को दी जाय [redacted]
3) मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र मुद्रित कराने का निदेश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया।
4) कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र ले लेने का निदेश दिया गया।
5) कार्यालय का निरीक्षण करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया।
6) मुख्यालय में रहकर लोगों को शिक्षित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-749 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 22 X 07

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक,पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-749 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 22·X·07

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव,बिहार,पटना/सचिव,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना/आयुक्त,पटना प्रमण्डल, पटना/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय,बिहार,पटना/उप विकास आयुक्त,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-749 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 22·X·07

प्रतिलिपि : उप निदेशक,कल्याण,पटना प्रमण्डल,पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक IX-8/05-749 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 22·X·07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी,पटना की अध्यक्षता में दिनांक 5.11.2007 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : यथा पंजी में संधारित।

आज की बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षिकाओं से स्पष्टीकरण पूछने एवं दिनांक 5.11.2007 का वेतन बन्द करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

उद्येश्य : I.C.D.S. के निम्नांकित पांच मुख्य उद्येश्य हैं :-

(1) 0-6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।
(2) बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक,शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए नींव रखना।
(3) मृत्युता,मानसिक अस्वस्थता,कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाना।
(4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियान्वयन में प्रभावकारी समन्वय करना।
(5) उचित पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-भाल के लिए माताओं को योग्य बनाना।

आज की बैठक में उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों से उपरोक्त उद्येश्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के कम में स्पष्ट हुआ कि लगभग किसी भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षक को उक्त उद्येश्यो की सम्यक् जानकारी नहीं है। यह एक गंभीर विषय है और इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं पर्यवेक्षिका अपने कर्त्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकम है और यह सरकार की उच्च प्राथमिकता में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसके प्रति पूर्णतः संवेदनशील है और उसे यह जानकारी दी जा चुकी है कि परियोजना से सम्बन्धित सभी केन्द्र कार्यरत हैं। इतनी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील योजना के प्रति सम्बन्धित पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों की उदासीनता क्षोभपूर्ण एवं निहायत अशोभनीय है। उन्हें अगली बैठक तक निश्चित रूप से उद्येश्यों को आत्मसात् कर लेने का पुनः निदेश दिया गया। आज की बैठक में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्हें अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध करायी गयी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/महिला पर्यवेक्षिका)

पटना जिला में पदस्थापित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है :-

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	प्रखण्ड का नाम	दूरभाष संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मधुमिता कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	पटना सदर-1	9283616	ये निदेशालय में भी प्रतिनियुक्त हैं। अतः इन्हें एक ही परियोजना पटना सदर-5 का कार्य देखना है ताकि ये निदेशालय में कार्य कर सकें।
2		तथैव	पटना सदर-2		
3		तथैव	पटना सदर-3		
4		तथैव	पटना सदर-4		
5		तथैव	पटना सदर-5		
6	श्रीमती शबाना कशपी	तथैव	पटना ग्रामीण	9431419756	इन्हें पटना सदर-1 एवं 2 का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
7		तथैव	पुनपुन+सम्पतचक		
8	श्रीमती आशा कुमारी	तथैव	धनरूआ		

9	श्रीमती अनुपमा	तथैव	मसौढ़ी		इन्हें पुनपुन+संपतचक का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
10	श्री प्रभात कुमार सिंह	तथैव	फतुहा+दनियावां	9431660759	इन्हें खुसरूपुर का प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
11	श्रीमती रंजना कुमारी	तथैव	बख्तियारपुर+बेलछी	9431208880	
12	श्री विनय कुमार सिंह	तथैव	बाढ़+अथमलगोला	9431066906	
13	श्रीमती भारती प्रियंवदा	तथैव	पण्डारक	9431453661	
14	श्री अजय कुमार सिन्हा	तथैव	मोकामा+घोसवरी	9431223316	
15	श्रीमती प्रभा	तथैव	फुलवारीशरीफ	993160865	इन्हें पटना सदर–3 एवं 4 का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
16	श्रीमती रश्मि सिंह	तथैव	दानापुर	9905011586	इन्हें बिहटा का प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
17	श्रीमती संगीता कुमारी	तथैव	मनेर	9431249652	इन्हें प्रभार नहीं मिला है। पालीगंज का प्रभार लेने का आदेश दिया गया।
18		तथैव	बिहटा		
19	श्रीमती सुगन्धा शर्मा	तथैव	विकम	9334153664	इन्हें नौबतपुर का प्रभार देने का निर्णय लिया गया।
20		तथैव	दुलहिन बाजार		
21		तथैव	नौबतपुर		

बैठने की व्यवस्था :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से म्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पीछे उस परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को बैठने का र्व से ही निदेश दिया गया था। सभी लोग यथा निदेशित अपने–अपने स्थान पर ही बैठे पाये गये। एक बार न: निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका बैठक में निर्धारित मय से आधा घंटा पूर्व अपना–अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे अन्यथा विलम्ब से आने पर सभा कक्ष में प्रवेश र्जित रहेगा और उन्हें बैठक से अनुपस्थित समझा जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

नये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चयन की स्थिति की समीक्षा :

समीक्षा के कम में विभिन्न परियोजनाओं में चयन की स्थिति बाल विकास परियोजना दाधिकारियों द्वारा निम्न प्रकार दी गयी :–

क्र	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत अतिरिक्त केन्द्र	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण की स्थिति		अभ्युक्ति
			सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	सेवि0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना सदर–1(वार्ड 1–4)	128	128	128	0	0	128	128	128	107	
2	पटना सदर–2(वार्ड 5–13)	192	192	192	0	0	192	192	192	119	
3	पटना सदर–3(वार्ड 14–20)	155	155	155	0	0	140	140	107	33	
4	पटना सदर–4(वार्ड 21–26)	112	110	104	0	8	110	110	100	51	
5	पटना सदर–5(वार्ड 27–37)	168	168	168	0	7	155	150	155	0	
6	पटना ग्रामीण	66	66	66	0	0	66	66	61	61	
7	पुनपुन+सम्पतचक	47	47	47	0	0	47	47	47	41	

8	धनरूआ	48	48	48	0	0	48	48	38	47	
9	मसौढ़ी	87	87	87	0	0	87	87	87	87	
10	फतुहा+दनियावां	65	65	65	0	0	65	64	63	63	
11	बख्तियारपुर+बेलछी	59	43	38	16	21	43	38	25	20	
12	बाढ़+अथमलगोला	77	77	77	0	0	77	77	74	77	
13	पण्डारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	मोकामा+घोसवरी	24	24	24	0	0	24	24	24	23	
15	फुलवारीशरीफ	65	65	64	0	4	61	61	56	0	
16	नौबतपुर	12	12	12	0	0	12	12	12	0	
17	दानापुर	78	78	78	0	0	78	78	76	35	
18	मनेर	70	70	70	0	0	65	65	55	49	
19	बिहटा	33	33	33	0	0	33	33	31	0	
20	विक्रम	21	21	21	0	0	21	21	21	17	
21	दुलहिन बाजार	19	19	19	0	0	19	19	19	17	
22	पालीगंज	36	36	36	0	0	36	36	36	36	
23	खुसरूपुर	34	34	34	0	0	34	34	33	33	
	कुल	1596	1578	1563	16	33	1541	1530	1440	916	

धनरूआ के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि तीन सेविकाओं द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। एक सेविका का प्रमाण पत्र जाली है। कुछ अन्य सेविकाओं के भी प्रमाण पत्र जांच के क्रम में जाली पाये जाने की संभावना है। निदेश दिया गया कि इस प्रकार से रिक्त होने वाले पदों और अन्य रिक्तियों को 22 नवम्बर तक निश्चित रूप से भरने की कार्रवाई की जाय। चयन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

पूर्व की बैठक में यह निदेश दिया गया था कि जहां–जहां आंगनबाड़ी सहायिका/सेविका के चयन की प्रकिया पूर्ण नहीं की गयी है वहां के सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछने और उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निदेशक,समेकित बाल विकास परियोजना,बिहार को पत्र लिखते हुए उसकी एक प्रति मुख्य सचिव को दी जाय। परन्तु इसका अनुपालन नहीं हुआ है। इसका अनुपालन करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को इसकी जांच करने सम्बन्धित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की गोपनीय चरित्र पुस्त में अंकित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

खाता खोलने के सम्बन्ध में बैठक में जानकारी दी गयी कि खाता खोलने का कार्य सम्पन्न कर लिया गया है और इसकी सूची कार्यालय को उपलब्ध करा दी गयी है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब खाता खोलकर राशि बैंक में जमा कर उसका एकाउण्ट नम्बर निम्नांकित प्रपत्र में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। बैंक एकाउण्ट उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केन्द्र को कार्यशील नहीं माना जायगा।

विहित प्रपत्र

क्रमांक	केन्द्र का कोड	केन्द्र का नाम	बैंक का नाम	बैंक खाता संख्या
1	2	3	4	5

जहां–जहां आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं का चयन नहीं हुआ है वहां दो दिनों के अन्दर चयन कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही जहां–जहां सेविका/सहायिकाओं ने नौकरी किसी कारणवश छोड़ दी है वहां हुई रिक्ति को भी भरने का निदेश दिया गया। जहां–जहां चयन हो गया है और नियोजन पत्र नहीं दिया गया है वहां के पंचायत सेवक एवं मुखिया पर जिम्मेवारी निर्धारित करने का निदेश दिया गया ताकि उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि चयन प्रकिया पूरा करना, नामांकन पत्र ...त करना तथा प्रशिक्षण देने का कार्य सम्पन्न करना इत्यादि के सम्बन्ध में गहन समीक्षा करें तथा ...-जहां कार्य नहीं हुआ है उनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निम्नांकित प्रपत्र में नयी एवं पुरानी चयनित ...गनबाड़ी सेविका/सहायिका की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :-

प्रपत्र-1 (नव स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्र.	परियोजना का नाम	नव स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-2 (पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्र.	परियोजना का नाम	पुराने स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	चयन की स्थिति		चयन हेतु शेष		नामांकन पत्र वितरण की स्थिति		प्रशिक्षण		अभ्युक्ति
			से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	से0	सहा0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपरोक्त दो प्रपत्रों में ही सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अद्यतन सूचना कहीं से ...ी प्राप्त नहीं है। इसे अगली बैठक तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

प्रपत्र-3 (सभी नये एवं पुराने स्वीकृत केन्द्रों हेतु

क्रम	परियोजना का नाम	पंचायत / वार्ड का नाम	केन्द्र कोड	केन्द्र का नाम	से/स0 का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	कोटि (अ0जा0/अ0ज0जा0/पिछड़ावर्ग/अ0पि0वर्ग)	नामांकन निर्गत की संख्या/तिथि	प्रशिक्षण की स्थिति (प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र-3 में वांछित सूचनायें भर कर उसे सील्ड कवर में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी परियोजना पदाधिकारी को बैठक के लिए तैयार हो कर एवं चयन/नामांकन ...त्र/प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रतिवेदन की कार्यालय प्रति साथ बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया गया ...ा ताकि विभिन्न प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित एवं समीक्षा के दौरान दी गयी सूचना में एक रूपता बनी रहे। ...रन्तु किसी भी परियोजना पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित सूचनाएं उपस्थापित नहीं की गयीं। इस पर गहरा ...असंतोष व्यक्त किया गया।

जितने भी नये एवं पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उनके सम्बन्ध में विस्तृत डाटा उपलब्ध कराने के लिए सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रपत्र उपलब्ध करा दिया गया है। उपलब्ध कराये गये प्रपत्र को पूर्ण रूप से सही-सही भर कर उसकी soft copy एवं hard copy उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि उसकी तीन प्रतियां तैयार कर उसकी एक प्रति निदेशालय को, दूसरी प्रति जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुए तीसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित की जाय। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इसका बुकलेट तैयार कर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों,सभी मुखिया,सभी पंचायत समिति सदस्यों,सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों,सभी जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालनः अंचलाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर)

चयन में हो रही कठिनाई एवं उसका समाधान :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को चयन में हो रही कठिनाई को लिखित रूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अतिरिक्त डाक विक्रेता (ई0डी0एजेन्ट) सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो व्यक्ति 10–12 वर्षों से किराये पर रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में उसका नाम है तथा सम्बन्धित अंचलाधिकारी द्वारा यदि आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो तो वैसे भी व्यक्ति का चयन किया जायगा।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

बख्तियारपुर की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सूचित किया गया कि विकलांग का चयन हो जाने के कारण मुखिया द्वारा नामांकन पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। इसकी जांच अनुमण्डल पदाधिकारी,बाढ़ को करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़)

चयन के विरूद्ध प्राप्त आरोप / शिकायत पत्रों की समीक्षा :

समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि बाढ़ अनुमण्डल में 5, दानापुर में 2, पटना सदर में 75 मसौढ़ी में 150, पालीगंज में 17 और पटनासिटी अनुमण्डल में 36 शिकायत पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये गये हैं। शिकायत पत्रों की संख्या पर आश्चर्य व्यक्त किया गया और सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को इस सम्बन्ध में जांच कर लेने का निदेश दिया गया। इस सम्बन्ध में सुश्री इन्दु पाठक,प्रभारी जन शिकायत कोषांग को प्रत्येक अनुमण्डलाधिकारी को परियोजनावार भेजे गये शिकायत पत्रों की संख्या उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनःसुश्री इन्दु पाठक, प्रभारी जन शिका0 कोषांग)

सभी शिकायतों की जांच कर इस सम्बन्ध में पारित होने वाले आदेश को अनुमण्डल पदाधिकारियों को स्वयं लिखने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि सभी शिकायतों की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में एक ही दिन एक साथ भेजना सुनिश्चित किया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि प्राप्त शिकायतों की जांच निष्पक्ष एवं पारदर्शिता पूर्वक की जाय तथा दोषियों को दण्डित करने का कार्य भी किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्य की जांच अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः अपर जिला दण्डाधिकारी,पटना / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

. प्रशिक्षण :

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रशिक्षण देने वाले गैर सरकारी संस्थाओं को ससमय भुगतान करना सुनिश्चित करें। दिये जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को दिया गया। साथ ही निम्नांकित प्रपत्र में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को किये गये भुगतान के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया :–

प्रपत्र

क्रमांक	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	परियोजना का नाम	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सेविका / सहायिका की संख्या।	प्रशिक्षण की अवधि (कब से कब तक)	भुगतान की गयी राशि	प्रशिक्षण की गुणवत्ता
1	2	3	4	5	6	7

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी / पर्यवेक्षिका)

. पौष्टिक सत्तू योजना :

समीक्षा के कम में जानकरी दी गयी कि बिहटा और मनेर में पौष्टिक सत्तू योजना प्रारंभ कर दी गयी है और पौष्टिक सत्तू की आपूर्त्ति दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति,बिहटा एवं मनेर द्वारा 5300/–प्रति

प्रति माह की दर से की जा रही है। पौष्टिक सत्तू से लड्डू बनाने का कार्य आंगनबाड़ी सेविका द्वारा या जा रहा है और इसके लिए आंगनबाड़ी सेविका को 500/– प्रति माह का भुगतान किया जाता है।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चल रहे पौष्टिक सत्तू योजना का रीक्षण एवं अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। पौष्टिक सत्तू योजना के महत्व से प्रभावित हो कर भग सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा इसे विस्तृत रूप से गू करने का अनुरोध किया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस सम्बन्ध में निदेशक, इ0सी0डी0एस0 को पत्र लिखकर अनुरोध किया जायगा।

बिहटा के जमुनापुर केन्द्र पर पौष्टिक सत्तू लेने से इन्कार करने की शिकायत आपूर्त्तिकर्त्ता रा की गयी। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारी,दानापुर को दिया गया।

पौष्टिक सत्तू योजना के सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,फुलवारी श्रीमती प्रभा ो छोड़कर किसी भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सम्यक् जानकारी नहीं है। उन्हें यह जानकारी हीं है कि बच्चों को दिये जाने वाले लड्डू में किन–किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और प्रत्येक बच्चे ो कितनी मात्रा में लड्डू दिया जाना है। इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी और निदेश दिया गया कि वे फुलवारी में जाकर इस सम्बन्ध में सम्यक् जानकारी प्राप्त करें जहां यह योजना काफी अच्छे ढंग से लायी जा रही है। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है जिसे सही ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

. बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन भेजना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपना एक माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम प्रत्येक माह की 28 तारीख को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम में शनिवार को भी शामिल करना है।

साप्ताहिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार के अपराह्न 5.00 बजे तक गोपनीय शाखा में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन पर अपना मंतव्य अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को शनिवार के दिन भी कार्यालय खुला रखना है और मुख्यालय में रहना है क्योंकि शनिवार के दिन सभी आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रहते हैं।

सभी पर्यवेक्षकों से साप्ताहिक भ्रमण दैनन्दिनी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

10. भ्रमण दैनन्दिनी :

प्रत्येक माह में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कहां–कहां भ्रमण किया गया है उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। भ्रमण दैनन्दिनी को अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक है। प्रत्येक माह की भ्रमण दैनन्दिनी माह की 5 तारीख तक अनुमण्डल पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु भेज दी जाय। भ्रमण दैनन्दिनी की जांच वाहन लॉग बुक से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

11. निरीक्षण :

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षक को अपने कार्यालय के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण विहित प्रपत्र में करना है और निरीक्षण प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में समर्पित करना है। सभी प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सम्यक् टिप्पणी अंकित करनी है। पर्यवेक्षकों के निरीक्षण प्रतिवेदन पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को टिप्पणी अंकित करनी है। निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को समर्पित करना है। निरीक्षण प्रतिवेदन में केन्द्र पर उपस्थित बच्चों की संख्या एवं उनके कुपोषण के सम्बन्ध में सूचना अंकित करनी है। निरीक्षण प्रतिवेदन में

आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका/सेविका का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम को सही ढंग से भरना है। प्रत्येक माह 50 केन्द्र का निरीक्षण करना है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को केन्द्रों का औचक निरीक्षण करने तथा निरीक्षण प्रतिवेदन सील्ड कवर में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारियों को प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र का औचक निरीक्षण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुपस्थिति में ही करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

12. कार्यालय प्रबन्धन :

कार्यालय प्रबन्धन में संचिकाओं का संधारण, पत्राचार, लॉग बुक का संधारण, रोकड़ बही का संधारण इत्यादि कार्यो पर विशेष ध्यांन देने का निदेश दिया गया। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे प्रधान सहायकों की बैठक की कार्यवाही को ध्यान से पढ़ें और इसमें दिये गये निदेश के अनुरूप कार्य करें।

महिला पर्यवेक्षिकाओं का क्षेत्र निर्धारित है। वे मुख्यालय में रह कर इसके अनुरूप अपने क्षेत्र का भ्रमण करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्हें निदेश दिया गया कि वे अपना आवासीय पता एवं अपना दूरभाष/मोबाईल नम्बर उपलब्ध करायें।

कार्यालय प्रबन्धन हेतु सभी परियोजना कार्यालयों को राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि से फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध करायी गयी दर एवं गुणवत्ता के अनुरूप क्रय करना है। इस सम्बन्ध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे एक पत्र के माध्यम से फर्नीचर इत्यादि के क्रय के सम्बन्ध में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

13. कम्प्यूटर :

जानकारी दी गयी कि सभी बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कम्प्यूटर कार्यरत है। परन्तु ऑपरेटर के भुगतान के सम्बन्ध में कोई दिशा-निदेश नहीं है। कम्प्यूटर का यू0पी0एस0 कम पावर का है। प्रिन्टर भी सही नहीं है। निदेशालय द्वारा सॉफ्ट वेयर उपलब्ध कराया जाना था परन्तु उपलब्ध नहीं कराया गया है। कम्प्यूटर जिस भवन में लगाया गया है वह चू रहा है। कम्प्यूटर के लिए प्रखण्ड से जेनरेटर की सुविधा नहीं है। कम्प्यूटर लगाने का कार्य ग्लोबल इण्डिया द्वारा किया गया है परन्तु उनके द्वारा सही ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की ओर से निदेशालय को पत्र लिखने का निदेश दिया गया। ग्लोबल इण्डिया को जिलाधिकारी से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

14. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक की कार्यवाही का प्रेषण :

प्रत्येक माह में परियोजनावार आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की मासिक बैठक करें और बैठक की कार्यवाही 48 घंटे के अन्दर तैयार कर उसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेजते हुए एक प्रति गोपनीय शाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को प्रोत्साहित करें तथा उन्हें प्रशिक्षित करें न कि उनकी संचिका दबाकर उन्हें ब्लेक मेल करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मासिक बैठक एक बार/दो बार शनिवार अथवा रविवार को अपराह्न 12.00 बजे के बाद ही करें ताकि केन्द्र का संचालन बाधित न हो। बैठक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी को भी बुलायें।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर द्वारा जानकारी दी गयी कि वेतन मद में आवंटन नहीं रहने के कारण वेतन नहीं मिल रहा है। इस सम्बन्ध में निदेशक,आई0सी0डी0एस0 को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

15. मुख्यालय में आवासन :

मुख्य सचिव,बिहार के पत्रांक–1985 दिनांक 2.11.06 के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों को अपने निर्धारित मुख्यालय में उपलब्ध रहने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों के मुख्यालय में रहने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें जिससे सरकारी कार्य ससमय निष्पादित हो सके। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पर्यवेक्षिका एवं कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने एवं अपने आवास स्थल का पता दूरभाष/मोबाईल नम्बर सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। मुख्यालय छोड़ने से पूर्व अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है।

(अनुपालनः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षका)

16. अवकाश :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवकाश पर नहीं जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

17. आंगनबाड़ी केन्द्र पर बोर्ड लगाना :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्र पर अन्दर/बाहर बोर्ड लगाने का निदेश दिया गया। इसमें होने वाले व्यय का वहन आकस्मिकता मद/ केयर के खाली टीना/ बैग की बिक्री से प्राप्त राशि से की जायगी।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

18. मानदेय भुगतान :

मानदेय भुगतान के मद में आवंटन माह फरवरी,08 तक के लिए प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि प्राप्त आवंटन से प्रत्येक माह अद्यतन सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को मानदेय भुगतान करें। मानदेय का भुगतान अनुपस्थित दिनों के लिए नहीं करने का निदेश दिया गया। आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की अनुपस्थिति विवरणी मुखिया से लेने का निदेश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में सभी मुखिया को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अविलम्ब उपस्थापित करें।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

19. पोषाहार :

सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार कार्यक्रम में पारदर्शिता बरतने का निदेश देते हुए बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में पोषाहार मद का आवंटन माह फरवरी,08 तक के लिए प्राप्त हो गया है। निदेश दिया गया कि अनुपस्थित दिनों के लिए पोषाहार में कटौती की जाय।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,पटना)

20. निदेशिका :

विगत बैठकों में सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका के सम्बन्ध में एक निदेशिका बनाने के लिए निम्नांकित प्रपत्र में सूचना एक माह में कम्पयूटराईज्ड कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन अभी तक नहीं किया जा सका है। इस हेतु पुनः निदेश दिया गया।

क्रम	परियोजना का नाम	केन्द्र संख्या	सेवि0/सहा0 का नाम।	पति/पिता का नाम।	कोड संख्या।	जन्म तिथि	अ0जा0/अ0ज0जा0 /पि0वर्ग/सामान्य।	शैक्षणिक योग्यता।	योगदान की तिथि।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

यह निदेशिका राज्य स्तर. पर हिन्दी में और भारत सरकार को भेजने के लिए अंग्रेजी में बनाने का निदेश दिया गया। इसकी C.D. और Hard Copy अगली बैठक में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि Font में एक रूपता होनी चाहिए। इस पर होने वाला व्यय बाल विकास परियोजना के आकस्मिकता मद से किया जायगा।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा पर्यवेक्षक, लिपिक, सांख्यिकी सहायक, लेखापाल, अनुसेवी, चालक एवं रात्रि प्रहरी के स्वीकृत बल एवं स्वीकृत बल के विरूद्ध पदस्थापन की स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया ताकि रिक्ति के विरूद्ध पदस्थापन के सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया जा सके।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

21. पहचान पत्र :

सभी आंगन बाड़ी सेविका/सहायिका का पहचान पत्र बनाने का निदेश दिया गया। इसके लिए निम्नांकित प्रपत्र में आवश्यक सूचनाएं भर कर आंगन बाड़ी सेविका/सहायिका के फोटो के साथ उसे स्कैन कर उसकी सी0डी0 उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह सी0डी0 M.S.Excel में Devlys font में बनाना है। आंगन बाड़ी सेविका/सहायिका के पहचान पत्र बनाने के कार्य को सुनिश्चित करने का निदेश सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालनः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

विहित प्रपत्र

सेविका/सहायिका का नाम	केन्द्र का कोड	पिता/पति का नाम	स्थायी पता
1	2	3	4

22. प्रतियोगिता का आयोजन :

दिनांक 5.9.07 को निदेशालय मे आयोजित बैठक में निदेशालय के पत्रांक–2446 दिनांक 20.8.07 के आलोक में प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वर्ष में एक बार बच्चों की कहानी/कविता की प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 92,000/–रूपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन को बाल विकास परियोजना को उपावंटित कर दिया गया है।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को प्रतियोगिता आयोजित करने का निदेश दिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,बख्तियारपुर को 14 नवम्बर को प्रतियोगिता आयोजित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी)

23. उपस्कर :

नव सृजित आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर/पंजी इत्यादि के कय के लिए राशि आवंटित की गयी है। सामग्रियों के कय का अधिकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को होगा। सामग्रियो के कय हेतु कय समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता और दर का निर्धारण कर दिया गया है। कय समिति में लिये गये निर्णय के अनुसार सामग्रियों का कय निर्धारित मापदण्ड के अनुसार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी)

24. स्वास्थ्य :

स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के उद्येश्य से शून्य से छः वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती माताओं का सर्वेक्षण करने का निदेश दिया गया। इस हेतु एक प्रपत्र सिविल सर्जन मुद्रित करा कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध करायेंगे और सभी आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिका/सेविका इस प्रपत्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से प्राप्त करेंगे। इस प्रपत्र को भरने का प्रशिक्षण सहायिका/सेविका को दिया जायगा। सर्वेक्षण के प्रशिक्षण हेतु सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की बैठक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा प्रभारी के साथ करने का निदेश दिया गया।

यह भी निदेश दिया गया कि नवजात शिशुओं को पोलियो इत्यादि की दवा पिलाना भी सुनिश्चित किया जाय। नियमित टीकाकरण कार्यकम को सफल बनाने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/महिला पर्यवेक्षिकाओं को क्षेत्र भ्रमण कर पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया। टीकाकरण हेतु 3–4 केन्द्र को एक साथ करने का भी निदेश दिया गया।

स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए माइक्रोप्लान बनाने का निदेश दिया गया। नियमित ...करण के लिए कार्य योजना बनाने का निदेश दिया गया। टीकाकरण का कार्य बुधवार एवं शुक्रवार को ...ना है। सभी को इम्यूनाइजेशन कार्ड उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पल्स पोलियो कार्यक्रम में ... विकास परियोजना पदाधिकारियों की असंतोषजनक उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उनसे ...टीकरण पूछने का निदेश हुआ।

(अनुपालनःसिविल सर्जन/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परि0 पदा0/पर्यवेक्षिका/आंग0 सेविका/सहायिका)

मुस्कान योजना :

मुस्कान योजना के सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/पर्यवेक्षकों को निम्नवत् ...नकारी उपलब्ध करायी गयी :-

- उद्देश्य/लक्ष्य
  - नवजात शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं का शत–प्रतिशत प्रतिरक्षण सुनिश्चित करना।
  - शत–प्रतिशत संस्थानिक प्रसव को सुनिश्चित करना।
- क्रियान्वयन/रणनीति
  - प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समन्वित बाल विकास परियोजना तथा स्वास्थ्य विभाग को एक साथ लाना।
  - टीकाकरण (प्रतिरक्षण) के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र सेवा प्रदाय इकाई के रूप में कार्य करेंगी तथा ये केन्द्र आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा आशा कार्यकर्त्ताओं के मुख्यालय में रहेंगे।
  - ए0एन0एम0 8 से 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों की दल प्रमुख होंगी।
- मुख्य बिन्दु/अंगीभूत
  - समस्त गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को निम्न रूप से पहचान कर चिन्हित करना–
    - घर–घर सर्वेक्षण द्वारा।
    - गर्भवती महिलाओं तथा 0–3 वर्ष की आयु के शिशु समूहों के निबंधन द्वारा।
  - आंगनबाड़ी केन्द्रों पर टीकाकरण–सत्र चलाना।
  - महिला–मंडल की सभा आयोजित करना।
- पंजी
  - सभी पहचान की गई गर्भवती महिलाओं का निबंधन गर्भवती पंजी में तथा 0–3 वर्ष के शिशु–समूहों का निबंधन नवजात शिशु पंजी में होगा।
  - प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद गर्भवती महिलाओं तथा 0–3 वर्ष के शिशु–समूहों का प्रतिरक्षण पूर्व स्थिति को ट्रैकिंग–पंजी में अंकित किया जाएगा।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर होने वाले टीकाकरण–सत्र
  - पूर्व की भांति प्रत्येक बुधवार को नियमित टीकाकरण–सत्र ए0एन0एम0 अपने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर चलाएगीं।
  - प्रत्येक शुक्रवार को ए0एन0एम0 नियमित टीकाकरण सत्र दो से तीन आंगनबाड़ी केन्द्रों पर चलाएगी।
  - सत्रीय आंगनबाड़ी केन्द्र की आंगनबाड़ी सेविकाएँ तथा आशा कार्यकर्त्ता पंजी में निबंधित गर्भवती महिलाएं तथा बच्चे जिन्होनें टीकाकरण नहीं करवाया है उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करवाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र पर टीकाकरण हेतु आने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।
  - आशा कार्यकर्त्ता/आंगनबाड़ी सेविकाएं टीकाकरण उपलब्धि का विवरण गर्भावस्था ट्रैकिंग पंजी (फार्म–1) तथा नवजात शिशु ट्रैकिंग पंजी (फार्म–2) में संधारित करेंगी।
  - बुधवार को हुए टीकाकरणों का विवरण शुक्रवार को होनेवाले टीकाकरण के ट्रैकिंग पंजी में निबंधित होना चाहिए ताकि टीकाकरण के प्रत्येक कम का विवरण संधारित रहे।

- महिला मंडल सभा
  - प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक महिला मंडल की बैठक आयोजित की जाएगी।
  - बैठक में सभी गर्भवती महिलाएं तथा 0–3 आयु समूह के शिशुओं की माताओं की भागीदारी होगी।
  - महिला मंडल के सभा के व्यय के लिए प्रतिमाह 150/– रूपया प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र आबंटित है।
- स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रोत्साहन राशि
  - आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा आशा कार्यकर्त्ताओं के लिए –
    - प्रारंभिक सर्वे में 200/– रू0 प्रति आंगनबाड़ी सेविकाएं तथा आशा कार्यकर्त्ताओं को एक बार देय होगा।
    - मासिक टीकाकरण लक्ष्य की प्राप्ति होने पर (गर्भवती महिलाएं तथा नवजात शिशु)–
    - 90% से अधिक टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त होने पर 200/– रूपया प्रति आंगनबाड़ी सेविका तथा आशा कार्यकर्त्ता।
    - 80–90% से अधिक टीकाकरण लक्ष्य की प्राप्ति होने पर 100/– रूपया प्रति आंगनबाड़ी सेविका तथा आशा कार्यकर्त्ता।
    - 60–80% से अधिक टीकाकरण लक्ष्यकी प्राप्ति होने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
    - 60% से कम होने पर आंगनबाड़ीसेविका तथा आशा कार्यकर्त्ता पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
  - ए0एन0एम0 के लिए
    - मासिक टीकाकरण लक्ष्य की प्राप्ति (गर्भवती महिलाएं तथा नवजात) होने पर –
    - 90 % से अधिक होने पर – 150/– रूपया प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र।
    - 80 % से अधिक होने पर – 75/– रूपया प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र।
    - 60 % से अधिक होने पर – कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं।
    - 60 % से कम होने पर – ए0एन0एम पर दण्डात्मक कार्रवाई होगी।
- अन्य ध्यान देने योग्य बिन्दु
  - प्रखण्ड स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित दर पर वाहन किराए पर रखना (स्वास्थ्य विभाग को इस संबंध में पत्र भेजा जा चुका है)।
  - उप स्वास्थ्य केन्द्रों के बैंक खाते खुले हैं या नहीं।
- प्रखण्ड स्तरीय जिम्मेवारी
  - योजना के सफल कियान्वयन हेतु माइकोप्लान बनाना तथा सभी ए0एन0एम0, आंगनबाड़ी सेविकाओं तथा आशा कार्यकर्त्ताओं के साथ पूर्वाभ्यास करना।
  - सम्पूर्ण प्रखण्ड के लिए योजना बनाना तथा माईक्रोप्लान का अभ्यास और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक उपस्वास्थ्य केन्द्रों को उपलब्ध कराना।
- माईक्रोप्लानिंग
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर से –
    - इसके समन्वयक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, यूनिसेफ के बी0एम0सी0 तथा बाह्य अनुश्रवक होंगे।
    - माईक्रोप्लानिंग तैयार करने वाले बैठक में सभी ए0एन0एम0 भाग लेंगी तथा इसमें फार्म–3 का उपयोग होगा।
    - बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस बात की जाँच करेंगी की सभी आंगनबाड़ी केन्द्र इसमें सम्मिलित हो गए हैं।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को मुस्कान कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का निदेश दिया गया।

26. टेक होम योजना :

इस योजना के तहत प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं एवं 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों तथा उनकी माताओं को घर ले जाने के लिए पूरक पोषाहार वितरित करने हेतु राशन उपलब्ध कराया गया है। यह राशि प्रत्येक 15 दिन एवं 10 दिन के अन्तराल पर वितरित किया जाना है। राशन की मात्रा प्रति गर्भवती स्त्री/माता एवं बच्चे के लिए निम्न प्रकार से होगा –

1.50 किलो अनाज एवं 750 ग्राम दाल प्रति गर्भवती स्त्री/माता

1.00 किलो अनाज एवं 500 ग्राम दाल प्रति गर्भवती स्त्री/माता।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को इस योजना का अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

जिन आंगनबाड़ सेविकाओं द्वारा टेक होम राशन का वितरण नहीं किया जायगा अथवा इसमें अनियमितता बरती जायगी उन्हें बिना स्पष्टीकरण किये ही चयनमुक्त कर दिया जायगा।

(अनुपालनः सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/ सभी पर्यवेक्षिका/सभी आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका)

27. जन्म–मृत्यु की सूचना :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने क्षेत्र की आंगनबाडी सेविका/सहायिकाओं से जन्म–मृत्यु की सूचना अवश्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सभी को जन्म–मृत्यु का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। यह प्रमाण पत्र पंचायत स्तर से निर्गत होना चाहिए। इस कार्य में जहां–जहां पंचायत सेवक अपना सहयोग नहीं दे रहे हैं उनके सम्बन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

28. डी0सी0विपत्र :

निम्नांकित प्रपत्र में डी0सी0विपत्र की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया –

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष	विपत्र संख्या	विपत्र की राशि	डी0सी0विपत्र की राशि
1	2	3	4	5	6

निरीक्षण के कम में स्पष्ट हुआ है कि बहुत सी राशि अग्रिम में दी गयी है जिसका समायोजन नहीं किया गया है। इसके समायोजन का निदेश दिया गया।

इस माह में पन्द्रह दिनों के अन्दर सभी डी0सी0विपत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

29. भवन निर्माण :

बैठक में बताया गया कि 20 हजार केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिए नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु प्राथमिक विद्यालयों/मध्य विद्यालयों में स्थल चयन करने का निदेश दिया गया।

भवन निर्माण के लिए 20 प्रतिशत की राशि पंचायतों से नहीं मिली है। इस सम्बन्ध में निदेशक को पत्र लिखने का निदेश दिया गया कि इसमें अलग से राशि उपलब्ध करायी जाय।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे कहां–कहां परियोजना कार्यालयों/आंगनबाडी केन्द्रों का अपना भवन है और कहां–कहां नहीं है इस सम्बन्ध में एक सूची उपलब्ध करायें ताकि भवनहीन परियोजना कार्यालयों के लिए भवन निर्माण हेतु सरकार से राशि प्राप्त की जा सके।

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिकाओ को निदेश दिया गया कि यदि उनके लिए सरकारी भवन निर्मित है और उसमें किसी अन्य का ताला लगा है तो उसे तोड़कर उसमें अपना कार्यालय स्थापित करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों/आंगनबाड़ी केन्द्र की सहायिकाओ को निदेश दिया गया कि वे प्रतिवेदित करें कि उनके लिए सरकारी भवन बन गया है और उसमें कार्यालय/केन्द्र चल रहा है अथवा भवन बन गया है परन्तु

...न्तरित नहीं किया गया है अथवा भवन अधूरा है। यह प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने ...निदेश दिया गया।

प्रत्येक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने का सरकार का निदेश है। ...दि अपनी जमीन उपलब्ध नहीं है और कोई व्यक्ति अपनी जमीन आंगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए देने को ...च्छुक है तो उसे राज्यपाल के नाम से निबंधित करा कर आंगनबाड़ी केन्द्र बनाना है।

(अनुपालनः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...0. रिपोर्ट–रिटर्न :

रिपोर्ट–रिटर्न समय पर भेजने का निदेश दिया गया। इस हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले प्रपत्र ...ो अकस्मिकता मद से मुद्रित कराने का निदेश दिया गया। रिपोर्ट–रिटर्न तीन प्रतियों में बनाने का निदेश ...दया गया जिसकी एक प्रति निदेशालय को भेजने, दूसरी प्रति जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने एवं तीसरी ...ति कार्यालय प्रति के रूप में संधारित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

...31. वाहन :

सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को अपने वाहन के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी ...ाहन संख्या एवं वाहन की स्थिति के साथ उपलब्ध कराने,लॉग बुक का संधारण करने, वाहन का इस्तेमाल ...यक्तिगत कार्य में कदापि नहीं करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/पर्यवेक्षिका)

Rajendra 23.11.2007
(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक 801 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 28–11–7

प्रतिलिपि : माननीय सांसद, पटना एवं बाढ़ तथा सभी विधायक,पटना जिला को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 23.11.2007
(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक 801 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 28–11–7

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव,बिहार,पटना/सचिव,समाज कल्याण विभाग,बिहार,पटना/आयुक्त,पटना प्रमण्डल, पटना/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय,बिहार,पटना/उप विकास आयुक्त,पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 23.11.2007
(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक 801 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 28–11–07

प्रतिलिपि : उप निदेशक,कल्याण,पटना प्रमण्डल,पटना एवं सभी अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 23.11.2007
(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक 801 /जि0प्रो0का0,पटना,दिनांक 28–11–07

प्रतिलिपि : सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं सभी महिला पर्यवेक्षिका, पटना जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rajendra 23.11.2007
(बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।